खण्ड-258, अंक-2
मंगलवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1887
(3 अगस्त, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री भवन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सभी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवैद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार कदगा कृष्ण नायर, श्री
कृष्ण चन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलो सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौती दीन, श्री
भानुव्रतसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मनोहरसिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कौथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनपाल, श्री

रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रूकुम सिंह राठौर, कुंवर
रूद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक्वी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्री मती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शरफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवशंकर लाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायणसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुकलचन्द मजदूर, श्री
शुकलचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री

अद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुधेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोतहगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सुरजलालगुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—बित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ अगस्त, १९७५

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले में सिंचाई व्यवस्था

*१—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के करछना एवं चाका ब्लाक के कौन से भाग ऐसे हैं जहां सरकार ने अब तक कोई सिंचाई का प्रबन्ध नहीं किया है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

करछना तथा चाका ब्लाक में क्रमशः ५,३०० और ६,३०० एकड़ भूमि ऐसी है जहां सिंचाई सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है।

*२—श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या सरकार ये भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त असिंचित क्षेत्रों के लिये उसने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

करछना ब्लाक के उपर्युक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण हो रहा है और जहां पर आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टि से उचित समझा जायगा चतुर्थ पंच वर्षीय योजनाकाल में नलकूप बनाये जायेंगे।

चाक ब्लाक में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नलकूप बनाना निर्धारित किया गया है।

*३—श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायगे कि इलाहाबाद जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप कहां-कहां लगे या लगेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पचास नलकूप जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९० पर)

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि करछना ब्लाक का सर्वेक्षण हो रहा है, जहां ५,३०० एकड़ जमीन अभी भी असिंचित है लेकिन माननीय मंत्री जी ने चाका ब्लाक के बारे में कुछ नहीं बताया। उसमें आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसको भी देख लेंगे।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो प्रश्न पूछा था कि चाका ब्लाक में आप क्या कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं दिया। मंत्री जी ने कहा कि उसे हम देख लेंगे। यह अधूरा उत्तर क्यों दिया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने कहा कि चाका ब्लाक में २२,३०० एकड़ जमीन है जिसमें से ११,२०० एकड़ जमीन में सिंचाई हो रही है। ४,८०० एकड़ जमीन ऐसी है जो इन्डस्ट्रियल एरिया में है और ६३०० एकड़ जमीन ऐसी है जहां सिंचाई नहीं हो पा रही। जमीन ऊबड़-खाबड़ है। वहां देख लेंगे कि वहां क्या इन्तजाम हो सकता है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

६३०० एकड़ जमीन ऐसी है जो ऊबड़-खाबड़ है। केवल सौ या दो सौ एकड़ को छोड़कर जो समतल और उपजाऊ है, तो चाका ब्लाक के लिये आपकी क्या योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चाका ब्लाक में नलकूप इस योजना में बना रहे हैं और वे हमारे वहां बन जावेंगे। मैंने आपसे कहा कि वहां जमीन ऐसी है कि वहां नहर का पानी नहीं जा सकता, इसलिये वहां का सर्वेक्षण करा लेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ६,३०० एकड़ जमीन ऊबड़-खाबड़ है। मैं जानना चाहता हूं कि ऊबड़-खाबड़ जमीन में सिंचाई के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने यह बताया है कि नहर जानेके लिये वह जमीन समतल नहीं है वहां नहर नहीं जा सकती। वहां हम यह दिखा लेंगे कि वहां पानी का क्या इन्तजाम हो सकता है, ट्यूबवैल से पानी जा सकता है या नहीं। यह भी दिखा लेंगे कि अगली योजना में ट्यूबवैल लग सकते हैं या नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में सब जगह का सर्वेक्षण हुआ था तो चाका ब्लाक का क्यों नहीं हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सर्वेक्षण तो एक बार हुआ और उसके बाद ही यह पता चला कि यहां दूसरे साधन नहीं हो सकते। ट्यूबवेल के लिये देख रहे हैं कि बन सकते हैं या नहीं। ट्यूबवेल बनने स्वीकृत हुए हैं जिनमें से ४ पर काम शुरू हो गया है।

*४—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

[३ रे शुक्रवार के लिये प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेन्शन

*५—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो साल में स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्तियों की पेंशन की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई कि वह केवल एक बार जेल गये हैं ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जी नहीं। विशिष्ट परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप ऐसे भी कुछ व्यक्तियों को पेंशन दी गई है जो केवल एक बार जेल गये हैं।

*६—श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री रघुवीर

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ फरवरी, १९६५ को प्रान्त में कितने स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानी २५ रु० प्रति मास से कम पेंशन ले रहे थे और कितनों को ऐसे कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनको ७५ रु० प्रतिमास से ऊपर पेंशन दी जा रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९१ पर)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या यह सही है कि २ वर्ष पहले सरकार की तरफ से कोई विज्ञप्ति जारी हुई थी कि एक बार जेल जानेवालों को कोई पेंशन नहीं दी जायगी ? यदि हां, तो वे विशेष परिस्थितियां क्या हैं जिसे देखकर उसके बाद भी एक बार जेल जाने वालों को पेंशन दी गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

विज्ञप्ति तो मुझे मालूम नहीं है। विशेष परिस्थिति यही होती है कि कोई हरिजन हो या बहुत गरीब हो इत्यादि ।

श्री रघुवीर--

क्या एक बार जेल गये पेंशन पाने वालों के नाम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे कि एक बार जेल जाने वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गुजर नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें पेंशन दी जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

अपवाद के मामलों पर विशेष परिस्थितियों में विचार किया जाता है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार का ध्यान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सिफारिश की ओर गया है कि एक बार के कैदियों को भी पेंशन दी जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर विचार रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

सरकार के विचाराधीन तो यह बात है, लेकिन बाधा यह है कि इस प्रकार से लिबरल होने के लिये पैसा कहां से आवे ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

क्या एक बार के सिद्धांत को बनाते समय सरकार को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि जो एक बार से अधिक जेल गया हो उस पोलीटीकल सफरर को पेंशन श्योर कर दी जायगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

एक बार से अधिक वाले अगर प्रार्थना-पत्र देते हैं और उनकी माली हालत खराब है, आयु ५० साल से ज्यादा है, तो उन्हें भी हम देते ही हैं। कोई हार्ड ऐंड फास्ट सिद्धांत नहीं है। परिस्थितियां देखी जाती हैं ।

श्री बैजनाथ पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)--

जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो एक मर्त्तबा भी जो जेल गये थे, उनको पेंशन दी गई लेकिन सन् ६२ के शुरू में जो अधिवेशन हुआ तब से यह सिद्धान्त निर्धारित कर दिया गया कि एक बार जो जेल गया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील के जो लोग एक-एक महीने जेल गये हैं और जो हमारे परिवहन मंत्री के क्षेत्र के आदमी हैं उनको वह पेंशन मिल गई जबकि हमारे क्षेत्र में जो उसी के बगल में है, वहां के १५० आदमी ऐसे हैं जो जेल गए हैं और बराबर उनकी आस्था स्वतंत्रता संग्राम में रही है उनको आजतक पेंशन नहीं मिली, यह मतभेद क्यों किया गया, इस पर कुछ व्याख्या के साथ मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

यह तो पहले ही कह दिया गया है कि बिलकुल पुख्ता तौर पर हार्ड ऐंड फास्ट यह सिद्धान्त लागू नहीं किया गया है, इसमें कुछ छूट दी गई है और मैंने बताया कि विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ ऐसे लोगों को भी पेंशन दी गई है। तो वह उसमें आते होंगे ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

क्या इन विशिष्ट परिस्थितियों की सूची में उन विधवाओं को भी रखने का विचार कर लिया जायगा जिनके पति इस समय मौजूद नहीं हैं और उनके घरों में आर्थिक समस्या बहुत खराब हैं ?

श्री अध्यक्ष ---

जो स्वतन्त्रता संग्राम से संबंधित न हों, यह प्रश्न है आपका ? यह प्रश्न तो स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लेने वालों से संबंधित है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं के संबंध में आपसे कहना चाहती हूं कि जिन स्त्रियों के पतियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जो इस समय जीवित नहीं हैं उनकी विधवाओं के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न था ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

अध्यक्ष महोदय, जिन राजनीति पीड़ितों की विधवाओं के संबंध में प्रश्न किया गया है उनका हम विचार रखते हैं । अगर उनका कोई पोषण करने वाला नहीं होता है तो उनके पति को मिलने वाली पेंशन उनको मिलती है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

यह जो सूची दी गई है उसमें २५ रुपये से कम पेंशन पाने वालों की संख्या १४९ है और ७५ से अधिक पाने वालों की संख्या ५० है । तो उस पचास में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो विधान सभा, विधान परिषद् या संसद के सदस्य हैं और फिर भी उनको ७५ रुपये से अधिक पेंशन दी जा रही है जबकि १४९ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको २५ रुपये तक पेंशन मिलती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि संसद या विधान सभा के सदस्य भी है और वह पेंशन भी पाते हैं । नियम ऐसा है कि जिस समय भी वह सदस्य चुन जांय उस समय से उनकी पेंशन बन्द हो जायगी ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या इस प्रकार के कोई सदस्य विधान सभा या विधान परिषद् के हैं जिनको आज भी पोलिटिकल पेंशन मिलती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

नियमत: तो मिलनी नहीं चाहिये और मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि कोई ऐसे सदस्य हैं जो सदस्य भी हैं और पेंशन भी लेते हैं । मेरी मेमोरी में शायद ऐसा कोई नहीं हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । बहुत ही साफ सवाल पूछा गया है कि विधान सभा या विधान परिषद् के ऐसे सदस्य हैं या नहीं तो माननीय मंत्री जी साफ कहें कि हैं या नहीं हैं, होंगे, इस तरह से जवाब देने का तो कोई तरीका नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

आप उस सवाल को फिर पूछ लीजियेगा ।

श्री वैजनाथ पांडेय—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में कितने ऐसे आदमी हैं कि जो ७५ रुपया पेंशन पाते हैं और विधान सभा के सदस्य नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह है कि विधान सभा और विधान परिषद् के कितने ऐसे सदस्य हैं जो इस समय यह पेंशन पा रहे हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन—.

मैं आपको इसकी नोटिस देता हूं, अल्पसूचित हमारा प्रश्न मंजूर कीजिये और यह सदन में ऐसे सदस्यों का सूची पेश करें जो विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य होते हुए भी पेंशन ले रहे हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

राजनीतिक 'पीड़ित के मामले में यह जो सारे प्रदेश में जबर्दस्त घपला है, हम ऐसा देखते हैं कि कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट या अन्य राजनीतिक दलों के लोग चाहे दो बार भी जेल गये हों उनको पेंशन नहीं मिलती है और दूसरी तरफ जो लोग बिलकुल भी जेल नहीं गये हैं उनको भी पेंशन मिलती है तो इसको देखते हुए क्या सारे प्रदेश का एक सर्वे करा कर जो लोग जेल नहीं गये हैं उनकी पेंशन काट देंगे और जो लोग जेल गये हैं वे चाहे कम्युनिस्ट हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों उनको पेंशन देंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसकी तो आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है कि सर्वे कराया जाय। डिजर्विंग केसेज को पेंशन दी गई है और जानबूझकर दी गई है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मान्यवर, २५ रुपये पोलीटीकल सफरर को पेंशन दी जाती है और २५ रुपये में सब्जी भी आनी कठिन है, इसको देखते हुए क्या मंत्री जी २५ रुपये से बढ़ाकर, उनके स्केल को रिवाइज करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इच्छा होते हुए भी और माननीय सदस्य की भावनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए भी आर्थिक कठिनाईयां ऐसी हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूची है कि जिन लोगों को इस समय पेंशन दी जा रही है उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पास बसों के परमिट और लोहे और कोयले के कोटे मौजूद हैं। क्या ऐसी सूची तैयार करने के बाद उन लोगों की पेंशन बंद करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसी सूची कोई हमारे पास नहीं है और न इसकी कोई आवश्यकता है ।

मऊ-गरोठा मार्ग पर लारी चलाने का परमिट

*७—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में मऊ-गरोठा कच्चा रोड पर लारी चलाने हेतु किन-किन व्यक्तियों को परमिट दिये गये हैं और उक्त रोड पर कितनी लारी अभी चल रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस मार्ग पर निम्न लिखित व्यक्तियों को परमिट दिये गये हैं ।

१—श्री अब्दुल रशीद,

२—श्री गोरे लाल,

३—श्रीमती सरला देवी ,

परन्तु उन्होंने परमिट मेसर्स टूरिस्ट ट्रांस्पोर्ट सर्विस कानपुर के अधिकार में रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी की अनुमति लेकर हस्तान्तरित कर दिया ।

इस समय इस मार्ग पर कोई लारी नहीं चल रही है ।

परिवहन विभाग के कर्मचारी

*८—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में विभिन्न श्रेणीयों में कितने कर्मचारी हैं और उन्हें किस क्रम से वेतन और मंहगाई भत्ता मिलता है ? कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी तथा स्थायी बनने के क्या नियम हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

२६०७६ कर्मचारी जिनमें से ९१४३ स्थायी व १६९३३ अस्थायी हैं । विस्तृत सूचनाएं सदन की मेज पर रख दी गई है । परिवहन विभाग के कर्मचारियों के स्थायी करने के कोई अलग नियम नहीं हैं । अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये जो नियम हैं वही परिवहन विभाग में भी लागू हैं ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि २६ हजार में से केवल ९ हजार कर्मचारी ही स्थायी हैं । यह विभाग पर्मानेन्ट विभाग है, प्राफिट कमा रहा है फिर इतने अधिक अस्थाई कर्मचारी इसमें क्यों हैं आपको पर्मानेन्ट करने में क्या दिक्कत और परेशानी हो रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में २ प्रकार के अस्थाई कर्मचारी हैं—एक तो परिवहन आयुक्त की स्वीकृति वाले कर्मचारी और दूसरे शासन की स्वीकृति वाले और इनकी तादाद आधी-आधी है । जो सरकार की स्वीकृति वाले पद हैं, उनमें से ६६ प्रतिशत हर साल स्थायी कर दिये जाते है बशर्ते कि उन्होंने ३ साल की सर्विस पूरी कर ली हो ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री उग्रसेन—

परिवहन विभाग में जो इतनी अधिक संख्या में अस्थायी कर्मचारी हैं उसका एक मात्र कारण यह है कि वहां के आधे कर्मचारी तो परिवहन आयुक्त श्री इफ्तखार हुसैन साहब के अर्दली हैं और आधे सरकार के अधिकार में हैं। इस तरह की बात दुनिया में कहीं नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि आधी सरकार की तरफ से और आधी परिवहन आयुक्त की तरफ से नियुक्ति होती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन्, परिवहन विभाग का कार्य बहुत बढ़ रहा है और अचानक ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि नये कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय। सरकार से स्वीकृति लेने में देर हो सकती है, इसलिये आयुक्त को अपनी ओर से नियुक्ति करने का अधिकार दिया हुआ है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

यह जो लम्बा चौड़ा चार्ट दिया हुआ है उसको देखने से मालूम होता है कि जो टेक्नीकल कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है और जो नान-टैक्नीकल हैं उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपके विभाग में नान टेक्नीकल आदमी ज्यादा है और उनकी तनख्वाहें ज्यादा है। क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में सर्वे करा कर विचार करने की कृपा करेंगे कि ऊपर वाले कर्मचारियों पर क्यों इतना अधिक एक्सपेन्डीचर है और नीचे वालों की तनख्वाह रिवाईज करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय सदस्य का खयाल है कि नान-टेक्नीकल की तनख्वाह टेक्नीकल कर्मचारियों की तनख्वाह से ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, प्रश्न केवल यह है कि क्या यह सत्य है कि नान-टेक्नीकल कर्मचारियों के बनुकाबिले टैक्निकल कर्मचारियों का साधारणतया अधिक वेतन है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, यह सब सूची में दिया हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि रोडवेज विभाग के उच्च कर्मचारियों की तरफ से एक फार्म छापा गया और उस पर अस्थायी कर्मचारियों से जबर-दस्ती दस्तखत कराये गये हैं कि वे स्थायी हैं। यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है उसमें १६ हजार कर्मचारियों का जिक्र है। माननीय मंत्री जी ने अभी यह भी बताया कि ३ वर्ष से जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है इस विवरण में ३ साल से ज्यादा कार्य करने वाले १० या १२ हजार ऐसे कर्मचारी हैं जो ३ वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं और अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं ? क्या यह सत्य है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

मैंने यह कहा था कि वे कर्मचारी जिनको ३ साल पूरे हो गये हैं और वे सरकार से स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनमें से ६६ प्रतिशत के लिये हर साल सरकार द्वारा स्थायित्व की स्वीकृति होती है ।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी उन कर्मचारियों को जिनकी सर्विस ३ वर्ष से अधिक हो गयी है स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

यह तो सम्भव नहीं हो सकता कि आउट राइट सबको स्थायी कर दिया जाय ।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १६ हजार टैम्पोरेरी कर्मचारी भरे पड़े हुए हैं उनमें कितने सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और कितने आयुक्त द्वारा ; परमानेन्ट बैकेन्सी कितनी खाली हैं जिनमें टैम्पोरेरी मजदूर भरे जाते हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

इन १६,००० से ८४६१ कर्मचारी सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और ८४७२ कर्मचारी परिवहन आयुक्त द्वारा स्वीकृत हैं । जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं उनमें से हर साल ६६ प्रतिशत उन कर्मचारियों को जो ३ वर्ष से अधिक काम कर रहे हैं, स्थायी किया जाता है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

जो १६ हजार कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, उनमें से हजारों चालक, परिचालक और बुकिंग क्लर्क १०-१० साल से कार्य कर रहे हैं परन्तु उनकी कन्टीन्युटी को खत्म करने के लिये उन्हें नोटिस दे दिया जाता है । इससे उनकी ३ साल की अवधि काउन्ट नहीं हो पाती । तो क्या सरकार इस तरह न करके उनकी कन्टीन्युटी को जारी रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

नोटिस देने की कई वजह हो सकती है । जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको एक माह का नोटिस देकर डिसमिस और उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा सकता है, अगर वे कोई खुराफात करते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन १६,००० कर्मचारियों में से ८ हजार कर्मचारी आयुक्त परिवहन द्वारा नियुक्त किये गये हैं । तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि आयुक्त इस प्रकार के इन्सट्रक्शन देंगे कि उनमें से भी जिनकी सर्विस ३ वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनको कन्फर्म कर दिया जायगा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जी नहीं, आयुक्त को यह अधिकार नहीं है, उनको हर साल अपनी स्वीकृति का हक है वह देते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार सदन में आश्वासन देगी कि आयुक्त को वह यह डायरेक्टिव देगी कि ८ हजार में से जिनकी ३ साल से ज्यादा सर्विस है उनको कनफर्म किया जाय।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह सम्भव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जब परिवहन विभाग में १६ हजार अस्थायी हैं तो आप हर साल इन पोस्टों को एडवरटाइज और इन्टरव्यू वगैरा क्यों करते है, जब आप के पास इतने अस्थायी केन्डीडेट्स हैं और आपके पास एक अस्थायी लिस्ट है तो आप सीनियारिटी के हिसाब से उन्हीं में से स्थायी क्यों नहीं करते ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वह अस्थायी वाले तो काम में लगे ही होते है, अगर कोई जगह रिक्त होगी तो नई नियुक्ति होगी ही।

रोडवेज के दंडित कर्मचारी

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज के इलाहाबाद रीजन में १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में कितने आदमियों को अच्छा कार्य करने में तरक्की दी गई और कितने कर्मचारियों को किस-किस अपराध में दंडित किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सन् १९६२-६३ व ६३-६४ में केवल अच्छे कार्य के आधार पर कोई तरक्की नहीं दी गई।

इन वर्षों में दण्डित कर्मचारियों की संख्या, आरोप सहित, संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९२ पर)

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद रीजन में ड्राइवरों, क्लीनरों तथा कन्डक्टरों की संख्या क्या है तथा उसमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इलाहाबाद रीजन में ६९५ ड्राइवर, २५२ क्लीनर तथा ६४४ कन्डक्टर व क्लीनर, कन्डक्टर हैं जिनमें से क्रमशः १६८, १२७ एवं १३ स्थायी हैं व शेष अस्थायी हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २ साल में किसी आदमी को तरक्की नहीं दी गई इसका कारण क्या है ? या तरक्की देने का कोई नियम ही नहीं है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अच्छा काम करने से तरक्की नहीं दी जाती, वही केवल माप दण्ड नहीं है और इसकी हमें अभी सूचना भी नहीं है कि किसकी तरक्की हुई, किसकी नहीं हुई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने लोग ५ साल से ज्यादा से इलाहाबाद रीजन में अस्थायी है और उनके अभी तक स्थायी न होने का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

पूर्व प्रश्न में साफ हो चुका है कि स्थायी क्यों नहीं हो सके ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी के पास कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि अधिकारियों ने ड्राइवर्स और क्लीनर्स को व्यक्तिगत कारणों से अनावश्यक रूप से पृथक कर दिया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसी शिकायत शासन के पास कोई नहीं है ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

मंत्री जी ने जो अस्थायी लोगों की सूचना दी है उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो ५ साल से काम कर रहे हैं और उनको निकालने के लिये उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाता बल्कि उनको ३० दिन का नोटिस दिया जाता है। यदि उनको स्थायी नहीं भी किया जाता तो क्या यह सुविधा देंगे कि उनको नौकरी से तभी निकाला जाय, जब उनको चार्जशीट दिया जाय और वह ३० दिन का नोटिस न दिया जाय, क्या इस पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जब अस्थायी पोस्ट होती है तो चार्जशीट की आवश्यकता नहीं होती और नोटिस ही हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि क्या नियमों में परिवर्तन करेंगे जो अस्थायी हैं उनको चार्जशीट दिया जाय ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अस्थायी लोगों को चार्जशीट नहीं दिया जाता ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद रीजन में जो अस्थायी कर्मचारी हैं और जो स्थायी पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं, उनको स्थायी नहीं किया गया और उन पर दूसरे अस्थायी रखे गये हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रघुवीर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ५, ५ वर्ष से कर्मचारी काम कर रहे हैं और अस्थायी हैं उनको जब साल पूरा होने लगता ह तो १० दिन पहले से नोटिस देकर निकाल दिया जाता है और फिर १० दिन बाद उनको रख लिया जाता है । इसलिये उनको अस्थायी रखा जाता है । इस प्रथा को दूर करने की कोशिश मंत्री जी करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

स्थायित्व के लिये जो तरीका है वह मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष—

कहीं मंत्री जी, ऐसा तो नहीं है कि उनको नोटिस दे दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसकी सूचना तो मुझे नहीं है ।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, मधुबनी द्वारा सामान की खरीदे

*११—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड मधुबनी, (गोरखपुर) ने गत दो वर्षों में (१९६३-६४, १९६४-६५) जैन मोटरकार कम्पनी, दिल्ली तथा जे० के० ट्रेडिंग कम्पनी, मेरठ में कौन-कौन सामान किस कीमत पर खरीदा है और कितने रुपये का कौन-कौन सामान खरीदने का पुनः आदेश दिया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मधुबनी, गोरखपुर ने सन् १९६३-६४ में जैन मोटरकार कम्पनी दिल्ली से कोई सामान नहीं खरीदा तथा सन् १९६४-६५ में ६५,६९२.५४ रु० का सामान खरीदा है । सामान तथा उसकी कीमत का ब्योरा संलग्न† सूची में दिया गया है । जे० के० ट्रेडिंग कम्पनी, मेरठ से उपरोक्त काल में कोई सामान नहीं खरीदा गया । पुनः कोई भी आर्डर सामान की खरीद के विषय में अभी तक उक्त कम्पनी को नहीं दिया गया ।

*१२—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उक्त पुर्जों के मुख्य विक्रेता विलियम जैक, वोल्टास और ट्रेक्टर्स इंडिया आदि कम्पनियों से भी उल्लिखित पुर्जों की सूची मांगी गई थी और यह कम्पनियां जैन मोटरकार कम्पनी, दिल्ली तथा जे० के० ट्रेडिंग कम्पनी मेरठ से कम मूल्य पर वहीं सामान देने को तैयार थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, इन पुर्जों को सप्लाई के लिये उनके मुख्य विक्रेता विलियम जैक, वोल्टास और ट्रैक्टर्स इंडिया आदि से दूसरा कोट की गई थी, जितने पुर्जे वे अपने गोदामों में से दे सकते थे वे उन्हीं से लिये गये । जिन पुर्जों को सप्लाई अपने गोदामों से करने में उन्होंने असमर्थता प्रकट करते हुए विदेशी पुर्जा तथा आयात लाइसेन्स की मांग की, केवल वही पुर्जे अन्य कम्पनियों द्वारा मंगाये गये । जब कि मुख्य विक्रेताओं ने इन पुर्जों को देने से असमर्थता प्रकट की तो उनके द्वारा इन पुर्जों को कम दाम पर सप्लाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब ५०, ६० हजार रुपये का सामान खरीदना होता है तो कोई टेंडर मांगा जाता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, टेंडर मांगे गये ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

मंत्री जी बतायेंगे कि जब अधिशासी अभियन्ता ने टेंडर मांगे और जो टेंडर देने की आखिरी तारीख थी उस तारीख तक इन सब कम्पनियों के टेंडर आ चुके थे लेकिन जैन मोटरकार कम्पनी से टेंडर आने के बाद और उसको ऐक्सेप्ट करने के बाद वोल्टाज कम्पनी को यह पत्र लिखा गया कि आप इन चीजों को देने में असमर्थता प्रकट कर चुके हैं इसलिये आपको आर्डर नहीं दिया जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

एक इनक्वायरी की गई सबसे कि कितने-कितने पार्ट्स चाहिये। पहले तो जो मेन डीलर्स थे उनसे कहा गया। उन्होंने मना कर दिया जो सामान उनके पास था वह ले लिया गया उन्होंने कहा कि और सामान तब देंगे जब आप हमको फारेन ऐक्सचेंज दिलायेंगे। तो चूंकि मोटर पार्ट्स जरूरत थी तो जिसने यह कहा कि दे सकते हैं, उनसे ले लिये।

मंगलसी क्षेत्र में जीप दुर्घटना

*१३--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद) तथा श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के मंगलसी क्षेत्र में १९६२ के आम चुनावों में किसी व्यक्ति की जीप से एक पुलिस कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और उक्त जीप पर कौन-कौन लोग बैठे थे ?

श्री हरिदत्त काण्डपाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, ५ महीने हो गये और इसमें ऐसी कौनसी बड़ी सूचना है जो एकत्रित की जा रही है और अब तक एकत्रित नहीं हो सकी ?

श्री अध्यक्ष--

(मंत्री जी से) इसका उत्तर आगामी सप्ताह में आ जाय।

श्री मुहम्मद रफीक को मैजिस्ट्रेटी से हटाने की मांग

*१४--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फर नगर), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़), श्री ऊदल, श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़), श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री नेकराम शर्मा, (जिला अलीगढ़), तथा श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार को पता है कि श्री रफीक कुरैशी, कस्बा कांधला, जिला मुजफ्फरनगर, जिन्हें सन् १९४७ के बाद नेशनल कार्ड के सम्बन्ध में सरकार ने जेल भेजा था, उन्हें सरकार ने आनरेरी मैजिस्ट्रेट क्यों नियुक्त किया ?

वित्त उप मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)--

श्री मुहम्मद रफीक आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये थे। नियुक्ति सरकार के आदेश से हुई थी।

*१५--श्री विजयपालसिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री ऊदल, श्री झारखंडेराय, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री नेकराम शर्मा तथा श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सरकार को पता है कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट श्री रफीक कुरैशी के विरुद्ध है और वे बहुत दिनों से मैजिस्ट्रेटी के उम्मेदवार थे, परन्तु उस समय के जिलाधीश श्री माथुर तथा

उनके पहले के दो जिलाधीश महोदय ने उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में श्री रफीक कुरैशी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी और उन्हें मैजिस्ट्रेटी नहीं मिली, तो क्या सरकार इन जिलाधीशों की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? और इन सभी तथ्यों की रोशनी में श्री रफीक कुरैशी को अलग करने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

वांछित सूचना के बारे में उत्तर देना जनहित में न होगा। श्री मुहम्मद रफीक का कार्य-काल ३० जून, १९६५ को समाप्त हो गया।

श्री विजयपालसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि जब रफीक साहब कुरैशी के खिलाफ काफी गम्भीर आरोप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में है तो उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट क्यों बनाया गया ? इसका उत्तर दिया गया है कि उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया गया और सरकार की आज्ञा से नियुक्त किया गया। मैंने पूछा था कि इनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट क्यों बनाया गया, इसका उत्तर नहीं पाया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

इसलिये उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया गया था कि उस वक्त के जिलाधीश जो थे उन्होंने सिफारिश की थी कि उनको आनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिया जाय, यह मौजूं आदमी हैं।

श्री विजयपालसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि जिलाधीश महोदय की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय तो वे उत्तर देते हैं कि जब [illegible] नहीं है तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट क्यों बनाया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

वह तो पुरानी रिपोर्ट मांगी जा रही है। यह तो ६४ की रिपोर्ट की बुनियाद पर आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये गये।

श्री विजयपालसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने ६२, ६३ तथा ६४ के जिलाधीशों की रिपोर्ट्स मांगी है और मेरे सवाल को काट दिया गया है। मैंने पूछा था कि रफीक साहब कुरैशी जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे और जनता जानती है कि वे फिरकापरस्त हैं, फिर भी उनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—

मैं समझा नहीं। पुरानी रिपोर्ट्स जो कुछ रही हों। लेकिन १९६४ में जो रिपोर्ट अप्रैल में आई उसमें लिखा था कि यह वफादार आदमी हैं, आजादी पसन्द हैं और अथारिटीज के साथ कोआपरेशन करते हैं, इसलिये मुनासिब होगा कि इनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया जाय। इसी के साथ उन्होंने यह भी लिखा था कि १९६१ में जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने उनका नाम रिकमेंड किया था लेकिन उस वक्त उनकी तकर्रुरी नहीं हुई। इसलिये कहा गया कि उनकी बुनियाद पर यह मुफीद आदमी हैं, इनको कर दिया जाय। लिहाजा इनको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रफीक साहब कितने अर्से मैजिस्ट्रेट रहे और उनको एक्सटेंशन न देने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं पुरानी शिकायतें थीं उनको फिर उठाया गया, लिहाजा मुनासिब यह समझा गया कि इनकी तकरुरी न की जाय ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

जिस जिलाधीश ने गलत रिपोर्ट दी थी कि वह अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं और बाद में साबित हुआ कि वे ऐसे नहीं थे । इनके खिलाफ मंत्री जी क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह वाक़या गलत है । जिसने तारीफ की थी, उसके बाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने बुराई नहीं की । यह तो पहले की कुछ बुराइयां थीं ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि १९४७ के बाद वे किस अपराध में जेल भेजे गये थे और कितने दिन जेल में रहे ?

श्री सैयद अली जहीर—

मैं समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि १९४७ में या बाद में रफीक साहब जेल गये थे ?

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर एक मुकदमा चला था । उसमें अदालत ने कहा था कि मुकदमा साबित नहीं है और वे छूट गये ।

*श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट गोपनीय है । यह सत्य है । पर चूंकि इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि इस रिपोर्ट में निश्चित ही जिलाधीश ने कुछ ऐसे आरोप लगाये हैं जिससे मैजिस्ट्रेट बनाने में सरकार को आपत्ति हुई । मैं जानना चाहता हूं कि जहां-जहां जिन जिलाधीशों ने ऐसे आरोप लगाये हैं, जिन आरोपों को सदन में रखने में आपत्ति रही हो, इनके सम्बन्ध में अगर किसी माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया हो तो उन आरोपों की मंत्री जी ने इनक्वायरी की या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझा नहीं ।

श्री राजनारायण मिश्र—

जहां पर जिलाधीश महोदय ने किसी व्यक्ति के खिलाफ अपनी रिपोर्ट लिख दी और किसी माननीय सदस्य ने, जैसे जिला कानपुर के सम्बन्ध में जिलाधीश की रिपोर्ट आयी थी, उसके सम्बन्ध में मैंने जब सदन में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सदन में नहीं रख सकते....

श्री अध्यक्ष—

यह आप बहस कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण मिश्र---

जहां पर मंत्री जी के सामने इस तरह की अनियमितताएं आयी हैं क्या उन्होंने इनक्वायरी की है ?

श्री सैयद अली जहीर---

वह किसी एक कानपुर की रिपोर्ट को कह रहे हैं। इस वक्त जिक्र हो रहा है मुजफ्फरनगर का। जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है उस वक्त जिलाधीश की जो राय थी, उसके मुताल्लिक रिपोर्ट थी। उसके बाद दूसरे जिलाधीश गये। एक आदमी को किसी वक्त बुरा समझा गया, पुरानी बातें हो सकती हैं, १९४६ में क्या हालत थी वह सब जानते हैं उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट भेजी ो यह नहीं समझा जाता था कि पुरानी रिपोर्ट गलत थी, उस वक्त के हालात में वह रिपोर्ट सही रही होगी। यह इस वक्त की रिपोर्ट है।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में क्लर्कों की लिस्ट

*१६---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर रीजन में जूनियर बुकिंग क्लर्क आफिस असिस्टेंट ग्रेड द्वितीय तथा जनरल क्लर्कों की जो लिस्ट सन् १९६३-६४ में बनाई गई थी, उसके रहते हुये दूसरी लिस्ट सन् १९६४-६५ में उन्हीं पदों के लिए बनाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

१९६३-६४ में बनाई गई लिस्ट की वैधता समाप्त हो जाने के कारण १९६४-६५ में दूसरी लिस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ी।

*१७---श्री उग्रसेन---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४-६५ में जो लिस्ट उपरोक्त पदों के लिये बनी है वह उन्हीं जगहों को भरने के लिये बनी है, जिन जगहों को भरने के लिये १९६३-६४ में लिस्ट बनी थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

प्रशासकीय कारणों से लिस्ट की एक साल की वैधता तक चुने गए १८६ अभ्यर्थियों में से केवल ८१ नियुक्त किये जा सके। शेष रिक्त पदों के लिये दूसरा चुनाव किया गया।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पहली लिस्ट जब बनी थी उस वक्त जनरल मैनेजर कुदेसिया थे, उसके बाद दो-चार महीने के बाद उनका स्थानान्तरण हुआ और मिस्टर सियाल जनरल मैनेजर हो गये। तो उन्होंने उस लिस्ट को खारिज कर दिया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

नहीं, इसकी वजह यह नहीं थी।

श्री उग्रसेन---

मैं यह जानना चाहता हूं, यह लिस्ट श्री कुदेसिया की अध्यक्षता में बनी थी। उनके जाने बाद जब श्री सियाल आये तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

लिस्ट खारिज नहीं हुई। उसमें से ८१ लोगों को लिया गया। शेष स्थान भरे नहीं गये। चूंकि एक साल हो गया इसलिए वह अवैध हो गयी।

श्री उग्रसेन---

यह लिस्ट किस तारीख को मुरत्तब और किस तारीख को खारिज हुई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

२६ मई, १९६३ को चुनाव हुआ था, उसमें यह लिस्ट बनी थी। ६४ तक लिस्ट में से ८१ अभ्यर्थी नियुक्त किये गये।

श्री उग्रसेन---

खारजा की तारीख क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

ऐसा नियम शासन का बना हुआ है कि लिस्ट बनाये जाने के एक साल बाद वह लिस्ट अवैध होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की विभाग से लिस्ट बनती है उसमें हजारों लोग बुलाये जात हैं और जगहें उसके लिये भरी नहीं जाती ह और दूसरे साल फिर लिस्ट कैंसिल करके नयी लिस्ट बनाई जाती है जिससे चुन लिये गये अभ्यर्थियों की जगह न भरी जाने क कारण काफी नुकसान होता है। इसे देखत हुए क्या माननीय मंत्री जी इसमें परिवर्तन करने की कृपा करेंगे कि एक बार बनाई हुई लिस्ट के जब तक सारे आदमी न ले लिये जायें तब तक दूसरी लिस्ट न तैयार की जाये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

हमारे शासन के आदेश इस प्रकार के हैं कि लिस्ट जो सेलेक्शन की होगी वह एक साल तक ही वैध होगी और उसके बाद खारिज हो जाएगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---

मैंने पूछा है कि इस प्रकार का जो आप के शासन का आदेश है उससे लोगों को असुविधा होती है तो क्या उस नियम में परिवर्तन करने का आप विचार करते हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

ऐसे आदेश पर विचार करने की आवश्यकता तो मालूम पड़ती है और विचार किया जाएगा।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस वर्ष यह लिस्ट तैयार की गयी थी, उस वर्ष कितने पद उस रीजन के लिये जनरल मैनेजर, परिवहन विभाग के यहां से स्वीकृत हो कर आये थे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

१५४ स्थानों की पूर्ति के लिये १८६ अभ्यर्थी चुने गये थे।

श्री उग्रसेन---

तो १५४ स्थान होते हुए भी उनमें से, लिस्ट में से केवल ८१ व्यक्ति ही क्यों चुने गये और बाकी स्थान उन्होंने क्यों नहीं भरे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

यह आवश्यक नहीं है कि जितने पद स्वीकृत हों उन सब पर भर्ती भी की जाये। सारे आदमी रखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी, इसलिये, कम ही रखे गये।

श्री उग्रसेन---

तो इसकी असली वजह मैं बताता हूं। क्या स्याल साहब ने ३०० रुपये प्रति उम्मेदवार लेकर लिस्ट के आदमियों को नहीं भरा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

ऐसी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ऊदल---

जैसा कि मंत्री जी ने कहा, तो क्या उस नियम में परिवर्तन कराने का विचार करेंगे और तब तक क्या इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो लिस्ट बने उसके जब तक सारे उम्मीदवार न ले लिये जायें तब तक अगला सेलेक्शन न हो।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हरीशकुमार गंगवार---

इस बात को देखते हुये हजारों आदमी इस विभाग में अस्थायी हैं हजारों आदमी ऐसे ह जिनका सेलेक्शन खारिज कर दिया जाता है। बुकिंग क्लर्क्स और कंडक्टरों आदि की लिस्ट इस प्रकार की बनती ह और इससे अधिकारी लोग मनमानी करते हैं.....

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

इसे देखते हुये कि व्यापक धांधलेबाजी इस विभाग में व्याप्त है, एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति माननीय मंत्री जी करने की कृपा करेंगे ? जो ऐडमिनिस्ट्रेशन में इस प्रकार की फैली हुई धांधली की जांच करे। क्या इस प्रकार की कमेटी मंत्री जो बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

ऐसी कमेटी की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

*१८---श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रोडवेज वर्कशाप, कानपुर के मजदूरों को अन्तरिम सहायता न मिलना

*१९---श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जनवरी, सन् १९६२ में दिया गया अन्तरिम सहायता का लाभ चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में काम करने वाले वर्कचार्ज्ड मजदूरों को विशेष राज्यादेश द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो उक्त प्रकार का आदेश जारी करके रोडवेज वर्कशाप, कानपुर के १,५०० वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को क्यों नहीं कराया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रक्षपालसिंह—

जिस राज्यादेश का इसमें उल्लेख है क्या उसके अधीन जिस प्रकार अन्य राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता मिली है, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के ऐसे वर्गों के कर्मचारियों को भी अन्तरिम सहायता मिलती है या नहीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सन् १९६२ में जो ५ रुपये प्रतिमास की ऐडहाक वेतनवृद्धि दी गयी थी वह वर्कशाप के कर्मचारियों को नहीं दी गयी है ।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या यह सही है कि कानपुर वर्कशाप के १५ हजार कर्मचारी अपने प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अधिकारियों से मिले थे और अपनी मांग रखी थी कि जो सहायता अन्य कर्मचारियों को दी गयी है उनको भी दी जाय। तो ऐसी साधारण मांग जो इस मंहगाई के जमाने में उनको मिलनी चाहिये सरकार को देने में क्या आपत्ति है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वर्कशाप के कर्मचारियों को दूसरे प्रकार से लाभान्वित किया गया है । उनको दैनिक वेतन में २० पैसे प्रतिदिन की वृद्धि कर दी गयी है ।

बस स्टेशन, हैदरगढ़ पर अव्यवस्था की शिकायत

*२०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री सिद्दीकी, बस स्टेशन इन्चार्ज, हैदरगढ़, बाराबंकी, लखनऊ में रहते हैं ? केवल कभी-कभी हस्ताक्षर बनाने हैदरगढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वहां बड़ी अव्यवस्था है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्री सिद्दीकी हैदरगढ़ के बस स्टेशन इन्चार्ज नहीं है। जांच में वहां कोई अव्यवस्था नहीं पाई गई । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*२१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेशन इंचार्ज ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि कोई कंडक्टर चालान मिल जाने पर हैदरगढ़ से टिकट न बनावे इससे यात्रियों को कठिनाई होती है और बसें खाली चली जाती हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं ।

*२२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैदरगढ़ बस स्टेशन पर कौन-कौन क्लर्क कितने दिनों से हैं, उनके कब, कहां ट्रांसफर हुये और दुबारा पुनः इसी स्टेशन पर नियुक्ति का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सर्वश्री हसीब हुसैन, मोहम्मद रजा व सी०एम० लाल १-४-५५, १-३-५७ व ४-५-६४ से हैदरगढ़ में हैं ।

इन तीनों क्लर्कों में से केवल श्री हसीब हुसैन का ट्रान्सफर जनहित में अक्तूबर, १९५९ में लखनऊ को कर दिया गया था । उनके स्थान पर श्री एस० एस० अग्निहोत्री को भेजा गया था, पर श्री अग्निहोत्री वहां नहीं पहुंचे । तब श्री हसीब हुसैन को वहां वापस भेजा गया ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी प्रश्न संख्या २२ के उत्तर में बताया है कि मुहम्मद हुसीब वहां सन् १९५५ से नियुक्त हैं और उनका ट्रांस्फर जनहित में किया गया था लेकिन उन्होंने छुट्टी ले ली और वह नहीं गये । उनके खिलाफ यह शिकायत है कि उन्होंने पैसेंजरों से मारपीट की और स्टेशन का टीन बेंच लिया । वे वहां लकड़ी का व्यापार भी करते हैं और दस वर्षों से निरन्तर वहां मौजूद हैं, जब से स्टेशन वहां खुला है तब से लगातार काम कर रहे हैं तो क्या मंत्री जी जांच कराकर उनको वहां से हटायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

अगर लिखित शिकायत आवेगी तो जांच कराकर कार्यवाही की जायगी ।

देहरादून रोडवेज विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत

*२३---श्री ऊबल---

क्या सरकार का ध्यान ३७, झंडा बाजार, देहरादून से प्रकाशित होने वाली पाक्षिक "देहरा पत्रिका" के अंक ९, दिनांक १५ जनवरी, सन् १९६५ की ओर गया है जिसमें मुख्य पृष्ठ पर रोडवेज विभाग में "नौकरशाही का खुला नाच" की हेडिंग लगा कर उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग और विशेष कर देहरादून रोडवेज विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार, पक्षपात, बेइन्साफी का आरोप लगाया गया है और अलग-अलग-(१) चापलूसी सफल, कर्मठता असफल, (२) पक्षपात और अन्याय की प्रयोगशाला, (३) दुर्व्यवहार और जासूसी का कमाल, (४) हसीनों और मशीनों के बीच का द्वन्द, (५) रहस्यमय नियुक्ति और त्याग-पत्र के नाम से काफी शिकायतें प्रकाशित की गई हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन शिकायतों की जांच करा कर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

शिकायतों की जांच कर ली गई है । शिकायतें निराधार पाई गई ।

माताटीला बांध में डीजल तेल के कम प्राप्त होने की जांच

*२४---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या सरकार ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ओवरसियर से १९७.५० गैलन डीजल आयल कम पाने पर केवल डीजल की कीमत जमा करा कर उसे अधिक लगन और उत्साह से काम करने की चेतावनी देना ही क्यों उचित समझा गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सजा उतनी ही दी जाती है जितना कि दोष पाया गया हो। संबंधित ओवरसियर का काम अच्छा था। कुछ खामियां उसमें जरूर थीं लेकिन उसमें एक अच्छे ओवरसियर बनने की क्षमता थी अगर वह थोड़ा अधिक परिश्रम, लगन तथा निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह समझा गया कि अगर उसे चेतावनी दे दी जाय तो वह भविष्य में सतर्क रहेगा और पुनः उसी प्रकार की गलती नहीं करेगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

मेरे पास यह सूचना है कि आश्वासन समिति की रिपोर्ट में यह लिखा है कि यह रकम ओवरसियर से वसूल की गई और समिति अधिकारी ने अधीक्षक का पत्र जो मेरे पास भेजा है उसमें लिखा है कि ओवरसियर को चेतावनी दे दी गई और इस रकम को २० प्रतिशत एक चौकीदार से और १० प्रतिशत दूसरे चौकीदार से वसूल करने के आदेश दे दिये गये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रकम सही माने में ओवरसियर से वसूल की गयी या चौकीदारों से वसूल की गई या वसूल ही नहीं की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास यह सूचना है कि १४-४-६५ को ४९३.५० पैसे ओवरसियर से वसूल किये गये।

मुरादाबाद में नलकूप, ८५, हसनपुर गुरु

*२५—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद में नलकूप ८५, हसनपुर गुरु किस सन् में बना था और किस सन् में उसका रिबोरिंग हुआ और उस पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसा कोई नलकूप नहीं है।

*२६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह नलकूप इस समय कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न ही नहीं उठता।

पावर लाइन कनेक्शन सिक्योरिटी

*२७—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री बेदराम (जिला एटा), श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विभाग के समस्त अभियन्ताओं को यह आदेश दिये गये हैं कि पावर कनेक्शन के लेने वालों द्वारा सिक्योरिटी जमा कर देने के बाद जल्दी से जल्दी उपभोक्ता की लाइन आदि सब इस्टीमेंट बना कर उसे दे दिया जावे ताकि उपभोक्ता उसे शीघ्र जमा कर सके ? यदि हां, तो इनका पूर्णरूप से पालन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। निर्देशों का पालन करने में अभियन्ताओं द्वारा कोई भी कठिनाई नहीं बतलाई गई है।

नोट—तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२८---श्री राजेन्द्रसिंह, श्री बेदराम, श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतल येंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिन्हें १९६४ में पावर लाइन कनेक्शन की सिक्योरिटी के जमा कर देने के बाद भी ६ महीने या इससे अधिक समय तक पावर लाइन कनेक्शन न दिया तथा इसका क्या कारण रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---

१,४४९ ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने १९६४ में पावर लाइन सिक्योरिटी जमा कर दी थी और जिनको ६ महीने या उससे अधिक समय तक पावर कनेक्शन नहीं दिये जा सके। इसके कारण आवश्यक उपकरणों की प्राप्ति में कठिनाइयां और उपभोक्ताओं की ओर से कनेक्शन लेने के हेतु असमर्थता है। कहीं कहीं पर रेलवे लाइन या किसी व्यक्तिगत भूमि के ऊपर से लाइन ले जाने के लिये स्वीकृति न मिल सकने के कारण भी कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

कोकन्दग झील से निकली ड्रेनेज

*२९---श्री पंचमदास (जिला हरदोई)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ककिदवां, हुसैनपुर, धुसयहां परगना व तहसील संडीला, जिला हरदोई में जो तालाब है क्या उससे कोई ड्रेनेज सई नदी में गिरती है ?

श्री गिरधारीलाल---

सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित ४ फर्लांग ५९४ फीट लम्बी ड्रेन है जो कि कोकन्दग झील से निकल कर हुसैनपुर की हरदवाला झील में गिरती है। इस ड्रेन को २ मील ५ फर्लांग ६६ फीट और बढ़ा कर प्राकृतिक नाले से मिलाने का प्रस्ताव है जो कि सई नदी में गिरेगा।

*३०---श्री पंचमदास---

यदि हां, तो उसकी खुदाई व सफाई कब से नहीं हुई है जिसके कारण पानी भरा रहता है और जनता पीड़ित रहती है ? खुदाई न होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार खुदाई करवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

उपर्युक्त ४ फर्लांग ५९४ फीट लम्बी ड्रेन की सफाई जून, १९६४ में कराई गई थी और इस के विस्तार का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

बस डिपो, राठ के कर्मचारियों से दावत के लिये रुपया लेने की शिकायत

*३१---श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)---

क्या यह सत्य है कि दिनांक ५ सितम्बर, १९६३ को हरपालपुर में जो ए० टी० आई० शर्मा द्वारा जनरल मैनेजर साहब को दावत दी गई जिसमें हरपालपुर के सेठ लछमनदास और सेठ नन्दलाल भी थे, उसका रुपया राठ डिपो के कर्मचारियों ने चुकाया, जिसके बिल अब भी राठ डिपो के कर्मचारियों के पास हैं और जिन पर हरपालपुर बस स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के हस्ताक्षर हैं ?

श्री मजफ्फर हसन---

जी नहीं।

*३२—श्री डूंगरसिंह—

क्या यह सत्य है कि जनरल मैनेजर साहब की इसी प्रकार की तीन दावतें लहचूरा बांध पर और हुईं जिनके खर्च का भुगतान राठ डिपो के कर्मचारियों ने किया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं ।

हाई कोर्ट, इलाहाबाद में अपीलें

*३३—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६०, १९६१, १९६२, १९६३ तथा १९६४ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग-अलग किस वर्ष में कितने फौजदारी के अपील दायर की गईं और किस वर्ष कितनी अपीलें तय की गईं हैं और ३१ दिसम्बर, १९६३ तक कुल कितनी अपीलें पेंडिंग में हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १९३ पर)

*३४—श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त चार वर्षों की कुछ अपीलें ऐसी हैं जिनका निर्णय मुल्जिम की सजा भुगतने के बाद हुआ है ? इसका कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां । पुरानी अपीलों की सुनवाई के कारण तथा अपील ग्रहण होने के पश्चात् उच्च न्यायालय के कार्यालय द्वारा सजा की अवधि पर ध्यान न देने के कारण ।

गंगाराम वाला सहकारी फार्म पर नलकूप निर्माण

*३५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगाराम वाला कृषि सहकारी फार्म, बिजनौर पर सरकारी ट्यूबवेल कब बना और उस पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

दिसम्बर, १९५७ में बना और ८२,४९८ रु० व्यय हुये ।

*३६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या गंगाराम वाला सहकारी फार्म पर सरकारी ट्यूबवेल बनाने के विरुद्ध इंजीनियर ने अभिमत दिया था ? यदि हां, तो ट्यूबवेल क्यों बनाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*३७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उस सरकारी ट्यूबवेल से अब तक कितनी आय हुई और कितना खर्च हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

३९ रु० की आय हुई और रख रखाव में ३,३३१.३६ रु० खर्च हुये।

बलिया जिले में नलकूप की नालियां

*३८—श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत बलिया ग्रुप के बैरिया, बलनछपरा, भगवानपुर, सोनबरसा और दुधैला नलकूप की नालियां गत एक साल से ध्वस्त पड़ी हैं और बारंबार विभागीय कर्मचारियों के पास लिखित शिकायत भेजने पर भी इन नालियों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, केवल नलकूप दुधेला पानी की मांग न होने के कारण उपयोग में नहीं आ रहा है।

*३९—श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त नालियों की मरम्मत न होने से सैकड़ों एकड़ जमीन की पैदावार समय से पानी न मिलने कारण सूख गई तो उसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग लेने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

शाहजहांपुर क्षेत्र में नलकूप आपरेटर्स के तबादले

*४०—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप सिंचाई विभाग डिवीजन, शाहजहांपुर में इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ट्यूबवेल आपरेटर्स के तबादले सन् १९६२ से १९६४ तक किस आधार पर किये ?

श्री गिरधारीलाल—

यह तबादले जनता के हितार्थ (in public interest) किये गये हैं।

*४१—श्री बलवानसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इक्जीक्यूटिव इंजीनियर (ट्यूबवेल), शाहजहांपुर ने ट्यूबवेल आपरेटर्स के तबादले सन् १९६२ से १९६४ तक कितने किये और उसमें से ऐसे कितने हैं जिनका ३ साल होने पर तबादला नहीं किया गया और ऐसे कितने ट्यूबवेल आपरेटर्स हैं जिनके तबादले ३ साल में बार-बार किये गये ? इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

सन् १९६२ से १९६४ तक कुल नलकूप चालकों के ३४१ स्थानान्तरण किये गये। ५७ नलकूप चालक ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण ३ वर्ष पूर्ण होने पर भी नहीं किया गया। २२ नलकूप चालक ऐसे हैं जिनके ३ वर्ष में एक बार से अधिक स्थानान्तरण हुये। चूंकि इस प्रकार के स्थानान्तरण केवल जनता के हितार्थ तथा प्रशासकीय कारणों से किये गये अतः इससे राजकीय हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

*४२—श्री बलवानसिंह—

शाहजहांपुर डिवीजन के कितने ट्यूबवेल आपरेटर्स स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं और वह अस्थायी ट्यूबवेल आपरेटर्स कितने साल से नौकरी में हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

शाहजहांपुर में ११० नलकूप चालक स्थायी हैं और १८९ नलकूप चालक अस्थायी हैं तथा ३८ नलकूप चालक परिवीक्षा (on probation) पर हैं। अस्थायी नलकूप चालक सन् १९६० या इसके बाद से नौकरी में हैं।

बांसगांव तहसील में भेंड़ीताल से पानी न निकलना

*४३—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में भेंड़ीताल से पानी न निकालने के कारण कितने एकड़ भूमि में बुआई नहीं हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

३०० एकड़ के लगभग।

*४४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार इस ताल से पानी निकासी की व्यवस्था शीघ्र करने की कृपा करेगी ताकि उससे पानी निकलने के बाद फसल बोई जा सके ?

श्री गिरधारी लाल—

इस ताल का पानी निकालने के लिये लगभग ५ फर्लांग लम्बी एक ड्रेन की आवश्यकता है और वर्तमान आदेशों के अनुसार इसके निर्माण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम सभा पर है।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं का वेतन

*४५—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा), श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत सितम्बर, १९६४ से उनके विभाग में सहायक अभियन्ताओं की नव नियुक्ति ३५० रु० प्रति मास पर होना निश्चित हुआ है, परन्तु पदोन्नति सहायक अभियन्ताओं को यह वेतन नहीं दिया जाता ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

*४६—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री अहमद बख्श तथा श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि जब दोनों प्रकार के सहायक अभियन्ताओं के कार्य (नेचर आफ ड्यूटीज) एक ही हैं, तो वेतन में इस प्रकार से भेदभाव क्यों रखा गया है ? और यह कब दूर कर दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की कमी को देखते हुए सरकार ने ५० रुपये का वैयक्तिक वेतन जो आगामी वेतन वृद्धि में विलीन कर दिया जाता है, नये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, जो सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त किये जाते हैं, देना स्वीकार कर लिया है। पदोन्नत अधिकारियों को यह वेतन इस समय नहीं दिया जाता है (Pay Rationalisation committee) की रिपोर्ट के आधार पर इस विषय पर विचार किया जायगा।

बांसगांव तहसील में जल निकासी

*४७—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन क्षेत्रों में पानी भर जाया करता है उस पानी के निकालने की कोई धनराशि इस वर्ष सरकार ने स्वीकृत की है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम मोहाल जल कर कोईलीखाल, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर से पानी निकासी के आदेश शीघ्र देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

पहला भाग—जल निकासी योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में ८५,६२,७०० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है।

दूसरा भाग—इस ग्राम के जलनिकास की कोई योजना नहीं है।

जुडीशियल आफिसर्स, फतेहपुर की अदालतों में जमानत के मामले

*४८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६४-६५ के वित्तीय वर्ष में पुलिस चालानी कितने मुकदमों के किन-किन मुल्जिमों की जमानतों के प्रार्थना-पत्र किन-किन तिथियों को फतेहपुर के जुडिशियल आफिसरों के न्यायालयों में दिये गये और किन-किन तिथियों में जमानतें मंजूर हुयीं तथा किन-किन तिथियों में रिहाई के परवाने जारी हुये ?

श्री सैयद अली जहीर—

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में पुलिस चालानी जिन मुकदमों के मुल्जिमों ने जिन तारीखों को जमानत की अर्जियां दीं, जिन तारीखों को वे मंजूर हुईं और जिन तारीखों को रिहाई के परवाने जारी हुए उनका पूरा ब्योरा† फतेहपुर के दोनों जुडीशियल आफिसरों की अदालतों के सम्बन्ध में अलग-अलग संलग्न है। यह ब्योरा केवल उन मुकदमों के बारे में है जिनकी फाइलें जुडीशियल अफिसरों की अदालतों में मौजूद हैं। जिन मुकदमों का फाइलें अपील आदि के सम्बन्ध में अन्य अदालतों को गयी हैं उनके सम्बन्ध में सूचना संलग्न ब्योरे में सम्मिलित नहीं हैं।

माताटीला बांध अधिकारियों की जमानत

*४९—श्री लखपतराम शर्मा—

सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि माताटीला बांध झांसी के भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व एक ओवरसियर के विरुद्ध मुकदमें के सिलसिले में उन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जमानत करवाई ?

श्री गिरधारीलाल—

प्राप्त सूचना के अनुसार इन व्यक्तियों ने मजिस्ट्रेट, करेरा (पिछोर), जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के न्यायालय में उपस्थित होकर जमानतें करवाईं।

---

†छापा नहीं गया।

बरेली जिले में नलकूप गूलों का निर्माण

*५०—श्री बेदराम तथा श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बरेली स्थित ग्राम पनवड़िया, मीरापुर, ठिरिया खेतल, जगतपुर, डिबना, गहबरा, कुतुबपुर, घनेटा आदि के नलकूपों की गूलों के अभी के निर्माण में कम से कम ६–७ लाख ईंट अव्वल के बजाय घटिया किस्म की लगाई गई है और पेमेंट अव्वल का कर दिया गया है ? यदि हां, तो जिम्मेदार आफिसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

पहला भाग—जी नहीं।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज बरेली क्षेत्र में कन्डक्टरों की नियुक्ति

*५१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली के सहायक मुख्य प्रबन्धक (यातायात) ने अपने पत्र संख्या ए० जी० एम० बी०–टेस्ट–६५–५७, तिथि २१ अप्रैल, १९६५ द्वारा २७ मार्च, १९६४ में पास हुये तथा बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाये हुये ५० कण्डक्टरों के उम्मीदवारों को फिर से नोटिस देकर २ मई, १९६५ को फिर से टेस्ट देने को बुलाया है और यह कहा है कि पिछली लिस्ट पुरानी हो गई, रद्द की जाती है ? यदि हां, तो प्रशिक्षित कण्डक्टरों की भी सूची रद्द करने के क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ट्रेनिंग पाये ५० कन्डक्टरों में से ३० को दोबारा टेस्ट के लिये बुलाया गया क्योंकि इनकी नियुक्ति एक साल के अन्दर नहीं हो सकी। सरकारी आदेशानुसार चुनाव सूची की मान्यता एक साल के बाद समाप्त हो जाती है।

नलकूप मण्डल, मुरादाबाद में ड्राफ्ट्समैन का निलम्बन

*५२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

प्रथम सत्र १९६५ के चौथे मंगलवार (२ मार्च, १९६५) को श्री हुकुम सिंह राठौर द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या १२, १३, १४ के सन्दर्भ में क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता, टयूबवेल डिवीजन ने अपनी जांच रिपोर्ट में ड्राफ्ट्समैन को निलम्बित करने की सिफारिश नहीं की थी फिर भी उसे निलम्बित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

अधिशासी अभियन्ता ने अपनी रिपोर्ट में सम्बन्धित ड्राफ्ट्समैन के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही करने की सिफारिश की थी। मामले की गम्भीरता को देखते हुए अधीक्षक अभियन्ता ने निलम्बित करना आवश्यक समझा।

पिंडरा बस स्टेशन

*५३—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर), श्री रघुनाथ (जिला बलिया) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बतायेगी कि रोडवेज डिपो जौनपुर के स्टेशन पिंडरा में बस स्टेशन नहीं है और वहां एक ही बुकिंग क्लर्क है ? क्या वहां दो बुकिंग क्लर्क रखने तथा बस स्टेशन बनवाने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

बस स्टेशन है जो किराए की इमारत में है और वहां एक ही बुकिंग क्लर्क है।

वहां बस स्टेशन बनवाने तथा दो बुकिंग क्लर्क रखने का विचार अभी नहीं है।

*५४--श्री रघुवीर श्री रघुनाथ तथा श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी से जौनपुर जो नान-स्टाप बस चलती है, उसे पिंडरा में रोकने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब से और कितनी नान-स्टाप बसें चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

लखनऊ-वाराणसी मेल को छोड़ कर सभी नान-स्टाप बसें अब कुछ समय से पिंडरा में रुकती हैं।

लखनऊ-वाराणसी मेल को मिला कर कुल पांच नान-स्टाप बसें चलती हैं।

बस स्टेशन, बड़हलगंज के लिये भूमि

*५५--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में बड़हलगंज बस स्टेशन बनाने के लिये जो योजना सरकार के विचाराधीन थी उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और इसका कुल प्राक्कलन कितने का है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

भूमि का चुनाव कर लिया गया है लेकिन कुल प्राक्कलन भूमि के मिल जाने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

*५६--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो स्थान बस स्टेशन बनाने के लिये चुना गया है वह कितना है और उसकी चौहद्दी क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

चुने गये स्थान का क्षेत्रफल २.२४ एकड़ हैं और उसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :

उत्तर में--३ प्लाट नं० १३३, ७५१ व ७५२ हैं। प्लाट नं० १३३ में ग्राम गरथौली तथा श्री जगत नारायण का खेत है। प्लाट नं० ७५१ में पोखरी है। प्लाट नं० ७५२ में श्री झगड़ू का घर एवं उसका खेत है।

दक्षिण में--२ प्लाट नं० २१३ व २१४ हैं। प्लाट नं० २१३ में ग्राम बोधपार है तथा प्लाट नं० २१४ में श्री त्रिलोकी पांडे का खेत है।

पूर्व में--२ प्लाट नं० १३९ तथा १४२ हैं। प्लाट नं० १३९ में ग्राम गरथौली तथा श्री त्रिलोकी आदि के खेत हैं। प्लाट नं० १४२ में मु० मैना आदि के खेत ह।

पश्चिम में--३ प्लाट नं० ५६२, ५६३ व ५६४ तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क है।

रोडवेज डिपो, जौनपुर में जमानत न देने वाले कर्मचारी

*५७--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर रोडवेज डिपो में कितने ऐसे कर्मचारी कब से कार्य कर रहे हैं जिनको २५० रु० नकद व २५० रुपये किस्त में जमानत का रुपया जमा

करना चाहिये था और उनसे बिला जमानत जमा कराये कार्य लिया जा रहा है ? जिन लोगों ने इनकी नियुक्ति की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

झांसी में एलफील्ड गैराज कम्पनी को अप्रूव्ड लिस्ट से हटाना

*५८—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया प्रश्न ६६, २७ अप्रैल, १९६५ के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि एलफील्ड गैराज, झांसी के विरुद्ध उसकी सरकारी मान्यता छीन लेने के उपरान्त जिलाधीश, झांसी को ५ सितम्बर, १९६४ को उक्त सूचना दिये जाने पर भी क्या यह सत्य है कि झांसी के हर सरकारी विभाग द्वारा अप्रैल, १९६५ तक बराबर उक्त कम्पनी से टेन्डर मांगे गये व काम दिया गया ? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा सरकारी आदेश किस तिथि व किस माह में अन्य विभागों को भेजा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

शारदा विद्युत केन्द्र, नैनीताल में कर्मचारियों के क्वार्टर

*५९—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा विद्युत उत्थान केन्द्र लोहिया हेड, नैनीताल में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें क्वार्टर नहीं दिया गया ? और कितने कर्मचारियों का टी० ए० का रुपया एक वर्ष से नहीं दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

एक भी नहीं।

फतेहगढ़ में बिजली दर

*६०—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फतेहगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को सरकार जिस दर पर बिजली सप्लाई करती है तथा बिजली सप्लाई कम्पनी जिस दर पर जनता को सप्लाई करती है, उसमें बड़ा अन्तर है ? यदि हां, तो जनहित में इस अन्तर को सरकार कम करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, फतेहगढ़ को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दी जाने वाली बिजली की दरों में तथा उक्त कम्पनी द्वारा जनता को दी जाने वाली बिजली की दरों में अवश्य अन्तर है। इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की छठी अनुसूची के अनुसार बिजली कम्पनी को अधिकार है कि वह बिजली के विक्रयार्थ अपने दरों का सांविधिक पुनर्निर्धारण करके दरें इस प्रकार व्यवस्थित करे कि जिससे किसी भी वर्ष में उसका खालिस लाभ, जहां तक हो सके, उचित आय की रकम से बढ़ने न पाए। इसी प्राविधान के अनुसार फर्रुखाबाद बिजली कम्पनी ने अपनी दरें निर्धारित की हैं, अतः उक्त दरों के अन्तर को कम करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई उद्योगशाला, झांसी के अस्थायी कर्मचारी

*६१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि सिंचाई उद्योगशाला (झांसी) में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें ३ वर्षों से अधिक समय से काम करने के उपरान्त भी न तो मुस्तकिल ही किया गया और न उन्हें महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई उद्योगशाला, झांसी में २० सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थायी स्थान रिक्त न होने के कारण अभी तक अस्थायी हैं। उनको महंगाई भत्ता मिलता है।

ऐसे ३४ और अन्य कर्मचारी हैं जो कि दैनिक दर वाले श्रमिक (डेली रेटेड वर्कमैन) हैं जिनको नियमानुसार एकमुश्त मजदूरी (कान्सोलीडेटेड वेजेज) दिये जाते हैं। उनको महंगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के लिये चुनाव समिति

*६२—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सीतापुर में आनरेरी मैजिस्ट्रेट चुनने की जो कमेटी है, उनके सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १९४ पर)

गोंडा में डी० जी० सी० रेवेन्यू का रिक्त पद

*६३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा में डी० जी० सी० रेवेन्यू की जगह जो श्री सफीउल्ला के बाद खाली हुई है उस पर कोई नियुक्ति की गई या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—

अभी कोई नियुक्ति नहीं की गई।

रोडवेज व प्राइवेट बसों के कामन रूट

*६४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से ऐसे रूट हैं जिन पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों बसें चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूची† सदन की मेज पर रखी गई।

---

†छापी नहीं गई।

*६५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६५–६६ के अन्दर किस-किस रूट को नेशनलाइज कर लिया जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

आजमगढ़ जिले में श्री रामयश चौबे को सहायता

*६६—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के एक पुराने कर्मठ कार्यकर्ता श्री रामयश चौबे को, कन्या की शादी के लिये सहायता रूप में ४०० रु० का अनुदान सन् १९६३–६४ में स्वीकृत हुआ था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

*६७—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि वह अनुदान उक्त कार्यकर्ता को उनके पिता का नाम श्री रामवचन चौबे के स्थान पर केवल वचन चौबे लिखा हुआ होने के कारण अब तक नहीं मिल सका ?

*६८—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस तनिक सी गलती को शुद्ध कराने में उक्त कार्यकर्ता को काफी परेशानी तथा आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। परन्तु अब श्री चौबे को स्वीकृत अनुदान का भुगतान २८ जुलाई, १९६५ को कर दिया गया है।

बादशाहपुर के तालाब से पानी निकालने की प्रार्थना

*६९—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशाहर) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, सयाना (जिला बुलन्दशहर) में जो ग्राम बादशाहपुर का तालाब वर्षा ऋतु में चारों ओर पानी से घिर जाता है और वहां की फसलों को वर्षा का पानी लगभग नष्ट कर देता है तो उक्त गांव को वर्षा के पानी से बचाने के लिये सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग : जी नहीं।

द्वितीय भाग : ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि उसकी अनुमानित लागत होन वाले लाभ की अपेक्षा अधिक होगी।

रोडवेज क्षेत्र, इलाहाबाद में ड्राइवरों का भत्ता

*७०—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद सब-डिपो में कितने ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों को कितने दिनों का नाइट हाल्टेज तथा माइलेज का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है और वह कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जून, १९६५ तक के माइलेज भत्ता व नाइट एलाउंस का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*७१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह भी सही है कि अप्रैल, १९६४ का एरियर नाइट हाल्टेज तथा माइलेज अब तक शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

इटावा जिले में ऐरवा कटरा नाला

*७२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के ऐरवा-कुदरैल (इटावा) नाला कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐरवा कुदरैल नामक कोई नाला नहीं है। ऐरवा कटरा नामक नाला है और इस पर इस वित्तीय वर्ष में काम समाप्त हो जाने की आशा की जाती है।

*७३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सत्य है कि कुछ दिन पूर्व उक्त नाले के निर्माण के लिये कोई सर्वे विभाग द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक नाला न बनवाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, ऐरवा कटरा नाले का सर्वेक्षण कराया गया था और इस पर काम भी चालू है।

अमेठी रजबहा से सिंचाई

*७४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा नहर, लखनऊ डिवीजन सर्किल नं० ६ रजबहा अमेठी, कुलाबा नं० १६ के विभाजन से कितने कृषकों को सुविधा सिंचाई की प्राप्त हुई है और उपरोक्त कुलाबे के विभाजन से कितनी भूमि की सिंचाई दो वर्षों से कुलाबा नं० १६ तथा १६-अ से हुई है तथा विभाजन से पूर्व कितनी होती थी ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १९५ पर)

*७५—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार के पास कुछ कृषकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनको विभाजन के पश्चात् कुलाबा नं० १६-अ से सिंचाई की सुविधा है और इसी से सिंचाई चाहते हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, केवल एक कृषक का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच की गई किन्तु उचित नहीं समझा गया कि विभाजन किये गये इन कुलाबों के क्षेत्रों (कम.ड) का पुनः संशोधन ठीक न होगा ।

लखनऊ में अशोक मार्ग पर बस दुर्घटना

*७६—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ अप्रैल, १९६५ को कैसरबाग, लखनऊ, से गोंडा बलरामपुर जाने वाली बस से अशोक मार्ग पर काठ के पुल के पास कोई दुर्घटना हो गई ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । एक व्यक्ति की मृत्यु हुई ।

*७७–७८—श्री होरीलाल यादव—

[हटा दिये गये ।]

नलकूपों के लिये ट्रान्सफार्मर्स

*७९—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के प्रत्येक जिले में नलकूपों के लिये ट्रांसफार्मर्स की कमी को दूर करने के लिये वह क्या उपाय कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

नलकूपों के लिये काफी संख्या में ट्रान्सफार्मर्स का आर्डर कर दिया गया है जिनमें से कुछ तो आ गये हैं और शेष आते जा रहे हैं ।

[निधपुर] परगना में नालों का निर्माण

*८०—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना निधपुर, विकास क्षेत्र गंजडुंडवारा, जिला एटा के ग्राम धर्नासिंहपुर से सुतिया तक एवं ग्राम नागर से बुढ़गंगा तक क्रमशः जो ५३ हजार रुपया एवं ११ हजार रुपये की अनुमानित लागत के नालों की योजना बनाई गई है उसको अभी तक कार्यान्वित न किये जाने का क्या कारण है तथा क्या वे जून, १९६५ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायंगे ताकि आने वाली वर्षा में गांव के लोगों को असुविधा न हो सके ?

श्री गिरधारीलाल—

धर्नासिंहपुर और नागर नाले के निर्माण की योजना है । नागर नाले पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है केवल एक पुल तथा एक फाल का निर्माण होना बाकी है । आशा है कि यह नाला इस वर्षा में कार्य करेगा ।

धर्नासिंहपुर नाला, ग्राम धर्नासिंहपुर व भीकमपुर से गुजरता है। धर्नासिंहपुर के कृषकों की रजामन्दी से ३ फर्लांग लम्बा नाला खोदा जा चुका है परन्तु भीकमपुर वाले इसके विरोध में हैं। जिलाधीश एटा से बातचीत की जा रही है और आशा है कि भूमि पर अधिकार शीघ्र ही मिल जावेगा जिसके बाद नाले पर कार्य किया जा सकेगा।

मोटर दुर्घटनाओं संबंधी मुआवजा देने के लिये ट्रिब्युनल

*८१—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह मोटर वेहिकिल्स अधिनियम की दफा ११० के तहत मोटरों से हुए हादसों का मुआवजा तय करने के लिये ट्रिब्यूनल बनाने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक और उनमें कौन कौन मेम्बर होंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

Tribunal बनाने का फैसला तो हो ही चुका है परन्तु अभी यह तय नहीं हो सका कि कब तक Tribunal स्थापित होगा और इसका constitution क्या होगा।

विद्युत् योजनायें

*८२—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजना में विद्युत योजनाओं पर कितना व्यय करने का लक्ष्य था और उसमें कितना व्यय होने की सम्भावना है तथा लक्ष्य पूरा न होने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में १०७·६० करोड़ रुपया व्यय करने का लक्ष्य था जिसमें १९६४–६५ तक करीब ८३·९० करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है तथा १९६५–६६ में ३४.६३ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अतः लक्ष्य से अधिक खर्च होने की आशा है।

*८३—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सारे विद्युत् उत्पादन केन्द्र एक ग्रिड में कब तक सम्मिलित हो जाने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य हो चुका है?

श्री गिरधारीलाल—

सन् १९६६ के अन्त तक प्रदेश के सारे विद्युत उत्पादन केन्द्र एक ग्रिड में सम्मिलित हो जाने की सम्भावना है। पश्चिमी क्षेत्र के विद्युत् गृहों को गंगा, शारदा ग्रिड से और मऊ तथा गोरखपुर विद्युत् गृहों को रिहन्द ग्रिड से सम्मिलित कर दिये गये हैं और अन्य विद्युत् गृहों को उनसे सम्बन्धित ग्रिड से तथा विभिन्न ग्रिडों को एक दूसरे से मिलाने का कार्य पर भी प्रगति हो रही है।

फर्रुखाबाद–फतेहपुर बस सर्विस

*८४—श्री रक्षपालसिंह—

क्या परिवहन मंत्री जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह फर्रुखाबाद फतेहपुर सिटी बस सर्विस में गाड़ियों की जो कटौती की गई है उसे समाप्त कर दिया जायगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

गाड़ी की जो कटौती की गई थी वह ३-५-६५ से समाप्त कर दी गई । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर तथा ड्राइवरों को पुरस्कार

*८५—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुर्घटना शून्य परिचालन के अपने व्यक्तिगत रिकार्ड पर नकद पुरस्कार देने की विभाग की जो योजना है सन् १९६३-६४ में इस योजना द्वारा किन-किन को कितना पुरस्कार दिया गया और उनका व्यक्तिगत रिकार्ड क्या था ?

*८६—क्या रोडवेज टेकनीशियन की विशेष प्रशिक्षा के लिये हमारे प्रदेश में सुविधाएं उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सिंचाई विभाग, वाराणसी में नलकूप वायरिंग का पेमेन्ट

*८७—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल गोविन्दपुर, बैकुन्ठपुर, बरईपुर, दर्रा, सहसपुर, नारायनपुर सिंचाई विभाग, वाराणसी गंगानदी के पूरब है जिसकी वायरिंग का पेमेन्ट नवम्बर, सन् १९६४ में हुआ था और उसका पुनः फरवरी, १९६५ में वर्क आर्डर कर के दोबारा वायरिंग का पेमेंट किया गया है जब कि वायरिंग को ६ वर्ष तक रहना चाहिये ? यदि हां, तो क्य सरकार इसकी जांच करेगी और दोबारा पेमेंट करने तथा दोबारा फर्जी वर्क आर्डर करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—इन नलकूपों में से कोई भी नलकूप ऐसा नहीं है जिसकी वायरिंग का पेमेंट नवम्बर, १९६४ में हुआ हो और उसका पुनः पेमेन्ट फरवरी, १९६५ में भी हुआ हो ।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

कोलअसला परगना में नलकूप

*८८—श्री ऊदल—

क्या सरकार अतारांकित प्रश्न संख्या ४, दिनांक ४ अगस्त, १९६४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नं० २३६/१ शिवदासपुर, वाराणसी की नाली जो ब्लाक काशी विद्यापीठ से सेवापुरी वाली रोड तक जाती है वह कच्ची है और उसे पक्की करने का कार्य वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ में पूरा करना था, तो क्या वह हो गया और चिमोहानी पर पटरे आज तक नही दिये गये हैं और कच्ची तथा पक्की नाली की सफाई सन्, १९६३ व १९६४ में कितनी बार की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लखित कच्ची गूल को पक्का करने का कार्य सीमेंट की कमी के कारण नहीं किया जा सका । त्रिमुहानी पर पटरे दे दिये गये हैं । शिवदासपुर नलकूप की पक्की गूल की सफाई १९६३-६४ में एक बार की गई । कच्ची गूल की सफाई नहीं की गई ।

मकरन्दनगर क्षेत्र में नलकूप की आवश्यकता

*८९—श्री होरीलाल यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकरन्दनगर विकास क्षेत्र कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में कोई ट्यूबवेल बनाने का विचार कर रही है ताकि इस ग्राम की ४०० एकड़ खेती को सिंचाई होने के साथ साथ ५,००० की आबादी को मीठा जल पीने को भी मिल सके ?

श्री गिरधारीलाल—

यहां पर नलकूप लगाना व्यवहार्य नहीं है ।

सेहदा ताल से नहर निकालने की प्रार्थना

*९०—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के बिरनों ब्लाक के ग्राम बोगना के किसानों की तरफ से ताल सेहदा से नहर निकालने की दरख्वास्त दिनांक १४ अप्रैल, १९६५ को सिंचाई मंत्री को दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

रायबरेली जिले में बसों से डाक ले जाना

*९१—श्री रतीलाल (जिला रायबरेली)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत लखनऊ रायबरेली डिवीजन की कितनी गाड़ी डाक ढोती हैं ? क्या यह सत्य है कि सरकार की तरफ से डाक ढोने के कन्डक्टर या ड्राइवर को उनकी तनख्वाह के अलावा भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो सन् १९६२ से १९६४ तक इस पर सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

चार गाड़ियां डाक ढोती हैं । केवल कन्डक्टर को भत्ता देने की व्यवस्था है । ४०० रुपया व्यय हुआ ।

मुरादाबाद में बिजली कनेक्शन न मिलना

*९२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १९६३-६४ व १९६४-६५ में मुरादाबाद जिले में कितने लोगों को पावर मन्जूर होने के बाद १५ रुपया जमा करने के बावजूद भी अब तक पावर नहीं मिली और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

१९६३-६४ और १९६४-६५ में मुरादाबाद जिले में २५ रुपया जमा करने के बावजूद क्रमशः ३४५ और १८ व्यक्तियों को कनेक्शन अभी तक नहीं दिये जा सके । इसके कारण हैं उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत प्राप्ति स्थान का निर्देश न करना, लाइन खर्च जमा न करना या ठेकेदार द्वारा कार्यपूर्ति का प्रमाण-पत्र न देना ।

*९३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९४–९५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मूढ़ा के निकट नहरी पुल की आवश्यकता

*९६—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद नहर शाख पर नहर निरीक्षण भवन मूढ़ा के पश्चिम में ग्राम रामनगर एवं करसेना के बीच में एक बड़ा पुल बनाने की योजना पर कब तक निर्णय लेकर पुल बनाने का कार्य सम्पन्न हो जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

संबंधित पुल के निर्माण की आवश्यकता की अभी जांच की जा रही है। जांच हो जाने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

एटा जिले में विद्युतीकरण

*९७—श्री बेदराम—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न संख्या १६, दिनांक २० अप्रैल, १९६५ नत्थी (ग) के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोरों विकास खंड, जिला एटा में किसी भी गांव को विद्युतीकरण करने के लिये न रखने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

राज्य विद्युत् परिषद् उन्हीं ग्रामों के विद्युतीकरण का काम अभी कर रही है जिनके विद्युतीकरण के लिये १००० जनसंख्या पर १ १/२ मील लम्बी लाइन का निर्माण करना पड़े । उक्त माप दंड के अनुसार विकास क्षेत्र सोरों, जिला एटा में इस वर्ष ग्राम नमैनी का विद्युतीकरण किया जा रहा है ।

*९८—श्री बेदराम—

क्या सिचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण तक कितने ग्रामों का सोरों विकास खंड में विद्युतीकरण हो जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्रामों में विद्युतीकरण की सूची विकास खंडों के अनुसार उपलब्ध नहीं है । जिला एटा में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण तक ७० स्थानों के विद्युतीकरण होने का प्रस्ताव है जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं । इनमें से ५९ स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १९६ पर)

बाराबंकी-टिकैतनगर बस सर्विस

*९९—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले में बाराबंकी से टिकैतनगर तक रोडवेज बस दरियाबाद होकर कब तक चालू होगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना ज्वाइंट लीगल रिमेम्ब्रेंसर के विचाराधीन है । उनके आदेश प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

*१००—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी कि रोडवेज की बसें टेम्पोरेरी तौर पर फिलहाल चालू कर दी जावें ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जनरल मैनेजर, लखनऊ क्षेत्र को आदेश दिया जा रहा है कि वे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी को परमिट प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दें। परमिट मिलने पर रोडवेज बस सर्विस चालू की जा सकेगी।

बिजनौर जिले में नलकूप

*१०१—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले की चार तहसीलें, बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद, धामपुर में क्रम से १९६२ से मई, १९६५ तक कितने सरकारी नलकूप किस-किस ग्राम में बनवाये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

बिजनौर जिले की चार तहसीलों बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद तथा धामपुर में १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मई, १९६५ तक क्रमशः २६, २९ तथा २८ नलकूप बनाये गये। शेष सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १९७ पर)

सलेमपुर तहसील में ड्रेन निर्माण पर व्यय

*१०२—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मायापुर ताल ड्रेन तथा हरखौली ताल ड्रेन कितनी मील लम्बी बनी है और प्रत्येक पर कितना खर्च हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

मायापुर ताल ड्रेन ११ मील की लम्बाई में बनी और इस पर ७६,३९० रुपया खर्च हुआ। हरखौली ताल ड्रेन १५ मील ७ फर्लांग लम्बी और इस पर ६६,५४६ रुपया व्यय हुआ।

*१०३—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री गोलबाजार, बड़हलगंज (गोरखपुर), बरहजबाजार तथा काजलपुर (देवरिया), नगरों में बचाव के लिये घाघरा पर कटाव सुरक्षा योजना लागू करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

*१०४—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि छोटी गंडक नहर (देवरिया) की योजना में क्या प्रगति है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस नाम की कोई योजना नहीं है।

गोरखपुर जिले में कथित विद्युतीकरण समिति

*१०५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने गोरखपुर जिले में जिला परिषद् के अध्यक्ष, जिलाधीश तथा अधिशासी अभियन्ता (कंस्ट्रक्शन) की कोई कमेटी गांवों के विद्युतिकरण हेतु बनाई है ? यदि हां, तो इसमें विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों से भी राय ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप

१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिल फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के लिये फर्रुखाबाद जिले के लिये ब्लाकवार कितने नलकूप स्वीकार किये हैं और कहां-कहां ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १९८ पर)

२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में विकास खंड छिबरामऊ के अन्तर्गत विरवि, भावलपुर, गांव में नलकूप बनाना स्वीकार हुआ था उसकी पैमाइश हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं बना है ? उसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

विरी ग्राम में कोई नलकूप बनाना स्वीकार नहीं हुआ है। वह बहबलपुर ग्राम (न कि भावल पुर) में एक नलकूप १९६४–६५ में बनाया गया है ।

३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के तालग्राम व छिबरामऊ विकास क्षेत्र में जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां सिंचाई के लिये सरकार के सम्मुख कोई योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

चालू वर्ष में ताल ग्राम और छिबरामऊ विकास क्षेत्रों म दो–दो नलकूप बनाने का प्रस्ताव है ।

छाता तहसील में चन्दोरी तथा शहजादपुर नहरों से सिंचाई

४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर आगरा से मथुरा जिले के तहसील छाता में माइनर चन्दौरी रजबहा शेरगढ़ से और माइनर सहजादपुर रजबहा बुखरारी से निकले कितना समय हो गया है और इन माइनरों में सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--

माइनर चंदोरी तथा शहजादपुर को बने हुये लगभग ६ १/२ वर्ष हो गये। चन्दोरी माइनर के बनाने में ७५,१७२ रु० तथा शहजादपुर माइनर के बनाने में २५,१३७ रु० व्यय हुआ था।

५--श्री लखीसिंह--

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त माइनरों पर सन् १९६३ व १९६४ में कितने रकबे में आबपाशी हुई? कौन-कौन गांवों के किसानों ने अधिशासी अभियन्ता व जिलाधीश मथुरा को पानी की मांग हेतु कितने प्रार्थना-पत्र भेजे। यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल--

इन माइनरों पर १९६३-६४ में निम्नलिखित क्षेत्रफल में सिंचाई हुई :--

	खरीफ १३७१ फ०	रबी १३७१ फ०
	एकड़	एकड़
चंदौरी माइनर	१६१	कुछ नहीं
शहजादपुर माइनर	२३	४२

शहजादपुर माइनर पर पानी की मांग हेतु कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश मथुरा या अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है। चंदौरी माइनर पर पानी की मांग हेतु २ प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुये। इनमें से एक चंदौरी ग्राम के किसानों का दिनांक १९-५-६३ का था दूसरा खरोट के किसानों का दिनांक २७-३-६४ का था। इन प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही संभव नहीं थी क्योंकि ये माइनरें रबी पलेवा के लिये बनी हैं। इन्हें रबी कोर तथा खरीफ के लिये तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक नहर में पानी वेशी न हो।

६--श्री लखीसिंह--

क्या यह सत्य है कि माइनर शहजादपुर पर अभी तक कुलाबे भी नहीं लगे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या माइनर चंदौरी द्वारा कोसी कलां नाला पार करके अन्य गांवों की आबपाशी की भी योजना है? यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा?

श्री गिरधारीलाल--

माइनर शहजादपुर पर कुलाबे लग चुके हैं परन्तु अभी इन कुलाबों के स्थान स्थाई रूप से निश्चित नहीं किये गये हैं। जब माइनर पर आबपाशी अधिक होने लगेगी तब कुलाबों को स्थायी कर दिया जायगा। चन्दौरी माइनर को कोसी नाले के पार ले जाने की कोई योजना नहीं है।

कवाल नगरों में मोटर दुर्घटनाओं से मृत्यु

७--चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

क्या सरकार इस बात से सदन को अवगत करायेगी कि सन् १९६४ में उत्तर प्रदेश के कवाल शहरों म कितने आदमियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना से हुई और कितने घायल हुये?

श्री मुजफ्फर हसन--

२४२ की मृत्यु हुई और ८७६ घायल हुये ।

८--चौधरी अब्दुल हसीब खां--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि केवल ट्रक दुर्घटना से कितने आदमियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुये ?

श्री मुजफ्फर हसन--

११२ की मृत्यु हुई और २३३ घायल हुये ।

९--चौधरी अब्दुल हसीब खां--

क्या सरकार ने ऐसा कोई ठोस कदम उठाया है कि जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो और विशेष रूप से ट्रकें एक निश्चित गति सीमा से तेज न चल सकें ?

श्री मुजफ्फर हसन--

कुछ शहरों में ट्रेफिक पुलिस बढ़ाई गई है। ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। ट्रकों की चेकिंग के लिये खास हिदायतें हैं। नियम लांघन करने वाले ड्राइवरों की सजा बढ़ाने के लिये भारत सरकार को तजबीज भेजी गई है।

बिजनौर जिले में गंगारामवाला फार्म पर डिपिल नलकूप

१०--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में सब जगह बिजली के ट्यूबवेल हैं तब गंगारामवाला फर्म पर डिपिल ट्यूबवेल क्यों हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

इस नलकूप से बिजली की लाइन १०-११ मील की दूरी पर है जिसकी वजह से इस पर बिजली लगाने में अधिक व्यय होता ।

मुहम्मदी में आनरेरी मैजिस्ट्रेट

११--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला खीरी में मोहम्मदी के आनरेरी अदालत में इस समय कितने और कौन-कौन मैजिस्ट्रेट हैं तथा कितनी-कितनी अवधि से वह काम कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--

वान्छित सूचना निम्न तालिका में दी गयी है।

मोहम्मदी की आनरेरी अदालत में नियुक्त मैजिस्ट्रेटों का विवरण

मैजिस्ट्रट का नाम		काय करन की अवधि
१--श्री हरि हर बक्श सिंह	..	१ दिसम्बर, १९६५ से
२--श्री बाबू राम गुप्त	..	१ अक्तूबर, १९५८ से
३--श्री रमाकान्त	..	२ मार्च, १९६५ को नियुक्त किये गये। यह अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ।

स्याना क्षेत्र में नलकूपों की गूलें

१२—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जबकि सरकार ने ये निश्चित कर दिया है कि विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर में जितने राजकीय नलकूप हैं उनमें से प्रत्येक राजकीय नलकूप की दो मील लम्बी पक्की नालियों के निर्माण की पूर्ति ३१ मार्च सन् १९६७ तक कर दी जायेगी तो इस संबंध में सरकार ने अब तक (जुलाई, १९६५) क्या कार्यवाही की है और कितनी प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

राजकीय नलकूपों पर दो मील पक्की गूलों का प्रबन्ध करने का निश्चय केवल विधान सभा क्षेत्र स्याना के नलकूपों के लिये ही नहीं है बल्कि प्रदेश के सभी नलकूपों के संबंध में है और यह कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जहां तक स्याना क्षेत्र के नलकूपों का संबंध है जुलाई तक चार नलकूपों पर दो मील पक्की गूलें बनाई जा चुकी हैं और पांच पर कार्य लगभग पूर्ति पर है ।

१३-१४—श्री कल्पनाथसिंह—

[हटा दिये गये ।]

सिंचाई उद्योग शाला, झांसी के कर्मचारियों का वेतन काटना

१५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजकीय सिंचाई उद्योगशाला, झांसी के कर्मचारियों को दिनांक २८ जनवरी, १९६५ को लाला लाजपतराय जयन्ती के अवसर पर सवेतन छुट्टी नहीं दी गई व कर्मचारियों द्वारा उक्त दिन काम पर न आने पर उनका वेतन काट लिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि मुख्य मंत्री को दिनांक १६ फरवरी, १९६५ को अन्तिम प्रार्थना-पत्र उक्त विषय में कर्मचारियों द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो मजदूरों में फैले असन्तोष को रोकने व उनकी मांग पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां ।
द्वितीय भाग—जी नहीं ।

हाईकोर्ट, इलाहाबाद में रिटें गायब होने की शिकायत

१६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद में सन् १९६१ से सन् १९६४ तक की काफी धन खर्च कर के दाखिल की गई व सुनवाई के लिये मंजूर कई सौ महत्वपूर्ण रिटों की प्रतिलिपियां, नोटिसें, तलबाने गायब किये जाने के कारण रद्दी कागजों की तरह पड़ी हैं और जनवरी-फरवरी, १९६५ में पुनः गायब चीजें दाखिल करने की सूचना रिट कर्ताओं को दी गई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं । सब रिट पिटीशन्स कायदे से रक्खी गई हैं । कुछ रिटों की प्रतियां, नोटिसें, डाक टिकट वगैरह डाक में भेजते समय गायब पायीं गयीं । विरोधी पक्षों को भेजने के लिये कोर्ट उनकी प्रतियां तैयार कर रहा है और याचिका दायर करने वालों से डाक टिकट व नोटिसें भेजने की प्रार्थना की गयी है ।

१७--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

यदि यह सही है तो ऐसी कितनी रिटें हैं और ऐसी गड़बड़ी करने का जिम्मेदार कौन है तथा असंख्य धन और महत्वपूर्ण विवादों के प्रति लापरवाही करने वाले कर्मचारी को क्या दन्ड दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--

जी हां। उनकी संख्या ३०२ है। विभागीय जांच की गयी और संबंधित व्यक्तियों को दन्ड दिया जा रहा है।

१८--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या सरकार अर्से से विरोधी पक्ष को नोटिस दिये बिना ही डाल रखी गई उक्त रिटों का तात्कालिक निर्णय कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--

रिट पिटीशन्स को जल्दी तय करने के लिये सरकार उच्च न्यायालय को निदेश नहीं दे सकती है। हित रखने वाले व्यक्ति स्वयं उच्च न्यायालय से शीघ्र निर्णय देने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

गांवों का विद्युतीकरण

१९--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय योजना में कितने गांवों के विद्युतीकरण करने के लक्ष्य में से कितने गांवों का विद्युतीकरण अब तक हो सका है ?

श्री गिरधारी लाल--

तृतीय पंचवर्षीय योजना में करीब ५,००० स्थानों के विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है जिसमें से ३,८१० स्थानों का विद्युतीकरण इस योजना के चतुर्थ वर्ष अर्थात १९६४-६५ तक हो चुका है।

पिंडरा ब्लाक में बिजली न होना

२०--श्री ऊदल--

क्या सरकार गांव अहरक तथा ब्लाक सेंटर पिंडरा, जिला वाराणसी का विद्युतीकरण सन् १९६५ में करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

वाराणसी जिले के ग्राम अहरक तथा ब्लाक सेन्टर पिन्डरा के विद्युतीकरण की १९६५-६६ में संभावना नहीं है।

२१--श्री ऊदल--

क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि लाइट ऐन्ड पावर कम्पनी, वाराणसी से जो समझौता सरकार का सन् १९७० तक के लिये है कि १२ मील की एरिया में सरकार बिजली का कनेक्शन नहीं देगी तो क्या उसमें संशोधन कर १२ मील की एरिया में जो सरकारी हाईडिल पावर की लाइनें हैं उनमें से सरकार स्वयं आम लोगों को कनेक्शन देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

लाइट ऐन्ड पावर कम्पनी, वाराणसी से इस संबंध में विद्युत परिषद् के साथ बातचीत चल रही है कि वह अपने विद्युत वितरण क्षेत्र में जहां पर विद्युत परिषद् की लाइनें हैं उनमें से कुछ भाग में परिषद् को ग्रामों का विद्युतीकरण करने तथा कनेक्शन देने का अधिकार दे दे। इस संबंध में समझौता होने के बाद ही विद्युत परिषद् उन क्षेत्रों में विद्युतीकरण कर सकेगी तथा कनेक्शन दे सकेगी।

झांसी बिजली कम्पनी को दिया गया धन

२२—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १ नवम्बर सन् १९६३ में जब सरकार द्वारा झांसी बिजली कम्पनी को कब्जे में लिया गया, उक्त बिजली कम्पनी को कितना रुपया सरकार द्वारा उसका मूल्यांकन कर के दिया गया? क्या यह भी सत्य है कि नवम्बर, १९६३ से मई, १९६५ तक सरकार यह भी निर्णय नहीं कर पाई कि उक्त बिजली कम्पनी को कितना रुपया दिया जाय? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अब तक उक्त विषय में क्या-क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई?

श्री गिरधारीलाल—

दिनांक १ नवम्बर, १९६३ से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा झांसी बिजली कम्पनी का व्यवसाय ले लिये जाने के फलस्वरूप सरकारी ऋण आदि के हिसाब के पश्चात् १,८०,१०० रुपये नियत परिसंपत्ति के मूल्य के रूप में बिजली कम्पनी को दिया गया है। बिजली कम्पनी द्वारा १ अप्रैल, १९६३ से ३१ अक्तूबर, १९६३ की अवधि का हिसाब अभी तक न प्रस्तुत किए जाने के कारण परिषद् अभी तक निश्चित नहीं कर सकी कि बिजली कम्पनी को अब भी कोई रकम देनी है अथवा नहीं।

प्रश्नों के गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा निवेदन यह है कि नत्थी (क) के प्रश्न संख्या ५८ का जो उत्तर दिया गया है, वह जानबूझ कर मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया है। इसलिये मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने मेरे पास भेजी है। मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है इस वास्ते कि मेरे मत से उसके द्वारा कोई प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न स्पष्ट तथ्यों पर दृष्टिगोचर नहीं होता। इसमें इन्होंने जो बातें लिखी हैं वह अनिश्चित हैं, स्पष्ट नहीं हैं। अब उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में मीटिंग के विषय में सरकार पूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी करने में असमर्थ है। उस मीटिंग में उन्होंने लीपापोती करके वक्तव्य प्रकाशित कर दिया है। मेरे पास इस संबंध में कुछ लिखित तथ्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपके पास कोई लिखित चीज थी तो उसको भी इसके साथ नत्थी करना चाहिये था। इसमें उसको लिखना भी चाहिये था। किन्तु अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि उनके पास कोई तथ्य है तो उसको माना जा सकता है लेकिन उनको बतलाना चाहिये था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं नहीं जानता था कि इतनी जल्दी यह रिजेक्ट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, आप मुझ से मिल लीजियेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तो आप अपना निर्णय स्थगित रखिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको देख लूंगा। अगर मैं समझूंगा कि कोई त्रुटि हुई है तो मैं पुनः उस पर विचार कर लूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा भी निवेदन है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जो टम्बेश्वर प्रसाद जी ने नोटिस दिया है, उस पर सदन में बहस करा दें क्योंकि उसके संबंध में बहुत से अहम सवाल हैं। उन सब पर चर्चा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

आप किसी नियम के अन्दर बात करिये। अगर नियम ५३ में चाहते हैं तो उसके लिये नोटिस आना चाहिये। नियम के अनुसार आप उसको दीजिये।

वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन का अराजपत्रित कर्मचारियों पर प्रभाव एवं सरकारी आज्ञा द्वारा अर्दलियों की नौकरी समाप्त करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव माननीय उग्रसेन और माननीय राधेश्याम जी आदि ने दिया है वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के संबंध में और एक राजाज्ञा संख्या ४१४६/३-अ-१९६५ के संबंध में। इन दो विषयों में उन्होंने कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है। जहां तक वेतन अभीनवीकरण समिति की रिपोर्ट का संबंध है उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कह दिया है कि वह रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी में सदन में प्रस्तुत की जायगी और उस पर बहस हो जायगी। इसका दूसरा हिस्सा माननीय उग्रसेन जी के कामरोको प्रस्ताव का महत्वपूर्ण है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

उसे आप पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप जरा शान्त रह । उसम उन का कहना यह है कि दिनांक २७ जुलाई को राजाज्ञा नं० ४१४६/३-अ- १९६५ द्वारा ११ हजार अर्दलियों की नौकरी समाप्त हो जायगी, आदि आदि । यह महत्वपूर्ण अवश्य है । मैं इसको और माननीय जगन्नाथ राव जी का प्रस्ताव नियम ५२ में स्वीकार करता हूं और चाहूंगा कि यह स्थिति स्पष्ट हो जाय कि जो राजाज्ञा जारी हुई है क्या उसके द्वारा हमारे सचिवालय के जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं वे निकाल दिये जायेंगे और उनकी नौकरी समाप्त कर दी जायगी ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, आप बता दें कि उसमें पचास प्रतिशत लिखा हुआ है और कुल २२,००० अर्दली हैं इसलिये ११ हजार निकाल दिये जायंगे इस तरह से ।

श्री अध्यक्ष--

श्री जगन्नाथ राव जी का भी मैं पढ़ कर सुना दूं । संपूर्ण राज्य के विभिन्न राजकीय कार्यालयों के काम करने वाले निम्न वेतन भोगी हजारों कर्मचारियों को अकारण बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से प्रथक करने के आदेश दे दिये गये । जहां अभी नोटिस नहीं दिया गया है वहां राज्य सरकार ने १५ अगस्त तक जिन्हें निकालना है उनकी सूची मांगी है । ज्ञात हुआ है कि पूरे राज्य में ५० प्रतिशत चपरासियों को निकाल दिया जायगा । इसी का हवाला माननीय उग्रसेन जी ने अपनी सूचना में दिया है कि उस राजाज्ञा के अनुसार ११,००० अर्दली नौकरी से निकाल दिये जायेंगे । साढ़े सात करोड़ वार्षिक देय रकम में ६ करोड़ बड़े अफसरों को मिलेगी और लाखों कर्मचारियों को केवल एक करोड़ । यह तो दूसरी चीज आ जाती है । तो इस पर आप वक्तव्य कब दीजियेगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

८ तारीख को दे दूंगी ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है १५ के पहले आ जायगा ।

श्री उग्रसेन--

मेरा निवेदन है कि जब तक यह वक्तव्य न हो जाय तब तक उन अर्दलियों की नौकरी न समाप्त की जाय । यह मैं आप के द्वारा उन से मांग करता हूं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

८ को सन्डे है इसलिये ९ तारीख को दे दूंगी ।

श्री अध्यक्ष--

७, ८ और ९ को छुट्टी है । तो आप अपना वक्तव्य ६ तारीख को दे दीजियेगा ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

६ को मैं यहां नहीं रहूंगी ।

श्री उग्रसेन--

देर भले ही हो जाय लेकिन कोई नौकरी से न निकाला जाय ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं इन लोगों को आश्वस्त करने के लिये कहना चाहती हूं कि किसी की नौकरी नहीं जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब १० तारीख को आपका वक्तव्य होगा ।

महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर में हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिवनाथ सिंह जी की नियम ५२ की सूचना है उसे वक्तव्य के लिये मैंने केवल स्वीकार किया है। और माननीय झारखन्डे राय और माननीय यूसुफ की भी है जो इस प्रकार है :

"कानपुर के महेश्वरी देवी जूट मिल में गत ११ दिन से हड़ताल चल रही है। फल-स्वरूप ३,००० मजदूर बेकार हो गया है । अब तक के किये समझौते के हेतु सारे प्रयास असफल हो गये हैं । सरकार के क्षेत्रीय अधिकारी भी पूंजीपति मालिकों को अपने हठ से डिगाने में असफल हो गये हैं ।

इस असंतोष के कारण कानपुर उद्योग नगर का वातावरण क्षुब्ध है ।"

माननीय शिवनाथ सिंह की सूचना इस प्रकार है--

"शहर कानपुर के अन्तर्गत महेश्वरी देवी जूट मिल में नौकरी से त्याग-पत्र देने वाले ५६ मजदूरों को ग्रेचुइटी देने, काम बढ़ोत्तरी को कम करके चार्जशीट वापस लने और जनवरी सन् ६५ में श्रमिकों व प्रबन्धकों के मध्य उप-श्रमायुक्त क्षेत्र, कानपुर के समक्ष हुए समझौते के आधार पर शर्तों को प्रबन्धकों द्वारा पालन न करने आदि मांगों के फलस्वरूप मिल के २,५०० मजदूर १२ दिन से बराबर हड़ताल पर हैं। (मंत्री से) इस पर कब वक्तव्य दिया जायगा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पाण्डेय)--

१० तारीख को दें देंगे ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय रक्षपाल सिंह तथा माननीय गिरवर प्रसाद की नियम ५२ की सूचनाओं को मैं माननीय मंत्री जी को उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं ।

शेष की सूचनाएं अस्वीकार हैं ... (व्यवधान) श्री गंगवार जी, एक नहीं १० सूचनाएं थीं। आप मेरे आफिस में आ जायं, हम बात कर लेंगे । अगर हो सकेगा तो कल ले सकेंगे--अगर महत्वपूर्ण होंगे ।

विविध जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैं एक सूचना चाहता हूं। कल हमारे सामने विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आयी है और वह उन जजेज के विरोध में है जो कि हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं। तो हम उन सब के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं, शास्ति वगैरह का कोई उपक्रम करने जा रहे हैं? किस प्रकार से हम चलेंगे, यह जानना चाहता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो अपने आप जानकारी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--

यह अच्छी बात नहीं है इस प्रकार से टीका करना। वह तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट सदन के समक्ष आयगी। यह आदरणीय सदन उस पर अपना निश्चय करेगा। निश्चय करने के बाद जो उचित होगा, किया जायगा। संभव है कि हम स्वीकार करें, हो सकता है कि कुछ संशोधन करें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

हमारा एक अध्यापकों के संबंध में था, उसका क्या होगा?

सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--

एक गोंडा का मेरा है ----एक आदमी मर गया है।

श्री अध्यक्ष--

शेष जितनी सूचनाएं हैं वह मैंने अस्वीकार की हैं। अगर उनके संबंध में आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो स्वागत करूंगा, मेरे कक्ष में आप समझा दें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यापकों के संबंध में सरकार का जी० ओ० गया है।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास ४ काम रोको प्रस्ताव थे। सभी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सका उसके कारण हैं। उनको देख लें। अगर फिर भी संतुष्ट न हों तो मेरे पास आ जायं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

आप इस सदन में अनेकों बार विश्वास दिला चुके हैं कि अगर कोई नीति के संबंध में आवे तो विचार करना चाहिये। सरकार की एक उद्घोषित नीति है और यह घोषित नीति के खिलाफ है। समान कार्य के लिये समान वेतन की बात संविधान में है। इसलिये आप मेरे प्रस्ताव पर विचार करें और...

श्री अध्यक्ष---

मैंने उस पर अपने आदेश लिख दिये हैं। कामरोको प्रस्ताव के लिये नियम यह है कि वह हाल ही में घटित घटना के संबंध में हो।.... आप कृपा करके मुझे समझा दें, मैं फिर बिचार कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हम रोडवेज से परेशान है, न मंत्री जी यहां रहते हैं न वहां जाते हैं, कोई रास्ता हमारे लिये बतलाइये या कहिये तो हम भी आपके कक्ष में आ जायं।

एक सदस्य--

एक सूचना मेरी थी गोंडा के बारे में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैंने सब पर आदेश कर दिये हैं, उनको आप देख लें और अगर किसी को शिकायत हो तो वह मेरे कक्ष में मुझसे मिल लें और मुझे समझा दें। मैं उस पर फिर विचार कर लूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

कल मैंने जो लिख कर दिया था, राज्यपाल महोदय ने संविधान की अवहेलना की है..

श्री अध्यक्ष--

उसके संबंध में मैं कुछ आपसे जानकारी करना चाहता हूं, आप मुझसे मिल लें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमने तो सब लिख कर दिया है....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर नियम २८९ को पढ़ लें। उसमें यह है कि यहां पर राज्यपाल के किसी आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता, जब आप कह रहे हैं कि अवहेलना हुई है ...

(व्यवधान)

तो यह उनके आचरण पर आक्षेप है। आप मुझसे बात कर लें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमने आज भी लिख कर एक संवैधानिक आपत्ति उठाई है।

श्री अध्यक्ष--

आप आ जायं, विचार कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

मंत्रियों के आचरण के संबंध में तो हम यहाँ कह सकते हैं....

श्री अध्यक्ष--

मैं कहां कह रहा हूं नहीं कह सकते, मैं विचार करने के लिये तैयार हूं। आप कृपा कर आ जायं, मुझे समझा दें।

सदन का साप्ताहिक कार्यक्रम

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, पहले से कार्यक्रम मालूम नहीं था। बहुतों को संशोधन भी पेश करने हैं। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक भी कोई नहीं हुई और अभी तक यह पता नहीं क्या प्रोग्राम है। फिर वही गड़बड़ हो जायगी। मंत्री महोदय, इन्चार्ज के दर्शन मैं नहीं कर पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

वे शायद बीमार हैं। (व्यवधान)

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं सप्ताह का कार्यक्रम निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक तो अभी नहीं हुई है.....

श्री अध्यक्ष—

पहले सदन के सामने क्या कार्य है यह तो मालूम हो। उसके बाद तो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी और वह उस पर विचार करेगी और समय का बटन करेगी। पहले सदन का कार्य सरकार घोषित करेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

इस पर मुझे आपत्ति है। आपने कहा कि कार्य-मंत्रणा समिति ही कार्यों का आबंटन करती है। अभी तक कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई नहीं है और इस समय जो ये कार्यक्रम पढ़ रहे हैं, उसका आबंटन हम लोगों से कैसे करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

जब तक बात सामने न आये तब तक क्या कह सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। इस विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में लिखा हुआ है कि हर सप्ताह पहले दिन यानी सोमवार को जो लेजिस्लेचर के नेता होंगे श्री बनारसी-दास जैसे लोग, वे सदन को बतला दिया करेंगे कि आगे क्या कार्यवाही होगी पूरे सत्र में। कल २ बजे के बाद सदन की कार्यवाही समाप्त हो गयी क्योंकि सदन के सामने कोई कार्य नहीं था इस प्रकार से यह सदन के समय का अपव्यय है और पूरे सदन के साथ तथा विधान सभा के आदरणीय सदस्यों के साथ सरकारी पार्टी का एक मजाक है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन—

यहां की साधारण प्रक्रिया है कि कार्यक्रम की सूचना सप्ताह के पहले दिन सदन को दे देनी चाहिये जबकि आज मंगलवार को श्री बंशीधर पांडेय जी सदन को यह बतला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—

अगर ये कल ही बतला दिये होते तो सदन का इतना ज्यादा समय बेकार नहीं जाता। यह व्यवस्था का मुख्य प्रश्न है।

श्री बंशीधर पांडेय—

निम्नलिखित विधेयकों पर दिये हुए क्रम में विचार एवं उनका पारण—

(१) उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५,

(२) उत्तर प्रदेश विश्व विद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) विधेयक, १९६५,

(३) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) द्वितीय संशोधन विधेयक, १९६५,

(४) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आज सांयकाल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी। नियम यह है कि प्रत्येक सप्ताह के आरम्भ में उस सप्ताह का कार्यक्रम सरकार द्वारा घोषित होगा। तो यह सप्ताह का कार्यक्रम है।

श्री उग्रसेन—

आपकी परामर्शदात्री समिति इस पर कब विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष—

आज सांयकाल।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आज किसी बिल पर विचार तो नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष—

होगा विचार।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, अविलम्बनीय लोक महत्व विषय के अन्तर्गत प्रदेश के खाद्य संकट की स्थिति को देखते हुए उस पर विचार करने के लिये सदन ने कल दो दिन का समय निश्चित किया। आज प्रदेश की खाद्य स्थिति बहुत ही खराब है और सारे प्रदेश के अन्दर खाद्य वस्तुओं की कीमतें बड़ी तेजी के साथ साथ बढ़ रही हैं और आज स्थिति यह है कि ५० प्रतिशत तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। मुझे सूचना मिली है कि देहाती क्षेत्रों में जो सस्ते गल्ले की सरकारी दूकानें थीं वे तमाम बन्द कर दी गयी हैं। मुख्य मंत्री भी अनाज के सिलसिले में कई बार दल्ली गयी हैं लेकिन फिर भी यहां गल्ला मिलने में बड़ी दिक्कत है। तो मैं समझता हूं कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस प्रदेश के सामने है। इसलिये मेरा सुझाव यही है कि इस प्रश्न पर इसी हफ्ते के अन्दर दो दिन बहस हो जाय।

श्री उग्रसेन—

श्री गेंदासिंह का जो गाय-बैल वाला विधेयक है, वह बेकार है क्योंकि उनके लिये इस समय न चारा है, न भूसा है, फिर इस विधेयक का महत्व ही क्या है?

श्री अध्यक्ष—

मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस नियम के अनुसार बोल रहे हैं। आप बैठ जायं। (श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर) श्री काशीनाथ जी, आप भी बैठ जायं। आप बिला वजह बहुत खड़े होते रहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, जिस नियम के अन्तर्गत श्री वंशीधर पांडेय खड़े हुए थे, उसी के अन्तर्गत मैं भी खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष---

साधारणतः संसदीय प्रथा यह होनी चाहिये और कदाचित् इसको अगर हम स्थापित करें तो अच्छा होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 'फार्मल चैनेल' यानी औपचारिक द्वार, कि इधर के सचेतक और उधर के सचेतक तथा संसदीय मंत्री बैठ कर यह बात निश्चित कर लिया करें कि किस दिन कौन कार्य होगा। लेकिन वह प्रथा अभी यहां स्थापित नहीं हुई है। तो आज सांयकाल कार्य मंत्रणा समिति बैठ कर इस पर विचार करेगी। मैंने तो स्वयं ही दो दिन का समय इस पर बहस के लिये रखा, तो आप समझ सकते हैं कि मैं भी इसके पक्ष का हूं कि इस पर विचार हो।

श्री चन्द्रजीत यादव---

कोई प्रथा स्थापित करने का काम तो रूलिंग पार्टी का है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर वे न बुलायें तो कृपा कर के आप ही बैठक बुलायें।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो जरूर कहूंगा कि इधर से अगर.....(माननीय कृषि मंत्री से) मेरा मंतव्य यह है कि जब कार्य हो तो सचेतकों से तय कर लें तो अच्छा हो।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

यह तो हमेशा किया जाता है। अभी हाउस शुरू हुआ है। बनारसी दास जी बीमार पड़े हुए हैं इसलिये यह.....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है कि बनारसीदास जी बीमार पड़े हुए हैं इसलिये इस पर विचार नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष ---

सचेतक आपस में बातचीत कर लें। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह प्रथा प्रचलित है। श्री बनारसीदास की बीमारी के कारण व्यतिक्रम हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

यह तो नहीं मालूम हुआ कि कब होगा?

श्री अध्यक्ष---

इस विषय को हम मंत्रणा समिति को भेज रहे हैं।

उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५*

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय। मैंने कल इस सदन में उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ प्रस्तुत किया था। इस विधेयक का उद्देश्य इसके उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट लिखा

*२ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

हुआ है। इसकी मोटी बातें ये हैं। गाय, गाय के बछड़े तथा अन्य दुधारू पशु और भार वहन करने वाले पशु परिरक्षण, संभरण का इसमें प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही वध को नियंत्रित और निषेध की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है और साथ ही जो पशुओं को वध करते हैं, उसको विनियमित करने का प्राविधान इस विधेयक में है। इससे पहले १९५५ में उत्तर प्रदेश गो वध निवारण अधिनियम, इस सदन में स्वीकार किया गया था। उसमें कुछ कमियों के कारण १९५८ और १९६१ में उसमें संशोधन किये गये किन्तु फिर भी अनेक कमियां और शिकायतें प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आती रहीं। सरकार ने व्यापक रूप में इस विधेयक को तैयार किया है और यह विधेयक प्रदेश के लिये बहुत ही उपयोगी तथा यहां के पशुधन की तरक्की में सहायक साबित होगा। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बिल १९५५, १९५८ और १९६१ में पारित किये गये उनमें वध की परिभाषा की गई है। गाय और गाय की संतति, बछड़े या बैल के वध की परिभाषा की गई है लेकिन किस स्थान पर वध होगा उसको कहीं नहीं दिखाया गया है, जिसके कारण यहां सरकार के पास बराबर शिकायतें आती रहती थीं। शिकायतें यह आती थीं कि अमुक स्थान पर वध हुआ है। पुलिस को सूचना जाती थी। पुलिस जब तक वहां पहुंचती थी तब तक मांस को दूसरी जगह ले जाते थे। यह आप और हम भली प्रकार जानते हैं। जहां घटना होती है उस घटना स्थल तक पहुंचने में पुलिस को कुछ विलम्ब हो जाता है और जब विलम्ब होता है तो फिर वध करने वाले को पकड़ना आसान नहीं है। इस प्रदेश में अदालतों में कई मुकदमें चले और वे मामूली टेक्नीकल कमियों की वजह से छूट गये।

मसलन, एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस आफ कामन्स में भी यह परम्परा है कि जब बिल पाइलट होता है तो इस तरीके से उसको रखा जाता है कि उसका अंग-अंग सभा के सामने निखर आये और आदरणीय सदस्यों को मालूम हो जाय। लेकिन यहां पर माननीय उपमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर डिक्टेशन बोल रहा हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए माननीय गेंदासिंह जी से कहा जाय कि वह अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत करें जिससे सब लोग इसको समझ सकें।

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

श्रीमन्, माननीय काशीनाथ जी थोड़ा सब्र से काम लें तो मैं समझता हूं कि माननीय आर्य जी के भाषण को सुनने के बाद उनको यह शिकायत नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप इन लोगों को प्राइमरी स्कूल का छात्र न समझें। यह वहां के नेता लोग हैं, और नेता से जैसे बात होती है वैसे बात करें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे गो वध के कई मामले न्यायालयों में गये और उनमें कामयाबी नहीं मिली। गो वध की परिभाषा तो हमारे उस गो वध निवारण अधिनियम में लिखी गई है परन्तु उसमें वध का स्थान कौन-सा है, यह निश्चित नहीं किया गया था। इसमें इस बात का प्राविधान कर दिया गया है कि जो स्लाटर हाउस बाकायदा रेकग्नाइज्ड हों, पहले से स्वीकृत हों उनमें वध किया जा सकता है या कोई द्वितीय श्रेणी या इससे ऊपर का मैजिस्ट्रेट जो वेतन वाला हो और सरकार के द्वारा नियुक्त हों, वह उस जगह को निश्चित करेगा जहां पर कोई वध करना चाहेगा। पहले वाले अधिनियम में यह परिभाषा नहीं थी। वह इसमें शामिल कर दी गई है।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

दूसरी महत्वपूर्ण बात इस विधेयक में यह रखी गई है कि पहले वध कर के जो मांस को बेचने के लिये ले जाता था या खरीदता था वह अपराधी समझा जाता था लेकिन कहीं इस बात का उल्लेख नहीं था कि उसके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हो सके। इसलिए इसमें इस बात का प्राविधान कर दिया गया है कि जिसके कब्जे में वह पाया जायगा वह दंडित किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें कौन से पशु वध किये जा सकते हैं इसके लिए भी प्राविधान है और उनकी भी यहां पर श्रेणियां बना दी गई हैं। जैसे लिख दिया गया है कि कोई भी सांड़, जिसकी उम्र १५ साल से अधिक हो उस को सक्षम अधिकारी जो इसमें नियत किया गया है वह जब तक प्रमाण-पत्र नहीं देगा तब तक वध नहीं किया जा सकता है। उसके साथ-साथ बैल या असाध्य रोग से पीड़ित जानवर जो हो या जिसको गहरी चोट लगी हो और जिसके बचने की कोई उम्मीद न हो उसके बारे में भी जब तक वह प्रमाण पत्र नहीं देगा तब तक उसका भी वध नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसा बैल जो भार वहन नहीं कर सकता और कृषि के कामों को भी करने में सर्वथा अनुपयोगी है, ऐसों के लिये सक्षम अधिकारी बाकायदा प्रमाणपत्र देगा। जो प्रार्थना-पत्र देगा उसको उस प्रमाण पत्र पाने के लिये फीस भी दाखिल करनी होगी। सक्षम अधिकारी को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। लेकिन अस्वीकृत करते समय पूरे कारणों का हवाला उस को देना होगा। इसके साथ ही अगर किसी को कोई आपत्ति है या उज्रदारी है, ऐसे मामलों को आज तक राज्य सरकार सुनती थी, लेकिन अब उसको पशुधन अधिकारी या निदेशक पशुपालन विभाग उसके रिकार्ड को मंगा कर देख सकता है।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश से पशुओं की एक बड़ी भारी संख्या दूसरे प्रदेशों को व्यापार की दृष्टि से चली जाती थी, उसको विनियमित किया गया है। अब जो कोई भी इस व्यापार को करेगा, उस को लाइसेंस लेना पड़ेगा। वह लाइसेंस उन्हीं व्यापारियों या खरीदने वालों को दिया जायगा, जिनके लिये यहां पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया गया है। हमारे प्रदेश से दुधारू पशु दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं और जब वे दूध देना बन्द कर देते हैं तो उनको स्लाटर हाउसेज में भेज दिया जाता है या उनका वहां वध कर दिया जाता है। इस पर रोक करने के लिये पशुओं का व्यापार करने वालों को लाइसेंस लेना होगा। अब ऐसे जानवरों को देखने के लिये सरकार की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त होगा। वह यह देखेगा कि वह पशु दूसरे प्रदेशों को भेजा जा सकता है या नहीं। उस पशु पर बाकायदा निशान लगाया जायगा। उसके लिये एक रजिस्टर भी रखा जायगा। जिसको सरकार या ऊपर के अधिकारी देख सकते हैं। उसके नियम होंगे, और जो उन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके लिये दंड की व्यवस्था कर दी गयी है। इस प्रकार से गोवध को रोकने की व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार से इस विधेयक में एक तो पशु वध को रोका गया है और दूसरे अन्य प्रदेशों को होने वाले व्यापार को विनियमित किया गया है। यही इस विधेयक की मोटी-मोटी बातें हैं। आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसा भी प्राविधान किया है जो यह अंकित करे कि कितने नये बछड़े और बछियों का जन्म कब होता है?

श्री अध्यक्ष--

बिल तो आप के पास है। यह आप बहस में कह सकते हैं। कमलासिंह जी नहीं हैं?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, उनका एक पत्र आप के पास आया होगा।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, उनका एक पत्र मेरे पास अवश्य आया है लेकिन उनके बाद के जो महानुभाव अपने स्थान पर इस समय मौजूद हैं और जब संशोधन को पेश किये हुये हैं, मैं पहले उनको मौका दूंगा, किसी अन्य आदरणीय सदस्य के प्रतिनिधि को नहीं। श्री फूलसिंह जी का नाम दूसरे नम्बर पर है।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर दे।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक किसानों की पशु सम्बन्धी कुछ बड़ी समस्याओं की ओर संकेत करता है लेकिन उनका हल इस विधेयक से नहीं निकलता। यह तो कहने की जरूरत नहीं कि पशुओं की संख्या भारतवर्ष में प्रति एकड़ भूमि के लिहाज से दुनियां भर में सब से ज्यादा है। अमरीका में ८ एकड़ एक पशु के लिये हिस्से में आता है लेकिन सब से कम भारत के एक पशु के हिस्से में .१४ एकड़ आता है और भारत के सभी प्रदेशों में हमारा प्रदेश ऐसा है जहां आदमी और पशु संख्या में ऊपर नीचे हैं, ७ करोड़ से ज्यादा मनुष्य हैं और ५ करोड़ से ज्यादा पशु हैं। दस साल पहले श्री सीताराम की अध्यक्षता में एक गोसंवर्द्धन समिति यहां बनी थी और उस समिति की एक रिपोर्ट भी निकली थी। उसमें बताया गया था दस साल पहले सूखा चारा पशुओं की आवश्यकता का ६० प्रतिशत पूरा करता था और हरा चारा ४० प्रतिशत। और इन दस सालों में गायों की नस्ल ही २ करोड़ से बढ़ कर अब २ करोड़ ६० लाख से ऊपर है। दूसरे इस पीरियड में चरागाहें खत्म हो गयीं, आज पशुओं की हालत क्या है और कैसी उनकी दुर्दशा है इसका अन्दाजा किसानों को ही है। व्यक्तिगत रूप से किसानों की दिक्कत क्या होगी इसका अन्दाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जिस किसान की क्षमता १ जोड़ी बैल और एक गाय रखने की है, वह दस साल तक खेती करने के बाद भी उन अपने २ बैलों को नहीं बदल सकता। अगर उसको अच्छी खेती करना है तो उसे ७ से १० साल के अन्दर अपने पुराने बैलों को बदलना ही चाहिये।

एक गाय ने दस साल में तीन चार बच्चे दिये तो कुल दस साल में अगर दस जानवर हो गये मय बैलों के तो उस गरीब किसान के पास उनको खिलाने का साधन क्या है? इस समस्या का इलाज क्या होगा, इस बिल में वह नहीं है। कुछ पशुओं के स्लाटर या कुरबानी की योजना है लेकिन वह तो बिल्कुल बेकार सी चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दस साल में भी रिप्लेसमेंट की बात रखें तो कम से कम दस लाख बैल हर साल चाहियें। उनकी संख्या केवल १ करोड़ १४ लाख है जब कि ११ लाख बैल हर साल चाहिये और कुल पशुओं की संख्या गाय और उस की नस्ल की २ करोड़ ६२ लाख है तो, २५ लाख चाहिये। तो इतने पशु कहां से आयें? बैल की किसानों को जरूरत है और यह जानवर जो बेकार हो जाते हैं उन का क्या हो यह भी सवाल है। यू० पी० में कसाईखाने हैं। उनमें वध भी होता है। मैं इस बात को अभी अलग रखता हूं कि गौकशी हो या न हो और बीमार जानवरों का गोश्त बिके या न बिके यह सब सवाल है। बेकार जानवरों का क्या हो जो घूमते हैं और जो कुछ किसान बोते हैं वह खा जाते हैं। कुछ गोशालाओं की चर्चा विधेयक में है। अव्वल तो ये गोशालाएं ठीक हैं पर यदि हर गोशाला में २ हजार पशु रखे जायं तब हर साल जो बेकार पशु होते हैं, उनके लिये कम से कम १०० गोशालाएं हर साल चाहिएं, जो नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि गायें चाहे गोशालाओं में रहें, चाहे घर पर रहें घास तो वे अवश्य खाएंगी ही। तो समस्या जो आज हमारे सामने है वह यह है कि इन पशुओं की बढ़ती हुई संख्या का क्या इलाज है। जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फू सिंह]

बिल सरकार ने पेश किया है उनमें पशुओं के निर्यात और बेचने में पाबन्दी लगायी है। इस प्रदेश में २९,००० पशु बाहर जाते हैं लेकिन बाहर से ६७,००० आते हैं। जो इस प्रदेश की गायें हैं और जो एक एक पाव दूध देती हैं, उनके बछड़े हल चलाने के काबिल नहीं होते हैं। उनसे खेती नहीं की जा सकती है। दूसरे आप ने कायदा बना दिया है कि साहीवाल सांड होना चाहिए। तो उस प्रकार की बहुत सी समस्यायें सामने हैं और जब सरकार एक नया बिल ला रही है तो उन्हें इन सब समस्याओं को सोचना चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। इस बिल में प्रिवेंशन आफ काउ स्लाटर एक्ट, १९५५ बना था उस की ही धारायें हैं। वे सब पुरानी हो गयी हैं और उन धाराओं से अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको नये तरीके से सोचना चाहिए और इन पशुओं का कोई न कोई हल निकालना चाहिए। किसानों को बड़ी दिक्कतें हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी किसी भी समस्या का हल नहीं है।

आपने निर्यात बन्द कर दिया तो और मुसीबत खड़ी हो जायगी। ये गली-सड़ी भी यहां पर रहेंगी और अच्छी भी रहेंगी। किसानों के पास जो बूढ़े बैल होंगे वह उन्हें बेच भी नहीं सकेंगे और अच्छी तरह से खिला भी नहीं सकेंगे। जिस दिन पार्टी में इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि गोरक्षा हो उससे किसानों को फायदा पहुंचे पर देखा यह गया कि जो गो भक्त वे केवल दूध के कारण भक्त बने हुये होते हैं। जब गाय का दूध सूख जाता है तो वे उन गायों को किसानों को दे देते हैं। वह उन गायों को भी खिलाता है और उन के बछड़ों को भी खिलाता है। वह किसान भी यह देखता है कि उन पशुओं में जितने कसाई के यहां जाने वाले हैं वह उनको कसाई को दे देता है और यह कहता है कि भाई उनको काटना मत। तो यह रास्ता बड़ा कठिन है। तो इस रास्ते में हिकमत से कार्य करना चाहिए और सोचना चाहिए। यह जो बिल बना है इसका नाम पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक है पर इसमें जो धाराएं हैं वे केवल इस आशय से हैं कि गायों को कैसे काटा जाय। वास्तव में देखना चाहिए कि जो बुनियादी उसूल गाय रक्षा के पीछे है उस उसूल की रक्षा कसाईखाने में भेजने से होता है या नहीं। हालांकि गांधी जी ने तो इस बात को कहा था, वह इसके पक्ष में नहीं थे कि कानून से गाय का वध बन्द कर दिया जाय। उनका कहना था कि यह राज्य जो है यह हिन्दू राज्य नहीं है इसलिये यहां ऐसा कानून नहीं बन सकता। लेकिन उनका कहना दूसरा था कि गाय का जो काटते हैं क्यों काटते हैं। अभी आपने कानून बनाया और १० साल तक यह कानून रहा भी। गौ संवर्धन की समिति रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जितनी गाय सरकारी कसाईखाने में कटती हैं उससे ज्यादा प्राइवेट तौर पर कटती हैं। मंत्री जी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि लोग गाय काटते हैं, पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा होती है। जब कानून नाजायज है तो क्यों लोग गाय काटते हैं? गाय काटकर बेचना ज्यादा लाभदायक है बजाय इसके कि गाय मरे और फिर बिके। एक मरी गाय २५ रु० में बिकेगी तो अगर काट कर बेचा जाय तो ७० रु० की चरबी हो जाती है और जितने बेग और जूते आप इस्तेमाल करते हैं यह मरे हुए पशु के चमड़े का नहीं होता है। और जो आइस क्रीम खाते हैं यह भी बिना रेनेट के नहीं बनता है जो कि बछड़े के पेट में से निकलता है। तो इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। इसलिये जीवित पशु के दाम ज्यादा मिलते हैं। इसलिये कानून के बावजूद भी लोग जानवरों को मारते हैं। गाय की रक्षा का सिद्धान्त जो गांधी जी ने बताया है वह यह है कि अगर गाय की रक्षा करना चाहते हो तो गाय का जिन्दा रहना लाभदायक बनाओ। वाट ऐवर इज गुड एथिक्स शुड आलसो बी गुड इकोनामिक्स (Whatever is good Aethics should also be good Economics.) धर्म की दृष्टि से जो बात सही है आर्थिक दृष्टि से भी वह बात सिद्ध होनी चाहिये। तो यह कैसे हो। यह तब हो सकता है कि जो गाय की सेवा करने का बीड़ा उठाते हैं, जो नारे लगाते हैं वह यह तय करें कि हम उसी गाय के चमड़े का जूता पहनेंगे जो अपनी मौत से मरेगी।

यह जो चमड़े की चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अब तो चमड़े के कोट भी लोग पहनते हैं, तो उस मवेशी का पहनें जो अपनी मौत से मरा हो ताकि अच्छे-अच्छे मवेशियों की खाल के दाम गिर जायं और लोग पशु मारना छोड़ दें। यही एक कांस्ट्रक्टिव रास्ता है।

यह बिल जो सदन के सामने है सरकार इस पर बुनियादी तौर से चर्चा करे। मेरा इरादा यह नहीं है कि बिल देर तक लटका रहें आप इसे पास कर दीजिये, पर मैं चाहता हूं कि इस बिल पर बैठ कर चर्चा कर लीजिये छोटी छोटी बुनियादी बातों पर कि उनकी कहां तक हम पूर्ति कर पायें हैं। सरकार चाहे तो इस को वापस ले कर और विस्तृत बिल पेश कर सकती है। इस बिल में कई चीजें ऐसी हैं। १५ साल की बात कही गयी कि इस अवस्था के ऊपर के गाय बैल काट दो। आपने भी अध्यक्ष महोदय, वकालत की है, और मैं भी करता हूं। नाबालिग की जांच हो जाती थी लेकिन बालिग होने के बाद उम्र का लगाना बड़ा मुश्किल है और बैलों की जांच जब तक पूरे दांत नहीं निकल लें अंदाजा हो सकता है लेकिन पूरे दांत हो गये और घिस गये तब अन्दाजा लगाना मुश्किल है। यह बात क्या हुई ? क्या कोई ऐसा मापदंड है जिससे यह अन्दाज लगा लेंगे कि यह गाय १५ साल की है ? जब यह धारायें रखी थीं कि बीमार हो जाय, असाध्य बीमारी से बीमार हो जाय, चोट लग जाय तो फिर इस धारा की क्या जरूरत है ? बीमार भी न हो, तन्दुरुस्त भी हो, हल भी खींचे तब भी वह कट सकती है क्योंकि १५ साल से ज्यादा उम्र हो गयी। लिहाजा यह धारा निकाल देना चाहिये। उम्र का सवाल नहीं है, यूटिलिटी का सवाल है। इसी कारण से कई चीजें हैं जिनकी ओर मैं इस बिल में ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह भी धारा है कि अगर किसी पशु की टांग टूट जाय या बेकार हो जाय तो जिबहा करने का इजाजत दी जायगी बशर्ते उस पशु को बेकार करने का जिम्मेदारी उसके मालिक की न हो। लेकिन पशु अगर बीमार हो जाय तो यह इसमें नहीं है कि मालिक ने उसे बीमार बना दिया हो। इसी तरह से पशु के निर्यात को नाजायज कर दिया जाय लेकिन पशु के व्यापार पर पाबन्दी लगा दी गयी तो बेचने वालों पर पाबन्दी हो जायगी। बेचना उनका जुर्म नहीं होना चाहिये, उनका व्यापार जुर्म नहीं होना चाहिये। ले जाने पर पाबन्दी लगा दीजिये। यह बात भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि खेती करने वालों को अपने खेती के काम के लिये पशु बेचने या खरीदने से इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है वर्ना दरोगा जी न जाने किस का चालान कर बैठें और वह तब दिक्कत तलब बात हो जायगी। पुराने बिलमें कुछ कठिनाइयां थीं उनको इस बिल के जरिये आप दूर करने चले हैं। मेरा निवेदन है कि सारी कमियों को दूर करने के लिये इस बिल को फिर से गौर से देखने की आवश्यकता है। मेरा यह प्रस्ताव है कि इस बिल को फिर से प्रवर समिति में भेजा जाय और वहां इन सब बातों पर चर्चा हो। मुझे आशा है कि सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी।

*श्री रक्षपालसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन ३० दिन में प्रस्तुत कर दे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री महोदय ने इसके उद्देश्य और कारणों पर थोड़े से शब्दों में ही उल्लेख किया।

(इस पर समय १२ बज कर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल ऐड-वोकेट पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

परन्तु श्रीमन्, मैंने इसका शुरू से अन्त तक अध्ययन किया। लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह देश और प्रदेश की जन भावना के विपरीत है। यह जो विधेयक "उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५" के नाम से लाया गया है और विधेयक के आधार पर एक ऐसे विधेयक जिसके लिये प्रदेश में अनेक आन्दोलन हुये, हस्ताक्षर हुये और तरह-तरह की मांगें रखी गई और जो एक विधेयक उत्तर प्रदेश गो वध निवारण विधेयक बना था उसको समाप्त करने वाला यह विधेयक है। वैसे मंत्री जी यह कहेंगे कि इसके कुछ उपबन्धों को हमने इनकारपोरेट कर लिया है जिसकी वहज से हमारे यहां गो वध नहीं होगा और इसके अलावा अन्य कमियों को भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अपने प्रदेश में जो गो वध निवारण कानून प्रचलित था और जिसके लिये प्रदेश के कोने-कोने से लोगों ने आन्दोलन किया था, आज सरकार उस कानून को बनाये रखने में संकोच करती है। सरकार को यह कहने में शर्म लगती है कि हमने अपने प्रदेश में गो वध निवारण कानून बना रखा है। सरकार को चुनाव प्रचार करने में इसकी वहज से संकोच लगता है। वैसे तो हाई कोर्ट ने थोड़े दिन पहले श्री जगदीश पांडेय के केस में फैसला देते हुये यह कहा था कि प्रदेश में और देश में गो वध का नारा लगाना कानूनी जुर्म नहीं है। प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया है और केन्द्रीय सरकार ने नहीं बनाया है तो वह बात करते हैं गो वध की तो वह जुर्म नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह था कि जहां गो मांस रखना जुर्म नहीं था वहां उसको दंडनीय तो कर दिया है। लेकिन श्रीमन्, जो गो वध निवारण का विधेयक पहले से हमारे प्रदेश में है उसको समाप्त करने का उद्देश्य ज्यादा है और संशोधन के नाम पर यह एक ऐसा बिल ले आये हैं। इसके अलावा इन्होंने जो गाय, भैंसों के निर्यात पर रोक लगाने का प्रबन्ध किया है उसके बजाय चाहिये यह था कि १९६४ में जो पशु धन सुधार विधेयक पास हुआ था उसी में एक दो क्लाज बढ़ा देते। इससे काम चल जाता और गो वध निवारण विधेयक भी बना रहता। उसी के अन्दर संशोधन कर सकते थे।

इसके पश्चात् जो बात इस विधेयक के प्रिएम्बिल में कही गई है उसके आधार पर भी यह ठीक नहीं है। इसके प्रारम्भ में लिखा हुआ है कि "गायों तथा बछड़ों और अन्य दुधारू तथा भार वाहक पशुओं के परिरक्षण, संरक्षण तथा सम्भरण को बनाये रखने, और विशेष रूप से उनके वध के नियंत्रण, निषेध तथा निवारण की व्यवस्था करने के लिये, और ऐसे पशुओं के निर्यात और उनके व्यापार तथा वाणिज्य को विनियमित करने के उद्देश्य से" यह तो श्रीमन्, कर दिया है लेकिन अगर आप देखें तो मालूम होगा कि पशु की परिभाषा क्या है? इसमें भी धोखे की बात यह है कि पशु के माने गाय या भैंस हैं। इसको सीमित कर दिया है। यह विधेयक पशुओं के संरक्षण के लिये बनाया गया है। लेकिन इसमें केवल गाय भैंस रखना यह मिसलीडिंग है। कोई पशु चाहे वह बोझा ढोता हो, उनके संरक्षण की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। दूध देने वाले जानवरों और भार वाहक के पशुओं की व्यवस्था जो संविधान में है कि इनकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाय यह भावना इसमें नहीं है। सरकार चाहती है कि दूध बढ़े लेकिन उसके वध रोकने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। । भैंसा भार वाहक के रूप में धान के खेतों में प्रयोग होता है। इसके वध को रोकने की व्यवस्था नहीं की गयी है। वैसे मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मांस रखने को अपराध माना है। मैं जब नया सदस्य हो कर आया था तो मैंने गैर सरकारी संशोधन विधेयक इसके संबंध में रखा था। परन्तु उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न मिलने के कारण उस पर चर्चा नहीं हो सकी। उसमें जो अच्छी भावनायें थीं उनमें से मंत्री जी ने दो एक बातों का समावेश कर दिया है। मांस को बेचने और ले जाने पर उस में जुर्म की व्यवस्था थी। उन्होंने मांस के रखने को भी जुर्म करार दिया है यह अच्छी बात है। परन्तु सब बातों का समावेश इसमें नहीं है। बिल में वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे प्रदेश में गो वध को रोक हो सके। बिल में इसका उल्लेख है कि किन किन अवस्थाओं में पशु काटे जा सकते हैं। उसके लिये अधिकारी सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट देने के संबंध में कोई बोर्ड नहीं है। अधिकारी से चार साल के बछड़े के लिये १५ साल के बुड्ढे बैल का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जायगा और

कुछ ही घंटों में वह कट जायगा। कट जाने के बाद उस का कोई प्रूफ नहीं रह जायगा कि वह चार साल का बछड़ा था। अधिकारी को अधिकार प्राप्त है, जैसे सब को मालूम है, एक रकम तय हो जाती है, तय हो जाता है कि पशुधन अधिकारी एक जानवर पर १५ या २५ रुपया लेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट जैसा चाहें मिल जाता है। वह कम उम्र के बछड़े को ज्यादा उम्र, अच्छे बछड़े को अपंग बछड़ा लिख देता है। इस तरह से जब तक यह व्यवस्थायें बनी हैं तब तक गो वध बन्द होगा और न ही पशु संरक्षण की व्यवस्था संभव हो सकती है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांधी जी की पशुओं का वध रोकने की कोई इच्छा नहीं थी। पता नहीं उन्होंने कहां से इन्टरप्रेट किया। गांधी जी ने यहां तक कहा था कि गोवध होता है तो मनुष्य का वध होता है। वह वध करवाना चाहते थे ऐसी बात कहना बिलकुल गलत है। लेकिन इकानिमिक बात ठीक है। जानवर को काटने से ज्यादा पैसा मिलता है, बेचने या रखने से कम पैसा मिलता है, इस आर्थिक आधार पर चलते रहेंगे तो ऐसी बात मैं ठीक नहीं समझता हूं। जहां पर देश और प्रदेश के अन्यान्य व्यक्तियों की भावनाओं की हत्या होती हो, जहां पर उनकी मनोभावनाओं का हनन होता हो वहां पर चाहे कितना आर्थिक लाभ हो वह कार्य बन्द होना चाहिये। सरकार ने गलत और अनैतिक कार्य को समझकर अनैतिकता का कानून बना दिया जिससे वैश्या के पेशे पर रोक लगा दी गयी। किन्तु इस पर भी ऐसा कहा जा सकता है कि इससे भी आर्थिक लाभ है और यह जारी रहना चाहिये, क्योंकि एक वैश्या के साथ-साथ चार अन्य लोगों को रोजी मिलती है और यह आर्थिक लाभ का विषय है यह बन्द न होना चाहिये, तो यह ठीक नहीं है। केवल यह कह कर कि इससे फायदा होता है, आर्थिक लाभ होता है, गलत और अनैतिक कार्य जिससे किये जाने की छूट नहीं मिलनी चाहिये। गो वध पर रोक लगाना आवश्यक है और इसको सख्ती से रोकने के लिये इस विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिये।

दूसरी बात मैं गो सदनों के बारे में कहना चाहता हूं। यह बात कहना सरासर गलत है कि किसी गाय या पशु के काटने से उसमें ज्यादा लाभ होता है बनिस्बत इसके कि बेकार पशुओं को गो सदन में रखा जाये। इस संबंध में लाला हरदेव सहाय और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी सरीखे जितने बड़े-बड़े गोसेवक हुये हैं, उन्होंने इस भावना को निराधार और निरर्थक सिद्ध कर दिया है। उन्होंने इसका हिसाब लगाकर देखा है कि बीमार और क्षीण वृद्ध गाय भी गो सदन में जितने दिन भी २ साल या ३ साल गो सदन में रहेगी उससे ज्यादा लाभ होगा अपेक्षाकृत कि उसे काट डाला जाय अपनी जीवित अवस्था में कितना वह गोबर देगी और मरने के बाद उसकी खाल कितने में बिकेगी इस सबका विस्तृत हिसाब लगाने पर वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि क्षीण और दुर्बल पशु गायों का काटना किसी भी आर्थिक दृष्टि से श्रेयकर नहीं है। इसलिये गो सदनों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिये और इसमें सरकार को घाटा होने की कोई बात नहीं है। तो श्रीमन्, मैं कहता हूं वास्तव में गोवध के साथ, अपने खेतिहर प्रदेश का और उसके लिये आवश्यक बैलों का जो खेत जोतते हैं का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इस ओर ध्यान देने से आपको अच्छी मात्रा में तगड़े और बहुतायत से बैल भी प्राप्त हो सकेंगे। यदि इन्हें छोड़ दिया जाय, इनको काटने की अपेक्षा इनके गोबर से बहुत फायदा होगा और गोबर की अति उत्तम खाद खेतिहर प्रदेश को सस्ती और अधिकता से मिल सकेगी। विद्वानों का, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि गोबर की खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं हुआ तो मिट्टी के सारे उर्वरक तत्व धीरे-धीरे नष्ट हो जायेंगे और वह रेह में बदल जायेगी। यदि गाय और भैंस से बीमार और रुग्ण होने के कारण दूध नहीं मिलता है तो गोबर तो उसे हर जीवित अवस्था में प्राप्त ही हो सकता है।

ऐसी अवस्था में इस विधेयक के अन्दर जो खामियां हैं, उनके बार में संशोधन दिये गये हैं और उनमें संशोधन करने की मांग की गयी है। श्रीमन्, अपने प्रदेश की भावनाओं के विरुद्ध गो वध किये जाने की जो छूट है, जो किन्हीं भी कारणों से हो। उस पर रोक लगनी चाहिये। मिलिट्री आदि किसी भी जगह इस कार्य के लिये छूट नहीं होनी चाहिये। गाय के अतिरिक्त भी ऐसे अन्य दूध देने वाले पशु हैं जैसा कि प्रियम्बुल से पता चलता है, उनके निषेध के बारे में भी इसमें व्यवस्था होनी जरूरी है। तो भैंस तथा अन्य पशुओं के लिये भी इस प्रकार की व्यवस्था हो ती

[श्री रक्षपालसिंह]

चाहिये, ऐसे पशुओं को बाहर भेजे जाने पर भी रोक लगायी जानी चाहिये। श्रीमन्, इसलिये आवश्यक है कि जल्दी-जल्दी में इस बिल को यहां पर न पास करा लिया जाये। वैसे तो यहां पर यह परम्परा भी रही है। अब माननीय गेंदासिंह जी उसे निभाते हैं या नहीं क्योंकि पुराने कृषि मंत्री जी होते तो पहले तो वे इस प्रकार का बिल न लाते और लाते तो फिर उसे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजते और उसके पश्चात् अच्छी तरह गौर होकर विधेयक पास होता।

श्री अधिष्ठाता--

क्या आपका ध्यान पशु की परिभाषा जो इस विधेयक में है उस पर नहीं गयी है ? इसमें भैंसे भी शामिल हो जाते हैं।

श्री रक्षपालसिंह--

लेकिन वध के बारे में उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें निर्यात के बारे में तो है लेकिन वध को रोकने के संबंध में वह लागू नहीं होती। गाय की जो पहले परिभाषा थी उसमें बछड़ा, बछड़ी थे लेकिन अब वह निकल गये हैं। मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन उसे श्रीमन्, जरा फिर से देख लें। इसमें भैंस के वध को रोकने के लिये कोई प्राविधान नहीं है। बैल और सांड़ जो ५ साल से नीचे के हैं वे ही रह जाते हैं। गाय की मादा ही इसमें सम्मिलित है। बैल, सांड़, बछड़े, बछिया सब का वध होगा। तो ऐसी बात नहीं है जैसी बात आप समझ रहें हैं। श्रीमन्, जैसी परम्परा रही है उसी को चलाने की मैं आपसे प्रार्थना करूंगा जिससे यह बिल ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाय और वहां से एक पूर्ण विधेयक बन जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उग्रसेन जी के पास कोई कर्मचारी खड़े हैं वे कृपया हट जायं।

*श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, देखने में इस विधयक का शीर्षक बड़ा अच्छा लगता है "उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक" लेकिन श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार आज आसीन है उसी के द्वारा यह कानून सन् १९५६ में बनाया गया था। वही ५८ और ६१ में इसमें संशोधन लायी। आज जो कृषि मंत्री हैं उनके भाषण जो ५६, ५८ और ६१ में हुये हैं इस विषय पर मैं आपके सामने उसके उद्धरण रखूंगा कि उनको आज से बिलकुल विपरीत राय थी और उस विपरीत राय के बावजूद वे आज कृषि मंत्री हो कर अपनी तरफ से इस विधेयक को लाये हैं। श्रीमन्, उद्देश्य और कारणों को पढ़ा जाय तो बड़ा दुख होता है कि जिस दल की सरकार हैं उसी दल की सरकार की तरफ से जो विधेयक पास कराया जाय ५६ में, ५८ और ६१ में उसमें संशोधन किये जायं और फिर उद्देश्य और कारणों में उसी दल की सरकार द्वारा कहा जाय कि पहले कानून में कमियां थीं और इस कारण सही व्यवस्था नहीं हो पायी और इसे संशोधित करना आवश्यक हो गया, यह कितनी लज्जा की बात है। आदरणीय कृषि मंत्री चरणसिंह जी आज होते तो इस विधेयक को न लाते क्योंकि आज नये कृषि मंत्री आये तो उस पुराने विधेयक में कमियां पायीं गयीं और कल कोई दूसरा कृषि मंत्री होगा तो वह लिख देगा कि यह कानून गलत है। तो रोज-रोज इस तरह के कानून बनाना और बाद में उसे त्रुटिपूर्ण कह कर संशोधन करते रहना अनुचित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय रक्षपालसिंह जी ने जन भावना की बात कही है। मैं उसको बिलकुल गौण रखकर समाजवादी सिद्धान्त के आधार पर सारी बात कहना चाहता हूं। जैसा एक दफा माननीय कृषि मंत्री चरणसिंह जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर साढ़े ४ करोड़ एकड़ जमीन उपजाऊ है, २ करोड़ एकड़ जमीन परती है, करीब १ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिसका अभी तक कोई इन्तजाम नहीं हो पाया है। जहां तक हमें मालूम है करीब १० करोड़ हमारे पशुओं की संख्या है जिसमें बैल, भैंस, गाय सभी बूढ़े, ठेढ़े, लूले, लंगड़े सभी किस्म के हैं। तो मैं माननीय मंत्री गेंदासिंह जी से कहना चाहता हूं कि वे सबसे पहले इन पशुओं की कोई व्यवस्था करायें। आपके पास जो जमीन है उस जमीन के हिसाब से पशुओं की सही संख्या होनी चाहिये। एक तरफ तो खाने के लिये अन्न नहीं है। पारसाल मंत्री जी ने सदन के अन्दर अन्न, चारे के आंकड़े दिये थे और बतलाया था कि पशुओं के लिये चारा नहीं है। सरकार फैमली प्लानिंग करती है और यह तय करती है कि बच्चे कम पैदा होने चाहिये। आपको यह भी तय करना चाहिये कि कितने पशु रखने चाहिये और एक काश्तकार कितने पशु अपने पास रखे। इसके कोई आपके पास आंकड़े नहीं है। ६।। एकड़ से कम जोतवाले काश्तकार के पास भी दो बैल होने चाहिये। एक बैल से उसका काम नहीं चल सकता। एक गाय और भैंस भी वह रखता है जो जरूरी है। इसी तरह से ३, ४ पशु वह अंड बंड भी रखता है जिसकी उसको कोई खास जरूरत नहीं है। जो सांड़ जंगल में घूमा करते हैं। उनमें भैंस का सांड़ भी होता है और गाय का सांड़ भी होता है। उनसे जब उन गाय और भैंस का संपर्क होता है तो अप्राकृतिक रूप में उनसे बच्चे पैदा होते हैं। चाहे वह बच्चे किसी भी तरह के हों उनके लिये खास इन्तजाम नहीं है और उनसे नसल भी अच्छी नहीं होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आप फैमिली प्लानिंग पर जोर देते हैं उसी तरह से पशु प्लानिंग पर भी जोर देना चाहिये। जब तक आप पशु प्लानिंग नहीं करेंगे और इस पर जोर नहीं देंगे तब तक अन्न और चारे का मामला इसी तरह से चलता रहेगा। कितने वह बैल रखे और कितने दुधारू जनावर किसान के पास होने चाहिये इस पर आपको बल देना चाहिये। इसके साथ ही कुछ लोग सांड़ ऐसे ही छोड़ देते हैं जिनसे नसल और भी खराब होती है। सरकार सांड का प्रबन्ध करती है तो इस तरह के सांड छोड़ने पर प्रतिबन्ध होना चाहिये जिससे नसल खराब न होने पाये। इससे यह भी होता है कि पशुओं की संख्या बढ़ती जाती है और संख्या बढ़ने से इन्तजाम नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आर्थिक दृष्टिकोण अपने सामने रखकर इस समस्या पर विचार करना चाहिये। सरकार इस तरह के बिल बनाये जिससे यह समस्या हल हो। आमतौर पर देखते हैं कि सरकार ऐसे बिल बना देती है जिससे समस्या हल नहीं होती है और वे बिल फेल हो जाते हैं। यह बिल ऐसा है जिस पर बहुत अधिक बहस मुबाहसे की आवश्यकता नहीं है और न इस बिल के सिद्धान्त से हमको विरोध है। सरकार इस बात को मानती है कि पशुओं का संरक्षण होना चाहिये और किसी भी आदरणीय सदस्य को इसमें विरोध नहीं हो सकता है। जब किसी को विरोध नहीं है तो हम सब इस विषय में एकमत हैं। जब एक मत हैं तो मेरा निवेदन है कि ठीक-ठीक प्रकार से और सही सही तरीके से आर्थिक ढांचे के आधार पर जितनी आपके पास जमीन है उस जमीन के हिसाब से जितना चारा है उसके हिसाब से यहां पशुओं की संख्या निर्धारित करें। महात्मा गांधी जी तो चीटी का भी वध नहीं चाहते थे। इस प्रदेश में १५, २० वर्ष से सही तरीके के इस संबंध में कानून नहीं बने हैं। जितने भी हमारे यहां पशु हैं उनको मारने का अधिकार बन्द होना चाहिये। यह प्राकृतिक रूप से उनको अधिकार होना चाहिये कि वे उसी तरह से मरें जैसे कि मनुष्य अपनी मौत मरता है। इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिये।

आप कहते हैं कि दूसरे प्रान्त को नहीं जाने देंगे वहां पर वह मर जायेंगे। यहां भी वह मर जायेंगे। जो पैदा हो उसको सही तरीके से जीवित रखना चाहिये। यह कहा जाता है कि जब पशुओं की स्थिति खराब हो जाय तो वे बध के योग्य हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति ही क्यों आये कि वे बीमार हो जायं। हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि अच्छी नसल के पशु यहां पर पैदा हों और ज्यादा से ज्यादा पशुओं को स्वस्थ रखने की व्यवस्था आप कर सकते हैं

[श्री राधेश्याम शर्मा]

इसके अलावा यदि आप कोई दूसरी व्यवस्था करते हैं तो वह अप्राकृतिक व्यवस्था होगी। यह सब बातें प्रवर समिति में यदि इसको भेजा जाय तो वहां पर ठीक हो सकती हैं। गेंदासिंह जी से निवेदन है कि वह इस बात को स्वीकार करें कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जा सके।

मैं दो प्रवर समितियों में रहा हूं। उसमें कुछ पार्टियों के नियम ढीले पड़ जाते हैं और इन १७ सालों में नयी बात हुई है कि जो कभी नहीं हुई थी कि जब वहां हमको ७ वोट मिले और ५ माननीय बनारसीदास जी को मिले। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग चाय पीने चले गये थे। तो मैं समझता हूं कि प्रवर सिमिति में कभी-कभी सच बात संभव हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप उस समिति के सदस्य थे ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

जी हां, मैं उसका सदस्य था।

श्री अधिष्ठाता—

तो क्या उस बात का कहना यहां पर आप के लिये उचित होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं यह कह रहा था कि वहां सच बात हो जाती है। मैं उस का हवाला नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगर कोई प्रवर समिति बनेगी तो उसमें सब लोग मिल कर बैठें तो और उसमें दलों की बात नहीं रहेगी। यहां तो "हां" को संख्या पूछी जाती है और "हां" कहने वालों को पता नहीं होता कि वह "हां" किस बात के लिये कह रहे हैं। यहां तो यह परिपाटी बन गयी है कि इधर वाले "ना" कहेंगे और उधर वाले "हां" कहेंगे। यदि आप प्रश्न रख दें कि सूरज पूर्व में निलकता है या पश्चिम में तो उधर के लोग "हां" कह देंगे और इधर के "ना"। तो इसलिये मैं कहता हूं कि उसे आप ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी में भेजें जहां आर्थिक दृष्टिकोण से सही विश्लेषण कर के आप निर्णय करें कि उत्तर प्रदेश में कितने पशु खप सकते हैं, कितनों को यहां रखा जा सकता है, और कैसे उनकी व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा करने से ही प्रदेश का कल्याण होगा और पशुओं की नस्ल सुधरेगी और नस्ल सुधरने के साथ साथ काश्तकारों का भी कल्याण होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें ८४, ८६ और ८७ परसेंट लोग खेती बारी पर निर्भर करते हैं और इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे आप ज्वायंट सैलेक्ट कमेटी में भेज दें ताकि जितनी खामियां इस में रह गयी हैं वे दूर की जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे वर्तमान कृषि मंत्री महोदय इसे संयुक्त प्रवर समिति में अवश्य भेजने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह विधेयक पेश है यह बड़े महत्व का है और आज की स्थिति में और इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसका महत्व और अधिक हो जाता है। चूंकि इस विधेयक को पेश करने वाले हमारे प्रदेश के एक किसान नेता है जो धरती पुत्र हैं और उनकी तरफ से जब इस तरह का कोई विधेयक पेश हो तो, मैं ऐसा महसूस करता था कि, उसकी तमाम बनाये और तमाम धारा वह अच्छी तरह से देखेंगे भालेंगे और उस के बाद अपने डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से निर्देश देंगे और निर्देश देने के बाद एक फैक्ट के रूप में उसे सदन में पेश करेंगे। इसमें नितांत कमियां है और इसलिये मैं चाहता हूं कि उनको दूर किया जाय। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी

टूटने के बाद एक ऐसी अवस्था पैदा हो गयी जिसमें यह एक समस्या पैदा हो गयी कि पशुओं का संरक्षण कैसे किया जाय, उनको चारा कैसे दिया जाय, उनकी शारीरिक स्थिति कैसे ठीक रखी जाय। सीलिंग ऐक्ट में भी जमीन नाम मात्र को कागजों मे ही रह गयी है, लेकिन मौके पर नहीं है। हालत यह है कि चारे की कमी हो गयी और उसका मतलब यह है कि हमारी पशुओं के क्षेत्र में स्थिति गिरती जा रही है और हमारे यहां खेती बारी सही तरीके से अब नहीं हो पाएगी। ट्रैक्टर तो नया आविष्कार है। हमारे यहां के किसान के पास तो छोटी होल्डिंग होती है, वह महज बैल रखता है और उससे कोशिश करता है कि उसकी खेती बारी का काम चलता जाय। उसीमें वह अपने चारे आदि का इंतजाम कर लेता था। जमींदारी के समय जो जमीन थी उसका हम नियोजन कर रहे हैं ठीक ढंग से, इसलिये आज पशुओं के चारे का प्रश्न हल नहीं हो पा रहा है। आप कानून बना दें, ठीक है। अगर उससे चारा मिल सकता है पशुओं का संरक्षण और संभरण हो सके तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसकी व्यवस्था पर आप पूर्णरूपेण विचारनहीं करेंगे कि कहां से चारा आयेगा, कैसे संरक्षण होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या कानून बनाकर और गांवों के रहने के लिए स्थान खोल कर ही आप संरक्षण कर पायेंगे। यह समस्या आपके सामने होनी चाहिये। इस विधेयक में २–४ बातें खास-खास हैं। एक तो आपने कह दिया कि गाय और उसकी संतति पर कैसे नियंत्रण किया जाय। दूसरे गाय और साड़ के मांस पर कैसे व्यवस्था की जाय। फिर पशुओं के निर्यात पर क्या विनियमन किया जाय। लेकिन जहां तक संरक्षण सवाल है जो कि इस विधेयक का और आपकी नीति का सबसे बड़ा मौलिक आधार है, मैंने इसमें कहीं नहीं पाया कि उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की।

जिस तरह से आज किसान आर्थिक जंगल में फंसा हुआ है उससे खेत बिखरे पड़े हैं, इकट्ठा नहीं कर पाये हैं पशु बेकार होते चले जा रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उस समय आपको एक पैकट बिल लना चाहिए और उनकी सभी जरूरियात की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए आपकी नीयत में कोई संदेह नहीं कर सकता कि इस विधेयक को लाकर आप सही तरीके से संरक्षण करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उचित प्राविधान करना पड़ेगा। अगर जरूरत हो तो ग्राम समाज में जहां चकबन्दी हो रही है, आप देखते हैं कि सैकड़ों बीघे जमीन ऊसर बंजर आपके कागजात में दिखाई पड़ रही है, आपके माल विभाग ने एक हुक्म जारी कर दिया और इसको लेकर किसानों को दे दिया। जो आपकी चारगाह की जमीन है वह भी अब टूटती चली जा रही है। तो आपके पशु कहा रहेंगे कहां संरक्षण पायेंगे, कहां से संभरण पायेंगे, इसके लिए रेवन्यू विभाग या जो भी सरकार का डिपार्टमेंट हो उससे बात करनी चाहिए। क्योंकि सीलिंग में जो जमीन छूट रही है उसकी भी ही नवइयत हो रही है। तो कम से कम चारागाह और ऐसी जमीनें जिन पर पशु रखे जा सकते हैं और उनका पोषण हो सकता है उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। आपकी भावना स्पष्ट है कि गो वध को लेकर जो धार्मिक भावनाओं के कारण प्रदेश में तूफान होता था उसको रोकने की आपने चेष्टा की है, लेकिन उससे किसान की आर्थिक स्थिति दुरुस्त होने वाली नहीं है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। इसलिए तमाम चीजों पर विचार करके आप एक पैकट बिल बनावें और जरूरत हो तो उसे एक प्रवर समिति में भेजें और संशोधनों और अच्छे-अच्छे सुझावों के साथ एक पैकट बिल बनावें, फिर इस विधान सभा द्वारा उसे कानून की शक्ल दें। मुझे इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करना है।

श्री विजयसिंह (जिला जलौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय फूलसिंह तथा माननीय रक्षपाल सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जिस भावना से इस बिल को सदन में रखा उसको अधिकारी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सके और न भावों को ही साकार रूप दे सके। माननीय मंत्री महोदय को भी इस बिल को देखने का संभवतः समय भी कम मिला। लेकिन इसमें पशु परिरक्षण एवं संरक्षण की बात जो इस विधेयक मे कही गयी है वह इससे पूरी होने वाली नहीं है। प्रथम बात जो इसमें बड़ी भूल की गई है कि इसमें अंत में गो वध निवारण अधिनियम

[श्री विजयसिंह]

को केवल निरस्त करने की ही बात लिखी गयी है, लेकिन जब एक बिल निरस्त होगा तो दूसरे में तुरन्त लागू होने की योजना जरूरी है पर इसमें यह कहीं नहीं है कि यह किस दिन लागू होगा। इसके अलावा जो मंशा हमारी काम करने की है वह इस विधेयक से पूरी नहीं होने वाली है। जो परिभाषाएं पशुओं की इसमें दी गयी हैं और जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनको भी बदलने की आवश्यकता है। हमारी इच्छा प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधारने तथा अच्छा घी, दूध प्राप्त करना है। दूध आज हमारे यहां प्रदेश मिलता है वह भी अन्य मुल्कों जैसे हालैण्ड आदि के मुकाबले में बहुत कम है। इस देश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में भी कम है। पशुगणना सन् १९५१ के अनुसार हमारे यहां कर ब २ करोड़ ५६ लाख के करीब गाये थीं और २९ लाख के करीब भैंसे थीं। और आ कल तो और अधिक पर अगर वास्तव में उनका संरक्षण करना है तो हमें इस विधेयक पर शांति और गम्भीरता के साथ विचार करना पड़ेगा और यह तभी हो सकता है जबकि इसे एक प्रवर समिति में भेजा जाय। बम्बई की सरकार ने भी इसी तरह का एक ऐक्ट बनाया है। मैंने उसको भी देखा है। उस अधिनियम में वहां एक धारा ७ है, जिसमें यह है कि जहां पर पशुओं का वध होता है यहां पर कोई भी सक्षम अधिकारी जाकर देख सकता है जांच कर सकता है। हमारे यहां ऐसा कोई प्रोविधान नहीं है। इस विधेयक में अंत में एक सेक्शन अवश्य दिया है कि अधिकारी किसी जलगोत या उन ग्रहों की, जहां पशु को अवरुद्ध किये जाने का शंका हो या विश्वास करने का कारण हो तो तलाशी आदि ले सकता है, लेकिन यह उस तरह का नहीं जिस तरह का बाम्बे ने अपने यहां रखा है। मेरा ख्याल है कि उसका भी इस विधेयक में प्रावधान होना चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे।

मेरा ऐसा विचार है कि इस विधेयक को बनाते समय गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट से भी फायदा नहीं उठाया गया है। मेरा यह भी कहना है कि जो धाराएं इस विधेयक के अन्दर हैं वे भी समुचित रूप से स्पष्ट नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस विधेयक को देख लें कि जो मंशा उनकी है वह इस विधेयक के द्वारा पूरी होती है या नहीं, अगर नहीं होती है तो इसको प्रवर समिति को भेज दें जो पूरी तरह से इस पर विचार करे। और भी बहुत बातें हैं एक जिनको आज वि तर से कहना उचित नहीं है क्योंकि जब इस विधेयक पर खंडशः विचार होगा तब ही कही जायंगी। इसमें कितनी ही कमियां हैं। जिनका परिष्कार भूल में ही होना योग्य है इसलिये प्रवर समिति के लिये मैंने सुझाव दिया है। उन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को एक प्रवर समिति में भेजने की कृपा करेंगे और मेरे इस प्रस्ताव को मान लेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। आज के एजेंडा पर तीन विधेयक हैं। एक तो उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक है, एक विश्व विद्यालय परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध है, एक स्थानीय निकाय सम्बन्धी विधेयक है। तो अगर आज तीनों को ही समाप्त होना है तो आप कृपया बतला दें कि क्या कार्यक्रम निश्चित हुआ है और विधेयक कब तक चलेगा। अगर स्थिति स्पस्ट कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें स्पष्ट करने की कोई बात तो है नहीं। नियम यह है कि जब कोई प्रस्ताव उपस्थित हो और उसके लिये कोई समय निर्धारित न हो तो इस सदन के हाथ में है कि जब तक कोई सदस्य प्रस्ताव उपस्थित न करे विवाद समाप्त करने का तब तक उस पर विवाद चलता रहेगा।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हुए भी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इस विधेयक का समर्थन कर सकूं। वह इसलिये नहीं कि मैं गाय की महत्ता को नहीं समझता। मैं स्वयं गाय को गो माता मानता हूं और हमेशा व्यक्तिगत रूप से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गाय को पालता हूं और उसका दूध पीना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । मैं समझता हूं कि इस देश की खेती की तरक्की के लिये गाय का होना बहुत ही जरूरी है । अगर आप पुराने इतिहास को देखें तो यह पता चलेगा कि जब से भारतवर्ष में खेती करने की आवश्यकता पड़ी और उनके लिये अन्न की आवश्यकता पड़ी तबसे गाय की मान्यता उत्तरोत्तर बढ़ती गयी क्योंकि भारतवर्ष की खेती अगर गाय बैलों के नहीं हो सकती है । इसीलिये गाय का पालना तथा गाय की रक्षा करना हमारे धर्म के अन्दर सम्मिलित किया गया है । धर्म के अन्दर वह सम्मिलित हो या न हो, यह दूसरी बात है लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर गाय खेती के लिये आवश्यक न हो, तो भी गाय के दूध की आवश्यकता तो रहेगी ही । क्योंकि गाय का दूध साइंटिफिकली सबसे उत्तम दूध है तथा सबसे अधिक पौष्टिक है, इसलिये गाय की रक्षा करना हमारा परम कर्त्तव्य है । लेकिन इस विधेयक में यह नहीं रखा गया है कि हम गाय की संतति की रक्षा कैसे कर सकेंगे । सन् ४७ से हम देख रहे हैं कि किस तरह से गाय की संतति का ह्रास हुआ है और किस तरह से उनके प्रति लापरवाही व निरादर का भाव भरता गया है । आज गायों का पालना मुश्किल सा हो गया है । शहरों के अन्दर रोजमर्रा हम देखते हैं कि लोग बछिया को छोड़ देते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, वे लापरवाही के साथ जंगलों में घूमती फिरती हैं जिनको कोई चाहे पकड़ कर बन्द कर लेवे, चाहे बांध कर रख ले, इसकी परवाह नहीं है । पहले कायदा यह था कि गांवों के अन्दर कुछ चारागाह छोड़ दिये जाते थे जहां गायें चरा करती थीं, लेकिन चकबन्दी के बाद सारे चारागाह टूट गये, खादर टूट गये जिससे गायों की परवरिश होना भी मुश्किल हो गया है । भैंस को तो आप खूंटे पर बांध कर खिला सकते हैं लेकिन गाय ऐसा जानवर है जिसके लिये चरना व घूमना अत्यन्त आवश्यक है । अगर गाय को खूंटे पर ही बांध कर रखा गया और उसे घूमने फिरने का मौका न मिले तो उसकी रक्षा नहीं हो सकती है । आपने कानून के जरिये गाय तथा गाय की सन्तति का बध रोक दिया है जिससे खाने के गोश्त जोर भैंस व भैंसे के ऊपर पड़ गया । भैंसे बोझ उठाने का काम करने लगे, खेती का काम करने लगे और इस तरह से आर्थिक आधार पर भैंस व उसकी सन्तति की रक्षा करना तथा पालना भी हमारा कर्त्तव्य हो गया है। लोग समझने लगे कि भैंस का पालना धर्म है और गाय का पालना अधर्म है । आज स्थिति यह है कि आर्थिक आधार पर लोग गाय पालने के लिये तैयार नहीं हैं, उसका संरक्षण करने के लिये तैयार नहीं है। मैं धर्म की बात तो नहीं करता लेकिन गाय का पालना मैं आपना परम कर्त्तव्य समझता हूं । भारतवर्ष के लिये गाय एक बहुत ही जरूरी पशु है, लेकिन आप देखें कि सन् ४७ से भैंस की तादाद बढ़ती जा रही है और गाय की तादाद कम होती जा रही है । एक रोज मैंने बर्नार्डशा के आखिरी लेख को मैंने पढ़ा । उन्होंने मांस न खाने के विषय में प्रतिपादन किया है ।

एक बात और बतला दूं कि बर्नार्डशा चाय नहीं पीते थे और न हीं मांस खाते थे । उन्होंने आखिरी वक्त में लिखा था कि अगर मनुष्य किसी जानवर के मांस को खाना छोड़ दे तो दो चीजें ज्यादा हो सकती हैं । एक तो यह—या तो उन जानवरों की तादाद बढ़ जावेगी या फिर जिस जानवर को वे खावेंगे तो इंसानों की तादाद बढ़ जावेगी । आज हमारे यहां गाय का संरक्षण और पालन असम्भव हो गया है । हमारे लिये इन परिस्थितियों में जो हमारे सामने मौजूद हैं आज पशुधन हमारे यहां बहुत ज्यादा हैं लेकिन अगर हम यहां दूध के आंकड़े को देखें तो वह पांच औंस पर कांपता पड़ता है । आप इंगलैंड, अमेरिका या डेनमार्क में जांय जो अपने यहां गाय को गौमाता करके नहीं पालते बल्कि गाय को गाय मानकर पालते हैं तो वहां प्रत्येक व्यक्ति पर सेर, सवा सेर के हिसाब से दूध पड़ता है । हलांकि वहां तादाद के हिसाब से पशुधन बहुत कम हैं परन्तु हमारे यहां विपरीत हालत होते हुए भी हमें दूध ढ़ाई औंस मिलता है । हमारी गायों का दूध भी बहुत कम होता है । इसलिये हम जब तक गायों की इनकानामिक वैल्यू को नहीं बढ़ायेंगे और जब तक आप केवल धार्मिक दृष्टि से ही उसको देखते रहेंगे तब तक गाय का संरक्षण होना, उसका पालन पोषण होना असम्भव है । प्राचीन काल में योरुप के देशों में जब घोड़े को यहां की गाय की तरह ही माना जाता था और उनका उपयोग खेती के काम में करते थे, उनका संरक्षण करते थे और उनको घर के रूप में पालना उचित समझते थे । घोड़ा का मांस भी नहीं खाते थे परन्तु जब मेकेनाईजेशन हो गया तो वहां रूढ़िवाद भी खत्म हो गया । अब घोड़े की वह परिभाषा

[श्री केशव गुप्त]

नहीं रहो । अब वहां घोड़े के मांस को भी खाते हैं । वह जो उनकी पुरानी भावना थी वह खत्म हो गई । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर बिल लाना है तो वध करने की रोक ही गाय की तरक्की में सहायक नहीं हो सकेगी । गाय की जो इकोनामिक वैल्यू है आप पहिले उसको बढ़ाइये । तादाद को कम करें । जितनी ही तादाद कम होगी उतनी ही गाय की नस्ल बढ़ेगी और वह इकोनामिक होगी । इसलिये जरूरत यह है कि जहां तक हो सके जो अनइकोनामिक जानवर हों वे खत्म किये जायं ।

केवल इतने पशु हमारे यहां रखे जायं जिनका कि हम भरणपोषण कर सकें, संरक्षण कर सकें जिनको चारा दे सकें, आटा दे सकें, गेहूं दे सकें, अन्न दे सकें । अगर आप इतने पशु रखेंगे तो आपकी गाय की कदर बढ़ेगी । आज आप देख लीजिए गाय को आप गऊ माता कहते हैं लेकिन उसकी कितनी कदर हो रही है, भैंस का दूध १ रुपया किलो बिकता है तो गाय का दूध बारह आने और आठ आने किलो बिकता है । यह है आपकी गाय का आदर जो देश के सामने है और पुराने रूढ़िवाद के कारण आज गायों का ह्रास हो रहा है । तो जरूरत इस बात की है कि जब हमारे हाथ में शक्ति है, ताकत है तो हम उस रूढ़िवाद को तोड़कर गाय की इकोनामिक वैल्यू को बढ़ायें । तब जाकर उसका संरक्षण होगा अन्यथा आप चाहे निर्यात पर प्रतिबन्ध लगायें, चाहे गोवध को रोकें, चाहे और दूसरे तरीकें अपनायें, गाय की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा । १९४६ से ६५ तक १९ साल हो गया आप उसकी स्थिति सुधारने में नाकामयाब रहे और जब तक आप अन्धाधुन्ध ढर्रे के पीछे लुढ़कते चले जायंगे तब तक यही हालत रहेगी । मैं खुद यह समझता हूं और गाय को गाय की तरह से पालता हूं । बराबर गाय मैं रखता हूं और कभी गाय के बच्चे को बेचता नहीं हूं, चाहे वह मेरे खूंटे पर मर जाय लेकिन किसी को देता नहीं हूं । यह मैं आज भी करता हूं और जब तक जीवन है तब तक करूंगा । लेकिन जो मुश्किलात हैं उन्हें हमें पेश करना चाहिए और उनका मुकाबिला करना चाहिए, आज क्यों गाय की सन्तति नहीं बढ़ रही है । आप पैठ में चले जाइये सौ-सौ रुपये, अस्सी-अस्सी रुपये में झुंड की झुंड गायें आपको बिकती दिखाई पड़ेंगी, खाल निकालने के लिए लोग उन्हे खरीदकर ले जाते हैं और यह होता रहेगा जब तक कि गाय की इस तरह इकोनामिक वैल्यू कम है, और उसकी खाल और चमड़े का मूल्य ज्यादा है, जब तक एक सी स्थिति रहेगी तब तक गाय का वध होता रहेगा, कोई अधिनियम उसके वध को नहीं रोक सकता । यह चीज चलती रहेगी, अब तक चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वास्तविकता पर ध्यान दीजिए और ऐसी चीजें जो लोगों की भावनाओं को आकर्षित करने वाली हों या ऐसे विधेयक जिनमें वास्तविकता कम हो, उनको लाने से पीछे हटिये । गाय की इकोनामिक वैल्यू को बढ़ाइये । आप तय कीजिए कि हमारे सूबे में इतने पशु पल सकते हैं, इतनी गायें हम रख सकते हैं, उतनी रखिए और उनकी सन्तति को बढ़ाइए ।

आपके गोसदनों को भी मैंने देखा है । इन गोसदनों को लोग बूचड़खाना कहते हैं और वह वास्तव में बूचड़खाना है भी । वह बेचारी बगैर खाये पिये मर जाती है । इससे तो एकदम उनका बध कर देना मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं । गान्धी जी ने भी एक दफा ऐसा ही तजुर्बा किया था और कहा था कि जब कि बछड़े को ज्यादा तकलीफ ही रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर यह अपनी नेचुरल मौत से मरेगा तो इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और वैसी हालत उन्होंने उसको मरवा डालना ज्यादा बेहतर समझा ताकि उसका कष्ट निवारण हो जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि आपको इन गोसदनों से कोई लाभ नहीं हुआ है उल्टे हानि ही हुई है । जो पशु वहां पहुंचे वह भूखे प्यासे मर गये और उनकी खाल उतार ली गई, उनका चमड़ा उतार लिया गया । यही आज वहां होता है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं । मैंने तमाम आपके मेकेनाइज्ड फार्म और डेयरी फार्म जहां पशु रहते हैं वहां पर भी देखा है । उनको देखकर मुझे दुख हुआ कि जितनी तरक्की गायों की वहां होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई, न उनकी एकोनामिक वेल्यू बढ़ाने का कोई प्रयास हुआ और न ही उनकी अच्छी नस्लें बढ़ सकीं और बात बिलकुल सीधी सी है,

अगर मेरे दो बच्चे हों या एक बच्चा हो तो मैं अच्छी तरह उसका पालनपोषण कर सकता हूं, उसको अच्छी शिक्षा दिला सकता हूं। लेकिन अगर दस-बारह बच्चे हो गए तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि उनकी सबकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकूं, किसी के पास कपड़ा नहीं होगा तो किसी के पास जूता नहीं होगा, किसी को खाने को नहीं मिलेगा। यही दशा आज हमारे यहां गायों की है। जब गाये जरूरत से ज्यादा हैं तो उनका वध भी होता है और लोग उनको छोड़ भी देते हैं। मजबूर होकर आज लोग उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं।

मेरे ही फार्म पर दो बछियां हैं और ३ महीने से उनको कोई लेने वाला नहीं है। जिनकी हैं वे कहते हैं कि बाबू जी, आप ही उनको ले लीजिये, हमको नहीं चाहिये। अगर हम गाय की रक्षा नहीं कर सकते जो हम अपने पशुओं को, गाय और भैंस को, क्या खाने के लिये देंगे? इसलिये आपको यह सोचना होगा कि हम कितने पशुओं का संरक्षण कर सकते हैं, और कैसे उनकी इकोनामिक वैल्यू बढ़ सकती है। आपको क्रियात्मक आधारभूत मान कर चलना होगा। तभी देश और राज्य का भला हो सकता है। अगर आप भावनाओं को आकृष्ट करने के लिये बिल लायें तो उससे देश का भला होने वाला नहीं है। हम कुछ ही दिन के लिये लोगों को बहका सकते हैं, सदैव के लिये नहीं। इस बिल से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह फिर सोचें और गहराई से सोचें। सब पार्टीज को बुला कर पूछें कि किस प्रकार पशुओं की रक्षा हो सकती है। तब दूसरा काम्प्रिहेंसिव बिल लावें। हम उसका आदर करेंगे। आपकी भावनायें रूढ़िवाद पर निर्भर हैं। आप गलत भावनाओं को लेकर इस बिल को लाये हैं। वोटों को कैच करने के लिये लाये हैं। इन चीजों को समर्थन देने में मैं असमर्थ हूं। विकास और प्लानिंग का तरीका यही है कि आप यह देखें कि हम ५ साल में कितने पशुओं को अपने राज्य में रख सकते हैं, कितनों को चारा सही तौर से पूरा दे सकते हैं और उन्हें इनकोनामिक तरीके से रखा जा सकता है। प्लानिंग के माने यह नहीं हैं कि संख्या बढ़ाये जाओ। हमारे यहां इस समय फैमिली प्लानिंग का काम भी इसी तरह हो रहा है जिसमें बिलकुल निराधार बातों पर काम हो रहा है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ही प्लानिंग को ठीक नहीं कर सकती तो और कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। कांग्रेस सरकार ही रूढ़िवाद को तोड़ सकती है। इन थोड़े से शब्दों के साथ में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल की जगह दूसरा बिल लाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं इस बिल के बारे में कुछ कहूं, मैं इस बात पर अफसोस जाहिर करूंगा कि माननीय गेंदासिंह जी मेरे लीडर रहे हैं और कांग्रेस में जाकर जो सबसे पहला बिल उन्होंने पायलट किया है वह यह बिल है जिसे कोई भी मानने नहीं जा रहा है। सन् ५६ में काऊ स्लाटर ऐक्ट यहां पास हुआ उसे न तो जनता मानती है और न सरकारी कर्मचारी ही मानते हैं। यह देखने में आया कि सरकारी कर्मचारियों को जो लाइसेंस देते हैं मंथली पैसे मुकर्रर होते हैं और फिर उनसे चाहे जैसा सर्टीफिकेट ले लीजिये। आपने बेंचने पर, ले जाने पर, खरीदने पर पाबन्दी लगाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि चूंकि इस कानून से ५ लाख कसाई बेकार हो गये हैं इसलिये १५ साल से ज्यादा का मवेशी जो अनइकोनामिक हो चुका है उसे काटा जा सकता है। ५ लाख आदमियों में से कोई बेंचता था, कोई लेता था, कोई काटता था, कोई हड्डियां बीनता था। आपने जमींदारी खत्म की और जमींदारों को मुआवजा दिया। लेकिन आपने इन ५ लाख आदमियों का रोजगार लेकर उन्हें कुछ नहीं दिया। कोई दूसरा आल्टरनेटिव रोजगार उनको नहीं दिया। इसलिये वे मजबूर हुए कि काऊस्लाटर ऐक्ट की चोरी से अवहेलना करें। उन्होंने सोचा कि दफा ५ में या ३ या ८ में साल-छ महीने की सजा होगी, तो बेहतर है कि राहजनी करें, डकैती करें या कोई दूसरा जुर्म करें और लम्बी सजा में जावें। आज रात दिन काऊस्लाटर के केसेज होते हैं जिनकी वजह से कहीं-कहीं झगड़े भी हो जाते हैं। पुलिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

अधिकारियों ने भी उनसे साझेदारी मुकर्रर कर ली। जब पुलिस वालों ने देखा कि किसी महीने का रुपया नहीं आया, या २, ३ महीने का रुपया रुक गया, तो वे १०, २० आदमियों को पकड़ कर चालान कर देते हैं, चाहे वे काटने वाले हों या नहीं हों। आपने कहा कि जब मवेशी अनइकोनामिक हो जाय, तब काटा जाय। ठीक है। अनइकोनामिक की आपकी परिभाषा क्या है? आपने कह दिया कि १५ साल से ऊपर का मवेशी अनइकोनामिक कहलायेगा। मेरे यहां एक बैल है। यह १६ साल से है, हल में चल रहा है २ साल का मैंने खरीदा था आपके कहने के मुताबिक यह अनइकोनामिक हो गया, मगर अभी वह ३, ४ साल और काम देगा। अगर मैं उसे अभी कसाई को दूंगा तो वह ५० रुपये से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन उसके इकोनामिक होने से अगर मुझे कोई २०० रुपये भी देगा तो मैं उसे नहीं दूंगा। तो आपका अनइकोनामिक का पैमाना ठीक नहीं है। जब कोई किसान अपने मवेशी को १० रुपये मन का भूसा, ४ रुपये मन की गन्ने की लागत जिस गन्ने का आप २ रुपये मन बिकवाते हैं, सूखी चरी ४ रुपये मन की, यानी इतना महंगा चारा खिलाता है तो वह खुद सोच सकता है कि कौन-सा मवेशी उसका अनइकोनामिक हो गया है। जिस मवेशी को खिलाने में उसे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है वह उसे नहीं रखेगा। वह उसे बेच डालेगा चाहे वह किसी भी नस्ल का हो। अगर उसके यहां एक बछिया है, कई बार गाभिन हुई लेकिन नहीं रुकी, तो वह उसे बेच डालेगा।

आपने चरागाहों के लिये १० फी सदी जमीन हर गांव में छोड़ने के लिये कानून बनाया। बहुत-सी जगह उसे भी प्रधानों ने हाकिम परगना से मिल कर अपने नाम करा लिया है। आप कहते हैं कि हम गऊशालाओं का प्रबन्ध करेंगे। मेरे यहां से चन्द मील के फासले पर एक एरिया है वह डेढ़ हजार बीघे का रकबा है। एक साहब ने उसके लिये कहा कि हम इसमें गऊशाला बनायेंगे। और उस जमीन को एक्वायर करने के लिये वह कलेक्टर साहब को मौके पर ले गये। जमीन एक खाते पीते व्यक्ति की थी। उन्होंने चालीस हजार रुपया लगा कर उसको जोत दिया और यह कह दिया कि यह तो मजरुआ है और उसका नतीजा यह हुआ कि उस डेढ़ हजार बीघे में पिछली खरीफ की फसल में ५०० मन धान हुआ, दो सौ मन गुल्ला बाजरा हुआ, ७०० बीघे में आम का बाग लगा हुआ है, ६०० मन गेहूं हुआ। अगर वह एक्वायर हो गयी होती तो इतना फसल का नुकसान हुआ होता। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा अगर वह जमीन गोशाला के मैनेजर के हाथ में चली जाती तो न जाने वह उसका क्या मिसयूज करता और दूसरी तरफ इतनी बड़ी पैदावार से महरूम रहना पड़ता।

आपने जो यह पशुओं पर पाबन्दी लगायी है उसकी वजह से बहुत चोरियां होने लगी हैं क्योंकि किसान अपने बेकार पशु को बेच भी नहीं सकता है। कोई पशु किसी किसान का बेकार हो जाय तो फिर वह कैसे चाहेगा कि उसको रखे रहे। ऐसी तेजी में वह उसके लिये खाना कहां से लायेगा। वह उसे लाजिमी तौर से बेचेगा चाहे किसी धर्म का किसान हो। लेकिन अगर उसका कोई पशु बेकार हो गया है और उसको बेचने की इजाजत नहीं है, तो वह चोरी से बेचेगा और अल्टीमेटली पशु वहीं जाता है।

आपने स्लाटर हाउसेज के लिये जगह मुकर्रर की है हर गांव में, जहां कि गायें स्लाटर हुआ करेंगी। पुराने वाजिबुल अर्ज को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हर गांव में ऐसे स्थान नहीं थे। जो थे भी वह ५६ के ऐक्ट की वजह से खत्म हो गये क्योंकि सारा काम चोरी से होने लगा था। वहां केवल मझारे थे जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से, और जिनसे हजार, डेढ़ हजार रुपये माह की आमदनी होती थी। बाकी स्थानों में लोगों ने उनको खेतों में जोत लिया था। लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार अगर आप हर गांव में मझारे स्थापित करेंगे तो झगड़े पैदा होंगे। आज भी बहुत से झगड़े मन्दिर मसजिदों को लेकर होते हैं। यह नये झगड़े की जड़ आप पैदा करने जा रहे हैं। जहां भी मझारे बनाने की बात आयेगी सेंटीमेंट्स की बात पैदा होगी और आये दिन झगड़े होंगे, सजायें होंगी, लिटिगेशन बढ़ेगा।

इसी तरह से आपने नील गायों पर पाबन्दी लगायी। जब उनकी तादाद उस पाबन्दी की वजह से बढ़ी और फसलों को नुकसान करना शुरू किया तो आपने कहा कि यह नील गाय नहीं घोड़ा है और अब तो कहीं-कहीं जंगलात की तरफ से उनके मारने के लिये इनाम भी दिया जाता है। अगर बिना सोचे समझे आप करेंगे तो यही हालत इस बिल की भी होगी क्योंकि सन् ५६ के बिल में और इसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं है। मैं समझता हूं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद आपने कुछ थोड़ा सा इधर-उधर करके इस विधेयक को पेश किया है। मैं चाहता हूं कि तमाम चीजों पर गौर किया जाय, यह कि इस बिल के जरिये से किस तबके पर क्या असर पड़ेगा, जिसका रोजगार छिनता है और उनको आप क्या आल्टरनेटिव रोजगार देंगे ताकि इसकी चोरी न हो और पुलिस रिश्वतखोरी न करे, आपके इंस्पेक्टर झूठे सर्टिफिकेट न दें। इस सबके लिये आप क्या कर रहे हैं? उन पशुओं के लिये जिन को गौशालाओं में रखा जायगा आप क्या गारण्टी देंगे कि वह वहां भूखे न मरें? कौन पशु अनइकोनामिक होंगे और कौन अनइकोनामिक नहीं होंगे। हर गांव में कहीं झगड़े की बुनियाद न पड़ जाय, कोई सेन्टीमेन्टल चीज न पैदा हो जाय और रोज झगड़े न होने लगें जब कि हर गांव में नये मजहबे खोलने की बात हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को अभी ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि इस पर इतमीनान से वहां विचार हो और हर पहलू पर हम गौर कर सकें और वहां जो अच्छे सुझाव आयें उनके जरिये से एक काम्प्रीहेंसिव बिल हाउस के सामने आये। वह ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा। यह बात कह कर मैं इस संशोधन की ताईद करता हूं कि इस बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

(श्री कृष्णानन्द राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ऐसा कोई नियम है कि कुछ खास लोगों को ही हर बिल पर बुलवाया जायगा?

श्री अधिष्ठाता---

यह अधिकार जिस खास व्यक्ति में निहित है वह देखेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, श्री चन्द्रबलीसिंह का नाम उन खास व्यक्तियों में जरूर रख दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये और जो आलोचना इस विधेयक के सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्यों से सुनी उससे मेरे मस्तिष्क पर यह प्रतिक्रिया हुई है कि वह इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने में थोड़ा सा अन्याय सा कर रहे हैं। यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, इस मांग का औचित्य समझने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूं। सेलेक्ट कमेटी में जो विधेयक जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य और कारण होते हैं और उन्हीं के अन्दर थोड़े बहुत परिवर्तन और संशोधन विधेयक में किये जाते हैं क्योंकि एक बार बिल को इस सीमा तक स्वीकार करने के बाद कि उस पर विचार किया जाय, सेलेक्ट कमेटी में जब वह जाता है तो उसके समस्त उद्देश्य और कारणों में परिवर्तन, सेलेक्ट कमेटी विधान के अन्तर्गत नहीं कर पाती। यदि किसी सदस्य के मस्तिष्क में हो कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार दूध देने वाले पशुओं और विशेषकर गाय के काटने पर पूर्ण रूप से अवरोध नहीं लगा पा रही है तो सारे विधेयक का विरोध किया जा सकता है कि वह लाया ही नहीं जा सकता। या कुछ साथियों का विचार हो कि ऐसे पशुओं को काटने पर कोई रोक न हो तब भी पूर्ण रूप से बिल की वापसी की बात हो सकती है लेकिन सेलेक्ट कमेटी में भेजने से न तो उनका उद्देश्य पूरा होगा जो पूर्ण रोक लगाने के पक्ष में हैं और न उनका ही पूरा होगा जो प्रतिबन्ध के हटाने के पक्ष में हैं। ऐसी परिस्थिति में सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

[श्री कृष्णानन्द राय]

अब प्रश्न केवल यह है कि इसके सीमित उद्देश्य क्या हैं और उनको अगर आप मानते हैं, जो कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के साथ सन्निहित हैं, तो आपको देखना होगा कि उसकी पूर्ति में यह कहां तक सफल हुआ है।

इस पर बहुत अधिक गुंजाइश है वादविवाद की। इसलिए समझ में नहीं आता कि क्यों हम प्रवर समिति में जायं। इस विधेयक में जो उद्देश्य और कारण दिए हुए हैं उनसे स्पष्ट पता चलता है कि १९५५-५६ में जो गोवध निवारण अधिनियम बना था उसके उद्देश्य जो थे वे उस ऐक्ट के मौजूदा या जिस रूप में वह था वे उद्देश्य उस ऐक्ट के माध्यम से पूर्ण नहीं हो पाते थे। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की भी चर्चा की है कि उस विधेयक के अन्तर्गत कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़े जा चुके हैं और उनमें कुछ न्यायालयों ने यह विचार प्रकट किया है कि इस विधेयक के जो भी उद्देश्य और कारण हों, उसमें कहीं भी इस बात का प्राविधान नहीं है कि किस प्रकार का पशु काटा जाय। न्यायालय ने यह बात भी मुल्जिमान पर ही छोड़ी है कि वे इस बात को साबित करें कि जो पशु उनके द्वारा काटा गया था वह उपयोगी था अथवा अनुपयोगी, चाहे वह दुधारू पशु हो पर उसकी जिम्मेदारी भी मुल्जिमान के ऊपर ही छोड़ दी कि वह साबित करे कि वह पशु अनुपयोगी था अथवा उपयोगी। इन सब परिस्थितियों के कारण मेरी समझ में यह विधेयक लाया गया है। वैसे तो इस कार्य के लिए उचित यह था कि एक संशोधन विधेयक ले आया जाता परन्तु चूंकि व्यापार आदि पर भी नियंत्रण करना जरूरी हो गया है इसलिए यह एक नये रूप में विधेयक लाना पड़ा है।

(इस समय २ बज कर १६ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि अब एक अधिकारी रहेगा। उस अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था इस विधेयक में कर दी गयी है। इस अधिकारी से बिना इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हुए कि यह पशु या यह गाय अनुपयुक्त हो गयी है, उस पशु का कोई वध नहीं कर सकता है। गो वध निवारण अधिनियम में जो व्यवस्था थी उसके यह पता नहीं चलता था कि किस प्रकार का पशु काटा जा सकता है और वहां से एक संघर्ष की परिस्थिति पैदा होती थी। इस विधेयक के द्वारा एक अधिकारी को यह काम सौंप दिया गया है कि जब तक पशु वध करने वाला इस अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर ले तब तक उस पशु का वध नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में यह काफी उचित व्यवस्था कर दी गयी है। माननीय रियासत हुसैन साहब ने फरमाया कि इस विधेयक में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि १५ वर्ष के उपरान्त ही पशु अनुपयुक्त मान लिया जायगा। इसमें यह कहा गया है कि १५ वर्ष के नीचे के पशु का वध करना निषेध है लेकिन यह नहीं कहा गया है कि १५ वर्ष के उपरान्त जो पशु उपयुक्त होंगे उनका वध हो सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसा माननीय सदस्य को डर है कि कहीं जो बैल १६ वर्ष का हो गया तो उसे १६वें साल में काट दिया जायगा। यह केवल संकेत रूप में दिया गया है कि १५ वर्ष के नीचे के जो पशु होंगे उनको उपयुक्त बताया गया है। तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है।

विधेयक के सम्बन्ध में बोलते हुए माननीय फूलसिंह जी ने एक बात की ओर इशारा किया कि इस प्रदेश से लगभग ३० हजार पशु या गाय निर्यात किए जाते हैं और ६७,००० पशु इस प्रदेश में लाये जाते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अब आपका बैल २ साल नहीं चलेगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह तो आप वर्षों से देख रहे हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

अब आपके घर के बैल २ साल से अधिक नहीं चलेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय उपसभापति जी इस स्वप्न को बहुत दिनों से देख रहे हैं कि दो साल से ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन वह चलता ही जा रहा है और १५ वर्ष के उपरान्त भी चलता जा रहा है।

मैं कह रहा था कि एक बहुत ही सुन्दर परिस्थिति की ओर माननीय फूलसिंह जी ने संकेत किया इस विधान सभा में कि यहां से केवल ३०, ३२ हजार पशु निर्यात होते हैं, लेकिन ६७ हजार पशु यहां बाहर से आते हैं और यदि निर्यात पर रोक लगा देते हैं तो यह भी सम्भावना है कि दूसरे राज्य भी अपने यहां से पशु के निर्यात पर रोक लगा दें। जैसे कि गल्ले के बारे में हो रहा है जिसके कारण प्रदेश में गल्ले की बड़ी कमी आ गयी है। यदि आपने पशुओं के निर्यात पर रोक लगा दी तो गुजरात, पंजाब आदि सूबे जहां से अच्छी नस्ल के पशु होते हैं कहीं उन पर ऐसी प्रतिक्रिया न हो कि वे राज्य भी अपने यहां अधिनियम बना दें कि उनके यहां से उत्तर प्रदेश में पशु भेजने पर रोक लगा दी जाय। अगर ऐसा हुआ तो काफी खतरनाक परिस्थिति होगी।

पशुओं के निर्यात पर विधेयक में कोई रोक नहीं लगायी गयी है। केवल यह किया जा रहा है कि जब तक कोई अधिकारी प्रमाण-पत्र न दे दे, जब तक कोई लाइसेंसी न हो, तबतक पशु निर्यात नहीं किये जा सकते। हमारी समझ में जो भी आदरणीय सदस्य इस पक्ष में हैं कि जो हमारे प्रदेश में और देश में दुधारू पशुओं की हत्या होती है और उससे जो गाय का दूध है, जिसका धार्मिक तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व भी है वह रोका जाय तो यह तो इस विधेयक के उद्देश्य में भी नहीं है। लेकिन जहां तक रोकने के ऊपर सीमा लगाने का प्रश्न है, यह ठीक है कि उपयोगी पशुओं पर रोक लगाई जा रही है कि उनका वध नहीं हो सकता है और ऐसे पशु जो उपयोगी हैं उनका निर्यात केवल वध के लिये नहीं हो सकता है और धीरे-धीरे सरकार प्रदेश के समस्त दूध देने वाले पशुओं पर अपना हाथ पहुंचा सकती है। यदि उनका अनुत्तरदायित्वपूर्ण वध किया जा रहा हो तो सरकार उस पर हाथ रख सकती है। जैसा कि माथुर साहब ने उपयुक्त प्रश्न पूछा था कि आपने यह तो कह दिया कि १५ वर्ष के बाद ही अनुपयोगी समझा जायगा तो क्या आप सेंसस भी रखियेगा कि बछड़ा कब पैदा हुआ था? लेकिन वह इतना अवश्य स्वीकार करेंगे कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार १९५५ के ऐक्ट से अधिक प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण कर सकती है ताकि बेढंगे ढंग से उनका निर्यात न होने पावे। इसलिये यह विधेयक काफी सफल है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सरकार ने रखा है उसका आना आवश्यक था और इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बिल इनकमप्लीट है। इसका नाम है पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, और पशु की डेफिनीशन समझ में नहीं आयी कि केवल दो ही पशु, गाय और भैंस क्यों रखी हैं। यानी पशु की डेफिनीशन इस कद्र लिमिटेड कर दी है जिसको कोई आदमी सही नहीं कह सकता। बहुत से जानवर पशु में आ सकते हैं लेकिन चूंकि भैंस और गाय दूध देने वाले जानवर हैं इसलिये इनके ही संरक्षण के लिये सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन अफसोस यह है कि गाय-भैंस के अलावा एक जानवर और है जिसको बिलकुल नेगलेक्ट कर दिया गया है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरवरप्रसाद]

और वह जानवर बकरी है। बकरी विशेष कर पत्ती और घास खाने वाले जानवरों में है और उसका दूध बड़ा गुणकारी होता है। आज देश के अन्दर खाद्य समस्या बड़ी जटिल है। आज विदेशों से अन्न मंगाया जा रहा है। इतनी अच्छी पैदावार होते हुए भी ३२ रुपये मन गेहूं बिक रहा है। ऐसी दशा में इन जानवरों का संरक्षण करना सरकार ने नितान्त आवश्यक समझा। लेकिन मेरा विचार है कि गाय और भैंस के साथ इतनी तरमीम और कर दी जाय कि बकरी को भी जोड़ दिया जाय। वैसे तो इंसान को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी जानवर का वध करे, ईश्वर ने सभी को पैदा किया है। लेकिन अगर वध करना ही है तो फिर सरकार गैर जरूरी इंसानों का भी इन्तजाम कर दे अगर उसे खाद्य समस्या का हल करना है तो। मेरे दोस्त ने जानवरों को मार कर व्यापार करने की बात कही। मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया था। कांग्रेस की सरकार इस देश में सत्य व अहिंसा के आधार पर राज्य चलाने को उद्यत हुई थी। लेकिन आज ऐक्ट बनाया गया है केवल गाय व भैंस की रक्षा के लिये और वह भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। यह भी बिल टालू मिक्सचर के लिये बना दिया गया है। इससे भी देश को ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है।

जहां तक दूध देने का सम्बन्ध है गाय और भैंस जितना ज्यादा दूध दे सकती हैं उससे कहीं ज्यादा दूध बकरी दे सकती है। गाय और भैंस की कीमत ५०० से लेकर ८०० रुपये तक हो गयी है और मामूली आदमी अपने बच्चों को दूध नहीं दे सकता है। सरकार ने ऐलान किया था कि दूध की नदियां बहा देगी लेकिन वह शक्ल नजर नहीं आ रही है। इसलिये बकरी को संरक्षण दिया जाय जिसे गरीब आदमी भी पाल सकता है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बिल में वह गाय, भैंस के साथ बकरी को भी जोड़ दे। आंकड़े देखने से पता लगता है कि जानवरों की तादाद बढ़ गयी, खेती की पैदावार बढ़ गयी लेकिन गेहूं का भाव ३२ रुपये मन हो गया और अमेरिका से गल्ला मंगाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर नियंत्रण करे।

इसमें तारीख का भी जिक्र नहीं है कि किस तारीख से यह लागू होगा, सरकार तारीख भी नियत करे। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि गल्ले का व्यापार करने वालों पर टैक्स लगता है, वकीलों पर लाइसेंस लगता है और हर चीज पर लाइसेंस लगता है। इसलिये इसमें भी प्राविधान किया जाय कि जो जानवर काटें उन पर बहुत बड़ी तादाद में लाइसेंस की फीस रखी जाय ताकि सब लोग जानवर न काट सकें। एक कौम है उसको कसाई कहते हैं क्या उसको ईश्वर ने जानवर काटने का अधिकार दिया है? उनको कोई अधिकार नहीं है। अव्वल तो किसी शख्स को किसी जानवर के मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कानून बनाते हैं तो जानवर मारने वालों के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स रखा जाय और जब वे लाइसेंस प्राप्त कर लें तभी उनको जानवर काटने का अधिकार दिया जाय। इसमें तरमीम की जाय। पशु की परिभाषा को और विस्तृत किया जाय। इसके अन्दर सारे दूध देने वाले जानवर आ जाने चाहिये जिनका देश के रहने वाले दूध पीते हैं।

यह समझ में नहीं आया कि बकरी को क्यों इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? यह एक छोटा-सा जानवर है जो घास खाकर ही जिन्दा रह सकती है। इसको दाने तथा भूसे की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये कोई चीज इस बिल में नहीं रखी गई है। सरकार ने इन जानवरों को छोड़ दिया है। यह देश देवताओं का देश है। लेकिन जो देवता थे वे भी आज गोश्त खाने लगे हैं। गोश्त खाने से कोई विशेष ताकत नहीं आती है। लेकिन अगर आदमी गोश्त खाने के आदी हो गये हैं तो कम से कम बकरी को इसमें सम्मिलित कर लिया जाय। महात्मा गांधी जी ने इसको कितनी मान्यता दी थी। उन्होंने इसके ऊपर ही अपना सारा जीवन निर्वाह किया था। आज उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग खामोश हैं। इतने महत्वपूर्ण बिल पर लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि सदन में कोरम भी नहीं

है। यह देश सत्य और अहिंसा का है। इसलिये यह विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण है। अहिंसा की परिभाषा को ही समाप्त कर दिया गया है। गाय-भैंस के अलावा सब चीजें काटी जा सकती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि गाय, भैंस के अलावा बकरी को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय। इस विधेयक पर गौर किया जाय और इसको मुनासिब बनाया जाय।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुये यह भी समझता हूं कि यदि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य को इसका विरोध करने की गुंजायश है क्योंकि इस विधेयक में यह नहीं किया कि गोकशी बन्द हो गई। यह विधेयक वही है जो पहले लागू था। इसमें और पहले के विधेयक में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अगर हम इसका विरोध करते हैं तो इसका यही अर्थ होगा कि हम किसी भी उम्र की गाय को काट दें और कीमती बैल को काट दें क्योंकि श्रीमन्, हमारे यहां यह चलता है और मैं समझता हूं कि आज का जो हमारा कमर्शियल थिंकिंग है वह ऐसा है कि यदि अमेरिका में हड्डी महंगी हो जाय या खाल की कमी हो जायगी तो यहां के सारे जानवर काट डाले जायेंगे। इस विधेयक में यह संरक्षण है कि वे गायें न काटी जायं जो दूध दे सकती हों और दूध देती हों और वह बैल न कटें जो कार्य कर सकता हो और इसके अलावा उपयोगी सांड़ भी न काटे जायं। अतः आज इसके विरोध का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमन्, यह कहा गया कि यह एक नैतिक भावना पर आधारित है। मैं मानूंगा कि जब संविधान में इस संबंध में जिक्र किया गया तो जहां उसमें देश हित का समावेश था वहां भावना का भी अंश था। भावना को मनुष्य के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। हम किसी समय में भी अलग नहीं कर सके हैं, और न अलग कर सकेंगे। मोटे तौर से देखिये। आज तक साइंटिफिकली यह सिद्ध नहीं हो सका कि ईश्वर है लेकिन दुनिया के बहुत बड़े-बड़े महात्माओं ने ईश्वर को माना और दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या ईश्वर को मानती है। दुनिया में आज बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि न्युडिज्म से स्वास्थ्य अच्छा रहता है लेकिन हम उसको नहीं पसन्द करते। तो मनुष्य समाज भावना को बिलकुल अलग नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन में भावना का कुछ न कुछ अंश रहता है, यदि इसमें भावना निहित है तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या की भावना निहित है। मैं भावना के पीछे नहीं जाता लेकिन गाय को अपने सामने कटते हुए देखकर मुझे कष्ट होगा। हिन्दू गाय को कटते देख कर कष्ट अनुभव करता है। गाय के मांस को साधारण हिन्दू नहीं खा सकता। हमें उसकी भावना का सम्मान करना पड़ेगा। परन्तु यह विधेयक केवल भावना पर आधारित नहीं है। इसमें गाय काटने की इजाजत है। परन्तु उसकी इजाजत है जो बेकार गाय या बैल है। श्री रियासत हुसैन साहब ने कहा कि पांच लाख आदमियों के रोजगार और उनकी भावना का सवाल है। लेकिन ३५,४० करोड़ आदमियों की भावना को देखेंगे या पांच लाख आदमियों की भावना को देखेंगे? हमने उनको बेरोजगार नहीं किया। अगर उनका रोजगार इस पर आधारित था कि वह काम करने वाले बैलों को काटें, दूध देने वाली गायों को काटें, तो वह रोजगार जाना ही चाहिये। लेकिन इस पर वह आधारित नहीं था। यह बिल केवल उन जानवरों को छोड़ने के लिये कहता है जो उपयोगी हैं। माननीय केशव जी ने कहा कि १९५६ का विधेयक कार्यान्वित नहीं हुआ, यह सही है। मैं पूछता हूं कि उस पर अमल होता तो इसके लाने की क्या जरूरत थी? इसमें धारा ७ में अमल करने के लिये प्राविधान है। अगर हमने प्रयत्न किया तो इसको लागू कर सकेंगे। मैं अपने जिले में बीसों वर्ष से देखता हूं। पता नहीं कहां कोई समुद्र है जहां से गाय और बैल बहुत बड़ी संख्या, सौ-सौ, दो-दो सौ चले आते हैं और सब जानते हैं कि वह कटेंगे। मुरादाबाद और बिजनौर जिलों की सड़कों पर देखिये झुन्ड के झुन्ड चले जाते हैं। उनमें यह नहीं कि सब बेकार होते हों। उपयोगी भी होते हैं।

[श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)]

श्रीमन्, एक बात और कहूंगा। इसके अमल में न आने का खास कारण यह है कि हम गाय और बैल को बेचने से नहीं रोकते। जब गाय दूध देना बन्द कर दे या बैल काम करना बन्द कर दे तो आज के समय में किसी भी परिवार के लिये मुश्किल है कि वह उसको पालता रहे। वह उसको लगातार खिलाता रहे। यह संभव नहीं हो पाता कि जब पशु ने कार्य करना बन्द कर दिया तो भी उसे रखा जाये। ऐसे समय में वह उसे बेचने के लिये तैयार होता है। उसको आर्थिक दृष्टि से धारा ७ में जो आपने प्राविधान किया है उसका आप प्रबन्ध करें कि ऐसे पशुओं को रखें और हम यह देखें कि यदि काटने वाला काटता है तो वह इसीलिये काटता है कि उसकी हड्डी और खाल का उपयोग हो जाये और यदि हम इस बात की उचित व्यवस्था कर दें कि बाद में मरने पर भी उसके पशुओं की खाल और हड्डी का उचित उपयोग हो सके और उसे उससे आर्थिक लाभ हो सके तो वह उसे कटवाना नहीं चाहेगा। इसलिये जिले-जिले में, क्षेत्र-क्षेत्र में इस तरह का प्रयत्न हो कि उनकी हड्डी और खाल का प्रबन्ध कार्माशियल बेसिस पर किया जाये। मैं समझता हूं कि इसका कार्यान्वयन हो सकता है। और आपका गो वध संबंधी कानून काफी मात्रा में अमल में आ सकता है। श्रीमन्, इस देश और इस प्रदेश का जहां तक संबंध है, इसका सबसे बड़ा रोजगार खेती है। ७३,७४ प्रतिशत आदमी खेती में यहां लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं चाहे ट्रैक्टर आ जायें या अन्य आधुनिक वैज्ञानिक साधन आ जायं, भारतवर्ष में बिना बैल के खेती नहीं हो सकती है। यदि हम यह दृष्टिकोण रक्खें कि अमेरिका में हड्डी मंहगी हो गयी है तो हम अपने यहां भी गाय, बैलों को काट-काट कर उनकी हड्डी का निर्यात करें और उपयोग करें तो इस भावना से हमारा और हमारे देश का कोई भी हित नहीं हो सकता है। यदि इस देश में कोई पौष्टिक खुराक है तो वह है दूध और यदि गायें बिना किसी रोक के काटी गयीं तो वह भी मिलना दुर्लभ हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह भी समझता हूं कि यदि इसे प्रवर समिति में भेजेंगे तो इससे कोई हानि नहीं होगी। यदि किसी विधेयक को जल्दी होने के कारण पास कराना आवश्यक हो तो इसे यहीं से पास करा लेना चाहिये, किन्तु जिसमें कोई जल्दी न हो, २–४ महीने के देरी से, तो उसे प्रवर समिति में भेजना ही उचित है। यह भी ऐसा विधेयक है कि जिसकी कोई बहुत जल्दी नहीं है। इसके अतिरिक्त यह ऐसा बिल है जिसको अमल में लाने में, जिसके उद्देश्य की पूर्ति कराये जाने में हमें कठिनाई हुई है, इसलिये यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये जहां पर इस विषय पर व्यापक दृष्टि से शांतिपूर्वक विचार हो सके, जिससे फिर कोई खामियां न रह जायें कि यह अमल में न लाया जायें। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाये।

*श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक की जो मंशा दर्शायी गयी है, वह सराहनीय है, लेकिन जिन कठिनाइयों का अनुभव सन् ५५ के विधेयक में किया गया है और जो उद्देश्य इसमें दर्शाये गये हैं जिससे 'पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक' प्रस्तुत किया जाता इस प्रकार का इन शब्दों का जो इसका शीर्षक है, किन्तु इसकी प्रस्तावना के अन्तर्गत लिखा हुआ है 'पशुओं के परिरक्षण, संरक्षण तथा सम्भरण को बनाये रखने'। विधेयक के अन्दर परिरक्षण और संरक्षण के तो उद्देश्य दर्शाये गये हैं किन्तु 'सम्भरण' का कोई उद्देश्य नहीं लिखा गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके न होने से यह अधूरा है और आवश्यक है कि इस पर भी विस्तारपूर्वक विचार किया जाये। जहां तक सम्भरण का प्रश्न है उनके लिये खाने पीने का उचित प्रबन्ध हो। किन्तु आज देखा जाता है कि पशुओं के खाने पीने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी उनके लिये चरागह का उचित प्रबन्ध नहीं है। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि यदि माल मंत्री और आप बैठ कर विचार करें तो इस समस्या का निवारण जल्द हो सकता है। क्योंकि चकबन्दी के दौरान देखा गया है, लाखों एकड़ जमीन जैसा कि आप पश्चिमी सभ्यता के अनुसार चकबन्दी करा रहे हैं, चक रोड निकल रही है और चक रोड का इस्तेमाल हो रहा है। इससे जमीन कम होती जा रही है और खेती योग्य भूमि अनुपयोगी होती जा रही है। न तो कृषि योग्य रह जाते हैं, और न पशुओं की चराई के संबंध में व्यवस्था हो पाती है। जैसे चकबन्दी रोड्स निकाली गयी हैं उसी प्रकार यदि चारे की जमीन की व्यवस्था एक जगह हो जाय तो चारे की व्यवस्था काफी हल हो सकती है।

हिन्दू फिलासफी में गो वध बिलकुल मना है। धार्मिक दृष्टिकोण से वह इसके लिये कभी तयार नहीं होंगे। मां की तरह बच्चा पैदा होते ही उसके दूध से पलता है यह तो धार्मिक प्वाइन्ट आफ व्यू है लेकिन अगर सेकुलरिज्म प्वाइन्ट आफ व्यू से देखा जाय तो भी हर एक वर्ग के लोग यहां रहते हैं। कुछ लोग उसको खाने में विश्वास रखते हैं इसलिये शायद इसमें स्लाटर की बात रखी गयी है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इसको पाप मानते हैं, उनके सेंटीमेंट्स का खयाल रखना है। इकोनामिक प्वाइन्ट आफ ब्यू जो इस विधेयक में रखा गया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या खास बात इसमें की गयी है यह नहीं बताया गया है। मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ कम्यूनल प्वाइन्ट आफ व्यू से देखा जाय तो दूसरे वर्ग के लोग भी हैं जो इसके पालन पर विश्वास करते हैं। इसी कारण एक न एक जगह झगड़े लड़ाई की सम्भावना हो जाया करती है। मैं आपको ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के जमाने की एक बात बताता हूं। नेदरसोल के बिचारों पर मैं यहां कुछ प्रकाश डालता हूं। जब वह जिलों में दौरों पर जाया करता था तब वह लंगड़े और अपाहिज पशुओं को जो चल फिर नहीं सकते थे उनको शूट कर देता था। अगर आप इसी तरह से भावनाओं के अन्दर आ करके पूर्णतया स्लाटरिंग को खत्म करने में असमर्थ हैं तो स्लाटरिंग का प्राविजन न करके उनको शूट करने का प्राविजन इसमें कर दिया जाय। इससे आपस में कम्यूनल झगड़े, कम्यूनल विचार लोगों मे पैदा नहीं होंगे क्योंकि जब कानूनी रूप इसका पैदा हो जायगा तो फिर कोई ऐसी बात पैदा नहीं हो सकती। इन्हीं सब कारणों से मैं मंत्री महोदय से फिर प्रार्थना करूंगा कि इसको ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को मान लें और अच्छा तो यह हो कि आप इसे वापस ले लें और वहां पर इस पर पूर्णतया विचार होने के बाद फिर लें आयें तो ज्यादा अच्छा होगा।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सदन के सम्मुख उपस्थित है उसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। अभी जो विचार अनेक माननीय सदस्यों ने रखे उससे पता लगता है कि कितनी अपूर्णता इस विधेयक के अन्दर है। मैंने इस विधेयक को थोड़ा-सा पढ़ा और मैं इस राय पर पहुंचा कि यह गाय संरक्षण के नाम पर गायों के मारने में कुछ अधिक सहायक होगा। अभी जगदीश जी ने कहा कि अगर अमेरिका में हड्डियों या चमड़े महंगे हो जायं तो जवान गायें भी कट जायेंगी। मैं समझता हूं कि अगर हड्डियों और चमड़े की उपयोगिता बाहर के देशों में और हमारे देश में हुई होती तो शायद इन बूढ़े पशुओं को अनुपयोगी न कहा जाता। अनुपयोगी ये उसी वक्त समझे जाते हैं जब इनकी चमड़ी और हड्डी उतनी उपयोगी नहीं होती जितनी होनी चाहिये थी। अगर यह चीज होने लगे जैसा कि जगदीशप्रसाद जी अभी कह रहे थे तो मैं समझता हूं पशुओं का खाली, गाय ही नहीं बल्कि सभी पशुओं का वध बन्द हो सकता है। इसके पीछे कई माननीय सदस्यों ने केवल आर्थिक पहलू रखा। मेरी राय यह है कि हम अपने इस देश को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं चला सकते । वह बात सही है जो अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि खाली आर्थिक दृष्टिकोण से इसको नहीं सोच सकते । अगर आर्थिक दृष्टि से सोचें तो फिर इन बूढ़े मनुष्यों का क्या होगा ? ये भी अनुपयोगी हो जाते हैं । इनके लिये भी खर्चा चाहिये और खाद्य सामग्री चाहिये । केवल बूढा होने से पशु अनुपयोगी है या बीमार होने से वह बेकार है तो यह उचित सा नहीं जान पड़ता । एक तरफ आप बीमार पशु का बध करने की इजाजत देते हैं और दूसरी तरफ वैटरीनेरी कालेज खोलते चले जाते हैं। डाक्टरों को गावों में भेजते हैं कि इन बीमार पशुओं को ठीक किया जाय । यह चीज ऐसी है जिस पर हमको सोचने की आवश्यकता है। मैं नहीं मानता हूं कि बीमार होने से उसको सर्टिफिकेट दिया जाय कि उसका वध हो सके । खाली बीमार होना काफी है या उसका इलाज भी हो सकता है ?

दूसरी बात उमर के बारे में कही गई । पशु की उमर तय करना कि यह पशु इतनी उमर का है बहुत असम्भव मालूम होता है। मैं इस बात को कई दृष्टि से कठिन समझता हूं और इस संबंध में सरकार के सामने भी कठिनाई आ सकती है । जो आयात, निर्यात की बात कही गई वह भी अपनी जगह पर सही है । अगर हम समझते हैं कि हमारे पशु बिहार की तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ हमारे यहां पंजाब से पशु आते भी हैं और वे अच्छी नसल के आते हैं । इस दृष्टि से मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक के अन्दर जो आयात, निर्यात पर बन्धन लगाया गया है वह सही नहीं है । सब से बड़ी बात जो मुझे लगी वह यह कि बूढ़ी गाय और भैंस की जगह पर जवान गाय और भैंस कटने लगेंगी और इसको कोई रोक नहीं सकता है । इस सर्टिफिकेट के नाम पर जो भ्रष्टाचार होगा वह रोका नहीं जा सकता । कौन सर्टिफिकेट देगा, कब देगा और किस हालत में देगा ये सब कठिनाई सामने आयेंगी । जो पहला कानून था वह भी ढीला हो जायगा और पशुओं का वध अब से ज्यादा होगा । मैं यह सही तौर पर समझता हूं । सर्टिफिकेट लेकर पशुओं का वध करना और आसान हो जायगा । इस बात को कौन प्रमाणित करेगा कि यह पशु बीमार था या नहीं । यह कठिन समस्या हो जायगी । पता नहीं सरकार क्यों इसमें उलझना चाहती है और बेमतलब की समस्या को पैदा करना चाहती है ? मैं भी कहता हूं कि किसान पर बोझ बढ़ जायगा । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि चारे पर बोझ बढ़ जायगा । मैं यह समझता हूं कि पशुपालन किसान का काम है । वह पशुपालन करने का आदी है। जैसा आज कल महंगाई का युग है इसमें पशुपालन उसके लिये एक सहायक धन्धा है। खेती के लिये वह उपयोगी है । किसान को खाद की जरूरत होती है । जिस किसान के यहां अपने पशुओं की खाद नहीं होती और वह खेत में अपने पशुओं की खाद नहीं देता तो उसकी खेती अधूरी समझी जाती है चाहे कितनी ही सरकारी बनावटी खाद उसको दी जाय । किसान के लिये गोबर की खाद बहुत जरूरी है। जो किसान खेती करते हैं, आमतौर पर छोटे किसान की बात मैं कहता हूं, वह अपने खेत में अपने पशुओं की खाद प्रयोग करते हैं और उससे उसकी जीविका को भी बड़ी सहायता मिलती है । जो लोग कहते हैं कि बूढ़े पशु रखना उसके लिये भार है यह सही नहीं है । किसान की अपनी गाय और भैंस के साथ, चाहे वह कितनी ही बूढी क्यों न हो, उसकी ममता जुड़ी रहती है। बूढी भैंस और गाय को मारने की भावना हमारे सदन के सदस्यों के दिमाग में भले ही आ गई हो, लेकिन जो छोटे किसान हैं वह अपनी बूढ़ी गाय और भैंस को मरवाना नहीं चाहता है। वह अपनी बूढ़ी गाय और भैंस की सेवा करता है। वह नहीं चाहता है कि जिसने उमर भर उसको दूध पिलाया है, उसको किसी तरह से मरवाया जाय । वह बुढ़ापे में उनकी सेवा करता है। सर्टिफिकेट दिलाकर कोई भी किसान उनको मरवाना पसन्द नहीं करेगा । मैं यह समझता हूं कि पशुओं की सहायता से किसान की आर्थिक हालत सुधरती है बल्कि छोटे किसानों को इनके बच्चे मिलने से उनकी हालत जल्दी सुधरती है और असल में किसान की वह सहायता करते हैं । यह जो

बात इस विधेयक में आई है, उसको वैधानिक रूप देना उचित नहीं है क्योंकि उमर के सर्टिफिकेट और बीमारी के सर्टिफिकेट की बात रखने से गाय और भैंस का पहले से ज्यादा वध होगा यह मेरा विचार है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सामने ले जाकर बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिये।

मैं उन भावनाओं को जो आज से बहुत पहले जबकि लोगों का आर्थिक दृष्टिकोण इस विषय में नहीं था, हमारे नेताओं ने रखा था, उसे रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मरे हुए जानवरों का चमड़ा पहनना चाहिये। उस समय जो मरे हुए जानवर का चमड़ा पहनता था वह बड़ा नेता समझा जाता था। आज इस कानून के जरिये यह कहना कि जो अनुपयोगी गाय हो, या दूसरे जानवर हों उनको मारा जाय, मैं समझता हूं कि यह कह कर हम अपनी पुरानी भावनाओं से पीछे हट रहे हैं। यह चीज किसानों के लिये आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। यह सवाल कोई हिन्दू-मुसलमान का नहीं है। किदवई साहब के बारे में आप सबने सुना होगा। उन्होंने अनेक बार मीटिंग्स में कहा था कि अगर देश की जनता गोकशी बन्द करना चाहती है तो उसे बन्द करना चाहिये। उन्होंने अनेक बार पब्लिक मीटिंग्स में इस बात को कहा था कि अगर जनतंत्र को हमें जिन्दा रखना है तो हमें गोकशी बन्द करनी होगी। आज इस विधेयक द्वारा आप गाय और भैंस को बचाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह गाय और भैंस को मरवाने का विधेयक है और इसलिये निवेदन है कि इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है, मैं इसको प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करता हूं। वहां इस पर गंभीरता से अच्छी तरह से विचार हो सकेगा। इसका नाम ऊपर से बहुत अच्छा है लेकिन मैंने इसको पढ़ा और इसका उद्देश्य भी पढ़ा। मैं पुस्तकालय गया और मैंने ५८ के और ६१ के संशोधन को विधान सभा की कार्यवाही खोल कर देखी, परन्तु दुर्भाग्य वश मुझे मंत्री जी का भाषण कहीं नहीं मिला। एक तरह से तो मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। जरा मुझे रोकना मत उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस विधेयक से जरा दूर चला जाऊं। आप मुझे क्षमा करते जाना। मंत्री जी को क्यों बधाई देता हूं? आज सुबह पहले पहल तो मंत्री जी आसन पर आये और आज ही इसका श्रीगणेश हुआ। तो मंत्री जी रक्षण नहीं जंचते। अभी अभी एक पार्टी का वध करके गये हैं जब कि वह पार्टी बहुत पुरानी नहीं थी। उम्र में थोड़ी थी और अब यह यहां आकर पशुओं के वध का विधेयक ले आये। श्रीमन्, यह कांग्रेस भी उम्र में काफी हो गयी है। सन् ६७ में कहीं यह कांग्रेस का ही वध न कर दें। ऐसा मुझे भय है। आप भी इस पर विचार करें क्योंकि यह १७, १८ साल की स्वराज वाली कांग्रेस हो गयी है। वैसे तो बहुत पुरानी है। तो मुझे भय है कि मंत्री जी कहीं इसका भी वध न कर दें।

श्रीमन्, मुझे यह वध वाला कानून मथुरा का वासी होने के कारण शोभा नहीं देता। चूंकि मैं तो उस विचार का हामी हूं कि चाहे कोई हिन्दू राज कहे या कोई दूसरा राज कहे, हमारी सरकार अगर बापू जी के प्रग पर चलना चाहती है तो ऐसा कड़ा कानून बनाओ कि जिन्दा पशु का कोई वध करे तो उसको वही सजा दी जायगी—मृत्यु दन्ड देना चाहिये। मैं उस विचार का आदमी हूं। जो उपकारी पशु का वध करे उसको वही सजा देनी चाहिये। अगर ऐसा कानून बनेगा तो यह कानून चल जायगा वरना रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जायगा और व्यापारी लोग अंधाधुंध पशुओं का बध करेंगे और सरकार का बेड़ा गर्क होगा। इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। बड़े-बड़े विद्वानों की कमेटी बनाइये। यह भारतवर्ष पशु पालने का देश है। इसमें सोना पहले भूमि में से ही नहीं पैदा होता था, बल्कि पशुओं से भी यहां के भारतवासी किसान पैदा करते थे और तभी यह देश सरसब्ज और गुलजार था, यह इतिहास गवाही दे रहा है। अब आप कहते हैं कि बूढ़े हो गये तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

बेकार हो गये अब उसके लिये चारा कहां से आयेगा। श्रीमन्, हमें तो यह भय होता जा रहा है कि एक तरफ परिवार नियोजन कर रहे हैं, एक किलो का राशन होने लगा है तो कहीं बूढ़े बूढ़े माता पिताओं को वध करने का कानून सरकार न बना दे ?

तो मंत्री जी, आपके तो माला पड़ी, आज ही तो आपको राज तिलक हुआ और यह क्या कानून ले आये ? इसको तो बिलकुल खत्म कर दीजिये। संशोधित–वंशोधित कुछ नहीं। संशोधन तो कराओ मत, कोई जरूरत नहीं है। जो पशु है, जीव है उसके पालन का इन्तजाम करिये, गोशालाओं का इन्तजाम करिये, गोसदनों का करिये, चारे का प्रबन्ध करिये। मैं आज किसानों की तरफ से कहता हूं। आप भी किसानो के प्रतिनिधि होकर आये थे और किसान हैं। अब पता नहीं कि क्या बनें। लेकिन किसान का जब बुड्ढा बैल या भैंस मरती है, उसकी गाय मरती है तो कम से कम उसके बच्चे रोने लगते हैं कि हमारे माता पिता मर गये। इसने बड़ी कमाई खिलाई, इसके दूध ने हमारे बच्चों को पाला था, आज मर रहा है ! और उसकी वही क्रिया करने को तैयार होते हैं जैसे कि माता पिता की। हां, यह बात जरूर है कि कुछ थोड़े लोग लालचवश उसको बेच देते हैं। यह सिखाया किसने है ? वह ऐसे ही कानूनों ने सिखाया है। ऐसे कानूनों से ही यह पढ़ाई की जा रही है। अगर यह कानून पहले ही बना डालते कि भारतवर्ष में अगर कोई उपकारी जीव का, परोपकारी पशु का वध करेगा, वध क्या अगर चोट पहुंचायेगा तो उसको जेल में डाल दिया जायगा, तो हम समझते कि बापू जी की प्रतिज्ञा पर, सपने पर, हम चल रहे हैं। मैं कोई हिन्दू होने के नाते यह बात नहीं कहता बल्कि मुसलमान भाई भी मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि परोपकारी जीव का वध नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जिस समय माननीया सुचेता जी गद्दी पर आयीं थीं, उन्होंने पहले पहल यह घोषणा की थी कि किसानों से सवाया लगान वसूल नहीं किया जायगा, उसी प्रकार से माननीय कृषि मंत्री भी इस समय यह घोषणा करें कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी पशु का वध नहीं किया जायगा। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसे प्रवर समिति में जानें दें और वहां इसको फाड़ दें।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने कार्य सूची में इस विधेयक को देखा था तो मेरी यह इच्छा हुई थी कि मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा और इसका पूर्ण समर्थन करूंगा, लेकिन मान्यवर, इस बिल को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि माननीय गेंदासिंहजी को कदाचित् अपने विचारों की कसौटी पर इस विधेयक को देखने का अवकाश नहीं मिल सका जिसके कारण इस विधेयक में कुछ ऐसी कमियां रह गयी हैं जिनको बिना दूर किये इस विधेयक को पास करने से इस विधेयक का अभिप्राय ही नष्ट हो जायगा। मान्यवर, अपनी उत्सुकता के लिये अभी मैं सन् १९५५ की कार्यवाही पढ़ रहा था। उस समय जब यह बिल आया था, मान्यवर, मैं भी इस सदन का सदस्य चुन कर आया था और सर्व प्रथम मुझे इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला था। वह दिन ५ सितम्बर, १९५५ का था, और ६ सितम्बर, १९५५ को माननीय गेंदासिंह जी का भी इस बिल पर भाषण हुआ था। मैं उस भाषण को पढ़ रहा था। उस भाषण में उस दिन उन्होंने जितनी कमियां उस बिल के संबंध में बतायीं थीं, मैं आदरपूर्वक मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि वह सभी इस बिल में मौजूद हैं। अगर उन कमियों को हम स बिल में पूरा कर लेते तो यह बड़ा ही कल्याणकारी विधेयक होता।

मान्यवर, पहले तो मैं इस विधेयक की भाषा के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वह मैं इसी विधेयक के बारे में नहीं, बल्कि सभी विधेयकों के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मान्यवर यह पहला विधेयक है जिसमें पहले पहल मैंने हिन्दी पांडुलिपि को ही पढ़ा और उसको सझने की कोशिश की क्योंकि अब सदन के निश्चय के अनुसार अंग्रेजी में विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सकता ।

यह आवश्यक है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं, यह समय की मांग है । मैं हिन्दी का एक अंकिचन सेवक रहा हूं, उस नाते मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन साथ में मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि जो बिल हमारे सामने आवे उनको हमें समझने में कुछ सुविधा हो । इस बिल की भाषा को पढ़ कर वह मौलिक कमी दिखलाई पड़ जाती है जो उस समय तक कदाचित रहेगी जब तक कि अंग्रेजी में हमारा मूल बिल ड्राफ्ट होगा और हिन्दी में उसका अनुवाद होगा । इस तरह से भाषा इतनी क्लिष्ट और उलझी हुई हो जाती है कि उसे किसी अनपढ़ आदमी के लिये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है । हो सकता है मान्यवर, कि इसीलिये मैं भी इस बिल को ठीक से न समझ सका हूं और मेरे निवेदन करने में कुछ गलती हो सकती है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । अभी मौका मिला तो इतना आपके माध्यम से भाषा के संबंध में मैंने निवेदन कर दिया । अगर भाषा हिन्दी हो और ढांचा अंग्रेजी हो तो उस म्लिष्ट भाषा को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है । इसलिये आवश्यक है कि हिन्दी भाषा के लिये ढांचा भी हिन्दी ही हो ताकि समझने में सुविधा हो ।

अब मैं आपका ध्यान इस विधेयक की प्रस्तावना और शीर्षक के शब्दों की तरफ दिलाऊंगा । "गायों तथा बछड़ों और अन्य दुधारू तथा भारवहन पशुओं के परिरक्षण, संरक्षण तथा सम्भरण को बनाये रखने, और विशेष रूप से उनके वध के नियंत्रण, निषेध तथा निवारण की व्यवस्था करने के लिये और ऐसे पशुओं के निर्यात और उनके व्यापार तथा वाणिज्य को विनियमित करने के उद्देश्य से....." तो मान्यवर, यह प्रस्तावना और शीर्षक ऐसा है जिसको पढ़ने से उसका जो मतलब निकलता है, वह इस बिल को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि इसका दूसरा ही अनुरूप है और उससे वह अनुरूपता नहीं मिलती है । इस विधेयक में भारवहक पशुओं के परिरक्षण, संरक्षण तथा सम्भरण को बनाये रखने, तथा इसके अतिरिक्त उनके वध के नियंत्रण और निषेध का भी संविधान है । मान्यवर, इसमें पशु की जो परिभाषा है उसमें गाय, बैल और भैंस ये सब हैं । मान्यवर, मैं स्वयं कुछ क्षण पहले जब वहां पर बैठा था, तो मुझे एक सदस्य के भाषण से मेरी शंका का कुछ निवारण हुआ लेकिन आपने वध करने का नियंत्रण और निषेध केवल गाय और उसके बछड़े तक ही सीमित कर दिया है, मैं नहीं जानता कि इससे माननीय मंत्री जी का अभिप्राय क्या है । सन् १९५५ में इस प्रकार का जो विधेयक आया था और इस सदन से पास हुआ था उसमें गाय के डेफिनिशन में भैंस को भी शामिल किया गया है । अब उनका क्या मतलब है ? अगर इसमें भैंस को शामिल करना मतलब नहीं है तब तो ये शब्द जो इसमें लिखे गये हैं दूध देने वाले जानवर, उनके वध का निरोध करने से इसका अभिप्राय है । अगर भैंसों को आप निकालते हैं तो वे दूध देने वाले जानवर हैं । उसके वध पर अगर आप नियन्त्रण नहीं करते हैं तो आपकी प्रस्तावना में विरोध बैठता है । अगर करते हैं तो शब्दों के टटोलने से मुझे नहीं मिला । हो सकता है कि भाषा के जंजाल में छिपा हो । माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे तो शायद स्पष्ट हो सकेगा । अब प्रश्न यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है । इस विधेयक को लाने से हम किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं स पर भी प्रकाश नहीं पड़ सका । आज प्रातः काल यह बिल प्रस्तुत हुआ है । हमने १९५५ म यह संकल्प किया था कि अपने प्रदेश के पशुधन, प्रदेश की उस शक्ति, जिसमें हमें दूध मिलता है, जिसमें हमें बछड़े मिलते हैं, उनके संरक्षण की ओर हम कदम उठायेंगे और उसके लिये मान्यवर, एक दिन में बिल नहीं आया था । डा० सीताराम की अध्यक्षता में एक गोसंवर्धन कमेटी बैठी थी और शायद श्री रफी अहमद किदवई भी इसके प्रधान रहे और हमारे प्रदेश के हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी सम्प्रदाय के लोग इसके सदस्य रहे । उस कमेटी में सभी की एक राय थी और सभी इस निष्कर्ष पर आये थे एक मत से कि हमारे प्रदेश में गोवध का निवारण हो जिससे हमारा पशुधन बढ़ सके ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

मान्यवर, इसी जगह मैं एक और बात निवेदन करता हूं। आज का जमाना साइन्स का युग कहा जाता है। वह व्यक्ति रूढ़िवादि और बहुत पुराने खयाल का माना जाता है जो किसी बात को आर्थिक दृष्टि से न कहे या साइन्टिफिक दृष्टि से न कहे और केवल धार्मिक दृष्टि से या केवल भावना से देखे। मान्यवर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुझे रूढ़िवादी कहा जाना स्वीकार होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मनुष्य के जीवन का अंग ही भावना है। बिना भावना के मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं रहता। मनुष्य में भावना होती है पशु में नहीं होती। अगर हम भावना का आदर नहीं करते हैं तो हम समाज में कोई चेतना नहीं पैदा कर सकते हैं। इसलिये हमें इसमें रूढ़िवादिता नहीं मालूम होती। इसमें आर्थिक भावना स्वयं छिपी हुई है। हमारे देश में अग्नि के प्रति भी भावना है। उसकी भावना में जो कुछ भी कारण हो। कारण एक है। भारतीय संस्कृति का आधार यह है कि जिन-जिन प्रकणों से, सांसारिक वस्तुओं से लाभ होता है, उसको हम माता और पिता के रूप में देखते हैं। अग्नि को पिता और पृथ्वी को माता के रूप में, आकाश को हम देवता के रूप में पूजा करते हैं। किसी अन्धविश्वास के रूप में नहीं बल्कि सजीव विश्वास के रूप में। इसलिये गाय के प्रति हमारी भावना का कारण आर्थिक भी था और मैं समझता हूं कि आज यह आवश्यकता है कि गोवध निवारण का जो कदम सन् १९५५ में हमने उठाया था उसे हम आगे बढ़ायें। हमारे एक माननीय मित्र कह रहे थे मुरादाबाद के श्री रियासत हुसैन साहब कि सन् १९५५ का जो कानून आपने बनाया वह बेकार है इसलिये कि उसका पालन नहीं होता। आपकी पुलिस रुपया लेती है, रिश्वत लेती है तब वध होता रहता है। जब रुपया लेना बन्द हो जाता है तो बधिक लोग पकड़े जाते हैं। जो संकल्प हमने एक निश्चय से लिया था जिसमें विभिन्न दलों और मजहबों के लोग थे, वह निरर्थक हो गया। मतलब अगर है, तो यह कि जो दंड निर्धारित है वह कम है उसको बढ़ाया जाय। माननीय मित्र ने कहा कि आदमी डरता है डाका डालने से, चोरी करने से। परन्तु वह कहता है कि अगर गोवध में पकड़े भी गये तो तीन महीने की सजा होगी। मैं इससे सहमत हूं। माननीय मंत्री को सोचना चाहिये कि इस नियम को प्रभावी बनाने के लिये उन्हें क्या करना चाहिये था। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको देखें कि ये एक्सीडेन्टल अमीशन तो नहीं है। या इसके पीछे और कोई लक्ष्य है। जो पहिले नियम थे उनमें दो साल की सजा थी और उससे संबंधी जो सजायें हैं उनमें उसी अनुपात से सजायें हैं। जो सजायें हैं उनमें से अब आधी घटा दी गई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस दस साल के अन्दर हमारे पास क्या ऐसे रेजोल्यूशंस आये कि सजा इतनी बढ़ी हैं। जिसकी वजह से त्राहि-त्राहि मची हुई है और इसको कम किया जाना चाहिये या वह यह समझते हैं कि यह अपराध उतना जघन्य नहीं है, ऐसा बड़ा अपराध नहीं है कि जिसके लिये इतनी बड़ी सजा हो और इसलिये इसको कम करना चाहिये या वह समझते हैं कि गोवध निवारण के लिये जो कदम पहले उठाया गया था वह ठीक नहीं था, उसकी रफ्तार तेज थी, उसको कम करना चाहिये। यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं उसको बढ़ाने के पक्ष में हूं और उसको और अधिक प्रभावी बनाने के पक्ष में हूं। मैं इस पक्ष में हूं कि उसको ऐसा बढ़ाया जाय कि उसमें कोई चोरदरवाजा न रहें।

एक आपने इसमें बड़ी अच्छी चीज की है। पहले आपने इसमें एक दरवाजा रखा था कि जो विदेशी लोग आयेंगे जो फारेन विजिटर्स होंगे, उनके लिये हवाई जहाज या रेल में सर्व करने के लिये अगर कोई गोमांस बेचेगा तो उसको छूट होगी। मान्यवर, मैं अपने ही निवेदन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो इस सदन में मैंने किया था और जिसमें कठोर से कठोर शब्दों में मैंने इसकी निन्दा की थी, भर्त्सना की थी और यह प्रार्थना की थी कि आप एक ऐसी नाव बना रहे हैं जिसमें कि बड़ा सा छेद दिखाई पड़ रहा है और अगर इस छेद को बन्द नहीं किया गया तो आपका वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। तो मान्यवर, खुशी की बात है कि सरकार ने उस छेद को तो बन्द किया। मैं ज्यादा समय इस सदन का नहीं लेना चाहता हूं।

जहां तक सेलेक्ट कमेटी का सवाल है अभी तक इस सदन में जितने भी सदस्य बोले केवल एक सदस्य को छोड़कर सबने पूर्णरूपेण सेलेक्ट कमेटी में इसे भेजने के प्रस्ताव का समर्थन किया और जिन एक सदस्य ने उसका विरोध किया उन्होंने भी, जो सेलेक्ट कमेटी के पक्ष में दलीलें दीं, वे मुझे क्षमा करेंगे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनका जवाब कम से कम मैंने उनके भाषण में नहीं पाया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में अवश्य जाना चाहिये और जो एक आवाज उठी थी सेलेक्ट कमेटी के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि वहां इसके जाने की क्या आवश्यकता है, इसके उद्देश्यऔर कारण में जो बातलिखी है वही इसके अन्दर लिखी है, तो उसका तो मैंने मान्यवर थोड़ा सा विश्लेषण किया। सन् १९५५ में यह कानून बना, ५८ में संशोधन आया और आज फिर सन् ६५ में संशोधन आ रहा है जिसमें प्रत्यक्ष कमी दिखाई पड़ रही है। सारे सदन के सदस्यों ने एक आवाज से अब तक उस मांग का समर्थन किया है और इसके वहां न जाने की तो कोई बात ही नहीं है। मान्यवर, कई बिल ऐसे आते हैं जिनके कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का मैंने प्रबल शब्दों में विरोध किया है इसलिये कि उस वक्त कोई कार्य उससे रुक सकता था। लेकिन यह कार्य तो ऐसा नहीं है कि जिसको दो महीने बाद करने से कोई बहुत भारी हानि होने जा रही हो और कोई यह भी नहीं कह सकता कि जो मौजूदा ऐक्ट है उससे कोई बहुत बड़ा अन्तर इसमें है। तो या तो माननीय मंत्री जी बीच में कुछ अपनी राय जाहिर करें या अन्त में ही बतलायें। मैं यह समझता हूं कि इससे अधिक उपयुक्त कोई और बिल सेलेक्ट कमेटी में जाने के लिये नहीं हो सकता है जिसमें कि भावनायें निहित हैं, जिसमें मौलिक प्रश्न निहित हैं, जिसमें प्रत्यक्ष कमियां दिखाई देती हैं और जिसको कई सुधारों के बाद भी हम उस जगह नहीं ला पाये जहां हमें लाना चाहिये था।

एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। माननीय गेंदा सिंह के सन् ५५ के भाषण को मैं पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने यह कहा था कि बिल बिलकुल बेकार है, सरकार जिस रूप में इस बिल को लायी है उससे उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, कारण यह है कि जो अलाभकर जानवर हैं उनका क्या प्रबन्ध होगा? उसका केवल एक संकेत छोटा सा मिलता है इस बिल में। केवल इतना सा संकेत देकर सारे अधिकार सरकार में निहित कर लेना, इस सदन की राय न लेना, और सदन के सामने उसका प्रारूप न रखना, प्रदेश के हित में नहीं हो सकता।

श्रीमन्, इस बिल में यह होना चाहिये कि जो हमारे अलाभकर पशु हैं, उनके लिये सरकार क्या प्रबन्ध करेगी। हमें यह भी देखना होगा कि जो हम रोक लगा रहे हैं उससे कितना असर पड़ेगा और जो प्रश्न हमारे सामने है उसको देखते हुये हम किस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, हमें इसको भी देखना होगा। मान्यवर, १९०४ में जो गायों की सेंसस हुई थी उसके अनुसार २, ३९ लाख गायें बतायी गयीं थी। १९५१ में यह संख्या १,९९ लाख रह गयी। यानी इस समय ४० लाख गायें कत्ल हो गयीं। उसके बाद भी गायों की कमी बढ़ती चली गयी है और इस कमी में और भी घटोतरी हुई है। फिर भी हमें यह देखना होगा कि अनइकोनामिक पशुओं का हम क्या करें। उसके लिये किसकी जिम्मेदारी होगी, उसका क्या प्रारूप होगा? सरकार की उसमें कितनी जिम्मेदारी होगी, सार्वजनिक संस्थाओं की कितनी जिम्मेदारी होगी और उनकी क्षमता क्या होगी? कितनी अनइकोनामिक यूनिट्स को वे ले सकेंगीं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्न होगा कि उसके लिये चारा कहां से आये, उसके प्रबन्ध का क्या साधन होगा। यह मैं माननीय गेंदासिंह जी द्वारा प्रकट किये हुये विचारों के आधार पर ही कह रहा हूं। हमें यह देखना होगा कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसको इसके द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं या नहीं। इसलिये मैं माननीय गेंदासिंह जी से अपील करूंगा कि वह इस सेलक्ट कमेटी वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तथा उस सेलेक्ट कमेटी को यह अधिकार दें कि वह इसकी परिधि को भी बढ़ा सके क्योंकि जो विचार यहां प्रकट किये गये उनका समावेश तभी हो सकता है जबकि उसकी परिधि बढ़ा दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

(श्री विश्वनाथप्रसाद का नाम पुकारें जाने पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्से से यह अर्ज करता रहा हूं कि कृपा करके ५०-६० लोगों को न बुलवाइये, आपकी नजर और लोगों पर भी पड़नी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह गलत कह रहे हैं । सभी लोगों को बुलाया जाता है । आप इन्हीं से पूछ लीजिये इनको कितनी बार बुलाया है ।

श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)--

श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा से साढ़े तीन साल में केवल दो-तीन बार बोला हूं । जो यह बिल आया है वह न जिन्दा दिल से आया है और न मुर्दा दिल से आया है । क्योंकि इस बिल की हालत अजीब है । यह सही साबित नहीं कर सकते कि मनुष्यों को मनुष्य कितना फायदा पहुंचाते हैं और पशु कितना फायदा पहुंचाते हैं । यह नहीं जानते कि बूढ़े मनुष्यों, जवान मनुष्यों बूढ़ी गाय, जवान गाय और बछिया, बछड़े इन सब में क्या अन्तर है । लेकिन यह भी उनकी समझ में नहीं आया । वे पढ़े-लिखे लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारी की अच्छी जगह पर पहुंच गये हैं लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी समझी और न पढ़ने लिखने और न उम्र का ही खयाल किया । मैं तो संस्कृति मानने वाले लोगों की बातें कर रहा हूं । राज्य, स्त्री, धन और जमीन-ये सब चीजें लड़ाई की होती हैं । इसके लिये दुनिया प्रयास करती है लेकिन भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो मुक्ति के लिये करता है और दूसरे के उपकार को मानने वाला है, सब की रक्षा करने वाला है । दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं है लेकिन उस देश के लोग ऐसी बात करें कि बूढ़ी गायें जो हो जायें, लंगड़ी हो जायं या असहाय हो जायं तो क्या हो, १५ वर्ष की अवस्था हो जाय तो क्या हो, उनको काटा जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस विधेयक में यह नहीं है कि उनको काटा जाय ।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)--

मैं समझ रहा हूं । अब आप देखें सरकार के सारे प्रशासन को देखें । भ्रष्टाचार के बारे में नन्दा जी चिल्ला कर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार दूर होगा पर क्या हुआ । दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उन्हीं अधिकारी के जिम्मे एक बूढ़ी, लंगड़ी, लूली, अपाहिज और मूक जानवर के जीवन को उनके हाथ में दे रहे हैं जो, १०,२०, या १०० रुपये में बिक सकता है, जैसी कि उनकी हैसियत है, जैसा कि उनका दिल है, बिक सकते हैं, बिक रहे हैं, बिक सकते हैं जैसे कि हमारे देश के लोग आज बिक रहे हैं । इधर जब ये बैठते थे तो दूसरी भावना थी । उधर जब चले गये तो दूसरी भावना हो गयी । दुनिया की क्या बात कहूं, मैं तो यहां की ही बात कह रहा हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि यद्यपि खाने को घी भी चाहिये, दूध भी चाहिये और रोटी पर मिलने के लिये मक्खन भी चाहिये, पर यह आये कहां से ? क्या यह जूतों से निकल सकता है ? जब दूध वाले जानवर रहेंगे तभी दूध, घी और मक्खन आ सकता है । जब जानवर ही नहीं रहेंगे तो ये चीजें कहां से आ सकती हैं ? इसलिये कोई ऐसा बिल आना चाहिये जिससे इन जानवरों के उपयोग की चीजों का संरक्षण हो और उनकी तन्दुरुस्ती हो ताकि उनका दूध बढ़े । एक बहुत बड़े नौजवान जो कि मोटा-ताजा हो और बहुत वजनी हो उसे अगर खाना न दिया जाय तो क्या होगा, वह मर जायगा । आपके सूबे के अन्दर ही इस समय १० रुपये मन भूसा हो गया है । अगर कोई एक हजार रुपये में भैंस लेता है जब तक वह दूध देती है उसकी सेवा करता है और चारा आदि खिलाता है पर जब उसका

दूध खत्म हो जाता है और उसकी हड्डी निकल आती है तो वह उसे किसी कसाई के हाथों बेच देता है। अगर आप किसी कसाईबाड़े में जाकर देखें तो आपको सैकड़ों भैंसे मिलेंगी जो कटने के लिये वहां पर जाती हैं। आजकल गायें तो नहीं मिलती हैं। गायों की जो दशा हुयी वह यह है और भैंसों की भी यह दशा होने जा रही है। वास्तव में एक ऐसा बिल लाना चाहिये था कि जिससे खाने पीने की चीजों की दिक्कत दूर होनी चाहिये थी। आपने तो मूंगफली बुवा दी। न उसकी खली ही काम में आती है और न उसके भूसे को जानवर ही खाते हैं। उससे बने तिकोने आप जरूर खाते हैं। मैं तो वास्तव में कहता हूं कि आदमी के दिल में अगर जगह हो तो वह बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैं अपनी बड़ाई के लिये नहीं कह रहा हूं। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया। एक मर्तबा मैं महापालिका का मेम्बर था। एक बार जबकि म्युनिसिपल बोर्ड सस्पेन्डेड था, मैं संयोग से जा रहा था, देखा कि एक गाय बिक रही है। उस गाय का नीलाम ५ रु० से शुरू हुआ और वह ९० रु० पर नीलाम हुयी। मैंने पूछा कि क्या बात है तो मुझे कहा गया कि यह आपको गाय लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने दाम लगा दिये। मैंने उसे ले लिया। बाद को मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि साल में हजारों गाय, बछड़े इस तरह से कसाई खाने चले जाते हैं। मैंने कहा कि यह अच्छा नहीं है। थोड़े दिनों के बाद नगरपालिका बन गई। हिन्दू और मुसलमान दोनों ने एक स्वर से प्रस्ताव पास किया कि मवेशीखाने की गायें नीलाम नहीं की जायंगी बल्कि सीधे गौशाला जायंगी। सवाल यह हुआ कि पैसा कौन देगा ? मैंने २७ वर्ष तक ४-६-८ हजार रुपये दिये और गाय कसाई खाने नहीं गईं। बराबर गोशाला गईं। यह तो दिल के भाव की जरूरत है। मैं मामूली सदस्य हूं और अपना काम करता हूं लेकिन मेरे दिल में भाव अवश्य हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिये जीवन भी देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं यहां बैठा रहूं और यह प्रस्ताव पास हो जाय कि १५ वर्ष से ज्यादा की गाय चली जाय और मैं उसको बचा न सकूं तो मेरे जीने को धिक्कार है और यहां आने को धिक्कार है।

लेमें प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को सरकार वापस ले तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि पुराना ऐक्ट इससे कहीं अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोगों का रोजगार छिन जायगा इस लिये यह नहीं होना चाहिये। क्या बताऊं जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने ऊपर ही दोष देता हूं। यहां पर आज इस विधेयक के समय लोग उपस्थित नहीं हैं। ऐसा ही वहां भी हुआ होगा। स्वाराज्य मिलने के बाद कांग्रेस सरकार ने बहुत से लोगों के रोजगार बंद कर दिये। जैसे शराब बन्दी कर दिया व वेश्यावृत्ति बंद कर दी। तब यह आपत्ति नहीं उठाई गई और हजारों लोग बेकार हो गये। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने गाय व बैल के संबंध में कैसे ऐसा फैसला दे दिया।

जो भी कानून बनता है दुनिया में वह ज्यादा भलाई के लिये बनता है। अगर दस आदमियों के मरने से देश बच जाय तो मार देना चाहिये। कानून की मंशा है कि अगर एक आदमी के मरने में दस आदमी बचते हैं तो कोई परवाह नहीं है। उन्होंने दूध और गाय का महत्व नहीं समझा। खाने के समय उन्हें महत्व मालूम होता है जब उनकी डबल रोटी पर मक्खन नहीं लगता या चाय के लिये दूध नहीं मिलता। हर समय उनको महत्व मालूम नहीं होता। इस बिल से खुले आम छूट मिल गई है कि खूब रिश्वत दो और खूब जानवर काटो। इससे सूबे में ऐसी बदअमनी फैलेगी कि सरकार परेशान हो जायगी और जो लोग नहीं लड़ सकते वह मन मसोस कर रह जायेंगे। इन बातों को देखते हुये मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस बिल को वापस ले ले और दूसरा बिल ले आये जिससे गाय की बढ़ोतरी हो, दूध मिले और सबका लाभ हो।

*श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के हक में राय देता हूं। मैं जाती तौर पर इस राय का हूं कि गाय, भैंस और बछड़े ही नहीं बल्कि मुल्क के सारे पशु बकरी,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जियाउर्रहमान]

भेड़ वगैरा के बध को भी गैर-कानूनी करार दे दिया जाय। तभी हम पूरे तौर पर इस विधेयक का जो शीर्षक है उसकी पूर्ति कर सकेंगे। इसलिये एक तरफ तो हम यह कहें कि दूध देने वाले जानवरों का वध रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम चन्द स्पेसीज को लें यह मुनासिब बात नहीं है। हर जानवर जो दूध देने वाला हो उसका वध बन्द हो पूरे तौर पर। एक बात तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं। दूसरे, यह जो हाफ हार्टेडली काम किया जाता है वह बड़ा खतरनाक है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह विधेयक हाफ हार्टेडली बना है। इसमें जो अन्दाज अख्तियार किया गया है मालूम होता है कि निश्चित बात कोई नहीं है। मैं जो वध को बन्द करने की बात कह रहा हूं यह किसी इकोनामिक रीजन से नहीं कह रहा हूं। इक्तसादी मसले का अनुभव तो उस वक्त हो सकता है जब हम एक व्यवस्था को देखने के बाद दूसरी व्यवस्था को भी आजमा लें। तब तुलना कर सकते हैं कि इक्तसादी तौर पर कौन सी व्यवस्था सही है। हमने वह व्यवस्था आजमा कर देख ली। जब अंग्रेजों के जमाने में किसी भी जानवर के वध पर कोई आपत्ति नहीं थी। हमने १६ साल में उस व्यवस्था को भी आजमा कर देख लिया जिसमें कुछ पाबन्दियां पशुओं के वध पर थीं। अब हम को इस व्यवस्था को भी आजमा कर देख लेना चाहिये कि हर जानवर का बध पूरे तौर पर बन्द कर दिया जाय। तब हम तुलना कर सकेंगे कि कौन सी व्यवस्था दुरुस्त है। लूले, लंगड़े, अपाहिज, जानवरों को काटने के लिये जो छूट दी गयी है मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। यह एक नयी मुसीबतों का दरवाजा खोलना है। मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी परेशानियां होंगी। मैं वध को बंद करने की सदन में इसलिये राय देता हूं कि इस मुल्क में जनतन्त्र है और इसलिये यहां की अक्सरियत की भावनाओं का आदर करते हुए हमें वध बन्द करना चाहिये। मैं शुरू से इस राय का रहा हूं कि उन लोगों को जो इस किस्म का रोजगार करते हैं, धीरे-धीरे उन्हें दूसरे रोजगार की तरफ जाना चाहिये और इस काम को बन्द करना चाहिये। जब पूरे तौर पर वध बन्द हो जायगा। तब मालूम होगा कि वह व्यवस्था मुनासिब थी। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून को कबल इसके कि जल्दबाजी में या वह व्यवस्था पास कर लें, पूरे तौर पर हम विचार कर लें। जितनी स्पेसीज हैं, भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, भैंसा, बछड़ा सारे जानवरों का वध बन्द कर दिया जाय।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। हर विधेयक के सिलसिले में महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। उनका नाम लेने वाले दारूलशफा में किस तरह से गोश्त की प्लेटें साफ करते हैं। आज होटलों में गोश्त की कमी हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि डबल स्टैन्डर्ड की बात नहीं होनी चाहिये। एक ही स्टैन्डर्ड रखना चाहिये और वह तभी हो सकता है जबकि जिस चीज को आप बुरा कहते हैं उसको पहले खुद करना छोड़ें। इसलिये मेरी तो राय है कि इससे छुटकारा हासिल करने के लिये हर जानवर के वध को और उसके गोश्त के खाने को कानूनन मना कर दें। इसलिये मैं फिर एक बार इस कानून को प्रवर समिति में भेजने की राय देता हूं।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव को समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने दोपहर के पहले माननीय फूलसिंह, रक्षपालसिंह और राधे-श्याम जी तथा दूसरे लोगों का भाषण सुना और उनके भाषणों में इस विधेयक की बहुत-सी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया था। बहुत से विरोधाभास हैं, उनकी आलोचना की गयी थी और मैं समझता हूं कि प्रत्येक ने अपने दृष्टिकोण से जो कमियां बतलायीं, जो परस्पर विरोधी बातें बतलायीं वे ठीक भी हैं। मैं भी इस बात को समझता हूं कि इस विधेयक में बहुत-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी परस्पर विरोधी बातें हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की परस्पर विरोधी बातों का होना ऐसे विधेयक में स्वाभाविक है। जब किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार का उद्देश्य कुछ होता है और कारण उसके लिये कुछ और ही बतलाती है तब उनकी बातों में सामन्जस्य सम्भव नहीं है। वास्तव में उद्देश्य तो है कि इस प्रदेश और देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं का आदर करना। इस प्रदेश की बहुसंख्यक निवासियों की एक धार्मिक भावना है उसके विरुद्ध न कोई सरकार जा सकती है और न कोई दल जा सकता है और न कोई जनतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति ही उसका अनादर कर सकता है। लेकिन वह बात स्पष्ट रूप से न कह कर यह कहना कि इस बिल को लाने के कुछ आर्थिक कारण हैं, केवल अपने आपको धोखा देना है। आर्थिक दलीलें यदि दी जायेंगी तो माननीय गेंदा सिंह को, जो माननीय फूलसिंह ने आर्थिक प्रश्न उठाये, उनका उत्तर देना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इस विधेयक को आर्थिक कारणों के आधार पर पैरवी करना कठिन हो जायगा। लेकिन साथ ही जैसा मैंने कहा, जनतंत्र में बहुमत की भावनाओं का आदर करना ही पड़ता है, जो जनतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति है उसमें या तो इतना साहस हो कि जनमत की भावना को बदले या उसके सामने झुक जाय, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सरकार को स्पष्ट कहना चाहिये और मैं इसको स्वयं स्वीकार करता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है कि जनमत को बदलने में हम असमर्थ हैं। उसकी भावना को बदलने के लिये कहने का भी साहस हममें नहीं है। यदि स्थिति ऐसी है तो आपको स्पष्ट कहना चाहिये और हर प्रकार के जितने दूध देने वाले जानवर हैं उनका वध एकदम बन्द कर देना चाहिये। जब आप भावनाओं की सहायता करने के लिये इस प्रकार का बिल ला रहे हैं तो फिर यह कहना कि १५ वर्ष की अवधि के बाद उनको वध करने की इजाजत मिल सकती हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि यदि आपको वध करने की इजाजत देनी ही है तो जब वह युवा हों, जब वह लड़-झगड़ सकते हों, जिस समय में उन्होंने आपकी कोई सेवा न की हो, तब दें। यह बहुत अनुचित नहीं होगा बल्कि उन जानवरों के जिन्होंने जीवन भर आपकी सेवा की, आपके खेत जोतते रहे और जिनके लिये आप कहते है कि १५ वर्ष के बाद यदि लाइसेन्स मिल जाये तो उनका वध किया जा सकता है। मैं इस पहलू पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं सिवाय इसके कि हमको स्पष्ट यह कहना चाहिये कि भावनाओं का आदर करने के लिये हम इस बिल को लाये हैं और उसके अनुसार पूरी पाबन्दी हम लगायेंगे।

लेकिन जो दूसरी बात इसमें है—पशुओं के व्यापार और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा, इसको मैं सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से प्रदेश के लिये अहितकर समझता हूं और उसका विरोध करता हूं। इसमें किसी भावना का प्रश्न नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम केवल अनाज के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं और उसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। उसकी कितनी आलोचना हो रही है, उसको भी हम देख रहे हैं, जिसके कारण देश टुकड़ों में बंट रहा है। जो कानून अनाज के लिये लगाया गया, वही कानून अब पशुओं के बारे में, उनके सरहद के पार ले जाने के बारे में लगाया जा रहा है—यह कितना अनुचित है। आखिर हम एक संघ राज्य में रह रहे हैं, हम उसके नागरिक हैं, हम कोई स्टेट्स और रियासतों में नहीं रह रहे हैं। यदि हमने अपने यहां इस प्रकार कानून बनाया तो दूसरे राज्य भी इस प्रकार के कानून बना सकते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि पंजाब के जानवर उत्तर प्रदेश में आना बंद हो जायें यदि वह भी इस प्रकार का कानून बना दें, तो क्या उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अहित नहीं होगा? हम समझते हैं कि पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये हमें पंजाब से बहुत मदद मिलती रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा कोई दोषपूर्ण कानून बनाकर गलत रास्ता दिखाये यह उचित नहीं होगा।

तीसरी चीज यह है कि जानवरों के मालिक जो उनका वध करते हैं, उनका हित कहां है, इसको भी आपको अनिवार्य रूप से देखना पड़ेगा। आप इस विधेयक को इसलिए रख रहे हैं कि दूध देने वाले अच्छे जानवर यहां रहें और दूध की खपत बढ़ सके और खेती के लिये अति उपयोगी बैल आदि जानवर आसानी से बहुतायत से मिल सकें। मैं कहना चाहता हूं कि जो

[श्री भानुप्रतापसिंह]

उस पार, इस प्रदेश के बाहर बेचने ले जाते हैं, उनका हित कहां है, किस में है उनको अवश्य और अधिक लाभ मिल जाता होगा तभी वह दूसरी तरफ बेचने ले जाता है। यदि आप इसके निर्यात पर रोक लगा देंगे और अच्छी-अच्छी नस्ल के पशु पालने वालों का आर्थिक नुकसान होने लगेगा तो वह अच्छी नस्ल के पशु पालने के लिये और उनकी नस्ल सुधारने के लिये प्रोत्साहित नहीं होंगे, उनका उत्साह खत्म हो जायेगा, तो जो आप उम्मीद लगाये हैं कि इस प्रतिबन्ध से आपके प्रदेश में अच्छी नस्ल के पशु अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे वह पूरी नहीं होगी और इसका नतीजा बिलकुल उलटा होगा।

श्रीमन्, मैं अन्त में सिर्फ इतना ही और कहना चाहता हूं कि जहां हमको भावनाओं का आदर करना है वहां, हमको इस बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर भी, इसकी समस्या के ऊपर भी ध्यान देना होगा और इसका भी कोई हल ढूंढना होगा, जिसकी ओर माननीय राधेश्याम जी ने संकेत किया है। यह कह देना तो आसान है कि जितने प्रकार के जीव-जन्तु हैं, उनमें से किसी की भी हत्या इस देश में न हो, किन्तु यदि ऐसा सम्भव हो जाये तो इसका परिणाम क्या होगा? आदमी घुट-घुट कर मरेगा। मैं यह नहीं कहता कि वध किया जाये, लेकिन एक बीच का तीसरा रास्ता भी हो सकता है, जैसा कि राधेश्याम जी ने भी कहा। जब हम आदमियों की पापुलेशन के कन्ट्रोल की बात करते हैं तो हम जानवरों के लिये भी ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी इस तरह के साधन उपलब्ध न हों। किन्तु इसका कोई रास्ता होना चाहिये—यदि कोई पशु का मालिक वालेन्ट्रली चाहता है कि उसका पशु बेकार है और वह अपने जानवर को स्टेरिलाइजेशन के लिये आफर करता है तो मैं समझता हूं उसके लिये भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन यदि कोई मालिक कहता है कि हमारी यह गाय खराब है आप स्टेरिलाइज कर दें, यानी वालन्टरी स्टेरिलाइजेशन के लिये कोई आफर करता है तो मैं समझता हूं इस विधेयक में उसके लिये प्राविजन होना चाहिये।

श्रीमन्, यह समस्या ऐसी है जिसको आप इस प्रकार भी सोचें कि गांव में एकड़ जमीन भी नहीं है वह कभी-कभी बीस या पचीस जानवर रख लेते हैं और वे दूसरे के खेतों में रात में चराकर ही उनको जीवित रख सकते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि जब तक जानवरों की संख्या पर प्रतिबन्ध नहीं होगा तब तक इस देश की जनसंख्या की वृद्धि होने में कोई कमी नहीं होगी। इन थोड़े से शब्दों में साथ में यह समझते हुये कि यह बिल माननीय कृषि मंत्री जी बहुत जल्दी में ले आये हैं और उन्होंने इस का पूरी तरह अध्ययन भी नहीं किया है उनसे मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसे प्रवर समिति में जाने दें, जहां पर इसके ऊपर पूरी तरह से विचार हो जायगा और वहां एक अच्छा विधेयक तैयार हो जायगा।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गेंदासिंह जी को कांग्रेचुलेट करता हूं कि वे बड़ी ताकत के साथ इस बिल को लाये हैं। मेरी राय में इस बिल में बहुत कमियां हैं। १९ साल हुये यह देश आजाद हुआ। मैं किसी के सेंटीमेंट्स में दखल नहीं देना चाहता, मैं भी एक इंडियन हूं और इस देश के लिये अपना खून देने के लिये तैयार हूं और इसीलिये मैं कहता हूं कि जरा सेंटीमेंट्स को अलग करके आप देखें। आज हिन्दुस्तान में दूध की बड़ी कमी है और १० साल में दूध बिलकुल नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे बिना दूध के मर जायंगे और आप देखेंगे कि एनीमल हस्बेन्डरी की रिपोर्ट के मुताबिक यह हालत बुरी है। २शा में यही पोजीशन आयी थी लेकिन उन लोगों ने जितने रद्दी बैल थे उनको लेजिस्लेशन द्वारा स्टेरिलाइज कर दिया और उन लोगों के इस कार्य द्वारा पांच और सात साल के अन्दर उनकी कैटिल वेल्थ बढ़ गयी। हम यह क्यों नहीं कर सकते? हम अपने बच्चों के सेंटीमेंट्स को कैटिल के सेंटीमेंट्स के ऊपर क्यों नहीं रखते? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि क्लियर माइन्ड और क्लीन हार्ट से

सोचिये और सेंटीमेंट्स को इसमें न आने दें। अपने मजहब को इसमें न आने दें। इन्सान से बढ़कर क्या दुनिया में कोई वेल्थ हो सकती है? रद्दी गाय और रद्दी बैल को हटा देने से क्या कुछ बिगड़ जायगा? ये रद्दी बैल और रद्दी गाय आपकी अच्छी गायों और बैलों का खाना खा रहे हैं। एक साहब कह रहे थे कि मैं ६ हजार रुपया हर साल गोशाला में रद्दी गाय रखने के लिये देता हूं। अगर वह ६ हजार रुपया गायों के डेवलपमेंट के लिये देते तो क्या अच्छा होता। इसीलिये मैं कहता हूं सेंटीमेंट्स को ज्यादा नहीं लाना चाहिये। मैं मंत्री जी को इस बिल के लिये बधाई देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को वापस ले लें और एक कंप्रिहेंसिव बिल लायें। स्टेरिलाइजेशन के मामले में सेंटीमेंट की बहुत जगह नहीं होनी चाहिये, यह मेरा कहना है। इन शब्दों के साथ मैं फिर मंत्री जी को बधाई देता हूं।

(श्री ब्रह्मदत्त मायर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

मैं आपके इस इन्तजाम के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री चन्द्रबलीसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

*श्री ब्रह्मदत्त मायर--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि किसी भी कानून के बनाने के पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कानून से कहीं गैर कानूनी काम तो नहीं बढ़ेंगे? किसी कैरेक्टर के ऊपर कमजोरी तो नहीं आयेगी? इसके बाद आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति ये तमाम चीजें दूसरे दर्जे पर आती हैं। आज सब से बड़ा मसला जो हमारे सामने है पशु धन के सिलसिले में वह सेंटीमेंटल है। यह सरकार अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती है लेकिन खुले तौर पर अपनी राय को जनता के ऊपर नहीं रख सकती है। यह जानती है कि आज देश के अन्दर जैसी एजुकेशन होनी चाहिये वह इस १८ वर्ष के अन्दर नहीं हो पायी है। जनता किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं हो पाई है। ऐसी हालत में उनके पुराने विचार रहना और उन पुराने विचारों में किसी के कहने से या किसी पार्टी के कहने से इधर उधर ढुल-मुल हो जाय तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक हकूमत को बनाये रखने का सवाल है प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर बहुमत के विचारों को रौंदकर अगर हम कहें कि कोई भी पार्टी कामयाब हो सकती है तो यह नामुमकिन बात है। दूसरी तरफ अल्पमत को नाखुश करके भी आगे बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है। हम ऐसी परम्परा देश के अन्दर चला रहे हैं, कुछ ऐसी हालत को आज तक चलाते आये हैं जिनके अन्दर प्रचार के तौर पर या पुराने प्रचार की वजह से यह सरकार कोई मजबूत कदम नहीं उठा पाई। गोवध के ऊपर सन् १९५५ में थोड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया और उसका प्रचार देश और प्रदेश के अन्दर बहुत हुआ। अभी हाल में ही एक आर्डिनेन्स के मातहत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो किस्सा जनता के सामने आया उससे कितना बड़ा बवन्डर खड़ा हो गया, वह भी आपके सामने है। लेकिन इसमें पूर्ण तरीके से देश के कल्याण की बात है, यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। हमारी इन तमाम धार्मिक भावनाओं के होते हुये भी व्यक्तिगत तौर पर जिस वक्त हम सोचते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण सब से पहले हमारे सामने रहता है। आज अगर देश के अन्दर गोवध होता है या भैंस वध होता है या किसी दूसरे जानवर का वध होता है तो उसमें भावना एक तरफ रहती है। सब से पहले हमारे सामने यह आता है कि इस वध से गोवध से, भैंस वध से या बकरी के वध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

से लाभ कितना होता है, आर्थिक दृष्टि से उसके बदले में कितना पैसा मिलेगा। श्रीमन्, जो गाय ४०, ५० रुपये की है और जो भैंस दूध देने वाली है वह ४ आने ८ आने से ज्यादे का दूध नहीं देती। अगर उसका वध कर दिया जाय तो १०० रुपये की उसकी हड्डी बिक जाती है। १२५ रुपये की उसकी खाल हो जाती है और चर्बी के रूप में पीपे दो पीपे उससे मिलती है वह १०० , २०० रुपये की हो जाती है। और वह चर्बी हम लोगों को देशी घी के रूप में बाजारों में मिलती है। श्रीमन्, अगर जीते हुए जानवर की कीमत ४०, ५०, या ६० रुपया होती है, तो उसे वध करने के बाद अगर उस व्यक्ति को सौ डेढ सौ या दो सौ रुपये की आमदनी उससे हो सकती है तो वैसी अवस्था में उसकी तमाम भावनायें चाहे वे धार्मिक हों अथवा किसी दूसरे प्रकार की, वह सब पीछे रह जाती हैं और आर्थिक भावना उसके सामने आ जाती है। आप देख रहे हैं कि पंजाब से बढ़िया से बढ़िया गाय और भैंसें दूध देने वाली यू० पी० के अन्दर आती हैं, वेस्टर्न यू० पी० के अन्दर बड़ी बड़ी मंडियां कायम हैं क्योंकि वहां बड़ी आसानी से जानवर पंजाब से आ जाते हैं। अनेक व्यापारी हमारे इलाके से उन गायों को, अच्छी से अच्छी नस्लों की गायों को, और दूध देने वाले जानवरों को, वहां से खरीद लेते हैं और ट्रेन्स से सीधे कलकत्ता ले जाते हैं। इसका कारण क्या है? पंजाब से सीधे गायें और भैंसें लादी जाती हैं सैकड़ों और हजारों की तादाद में, बढ़िया से बढ़िया गाय और भैंस और अब ५, ७ वर्ष बाद यह देखने में आ रहा है कि दूसरे दर्जे की नस्ल की गाय और भैंस लादी जा रही हैं। प्रथम श्रेणी की गायों का एक्सपोर्ट समाप्त हो गया। उनकी नस्ल खत्म हो गयी। अब द्वितीय श्रेणी की गाय वहां जा रही हैं इसलिये कि उनसे जो गोश्त , हड्डियां और चर्बी मिल सकती हैं उसका दाम काफी होता है। जो गाय या भैंस यहां दो सौ ढाई सौ या तीन सौ की होती है वहां जाकर वह ८ सौ और ९ सौ में बिकती है। वहां एक बड़ा भारी बूचड़खाना है और वहां से लाखों और करोड़ों रुपयों का गोश्त गाय का ईस्टर्न मुमालिक में पूर्वी देशों में एक्सपोर्ट होता है।

श्रीमन्, जब आप एक प्रान्त में एक कानून बनायेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि वह जानवर यू० पी० में होकर नहीं जायेंगे। दूसरे रास्ते से उधर गायों का जाना शुरू हो जायगा। आप बन्द करें, यह ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों न करें कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट से इस प्रकार का कानून बनवायें ? अगर किसी प्रकार का वध जानवरों का हो तो उसकी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेन्ट हो। अगर दूध देने वाले जानवर का स्लाटर हो तो उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेन्ट की होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि सन् १९५५ से आज तक कानून बनाने के बाद शुरू शुरू में तो जगह जगह पर दंगे हुए। लोगों की भावनाओं को चोट भी पहुंची, चाहे उसके बाद भी गो वध हुआ, बैल कटे, चोरियां हुईं, मुकदमे चले और उन में सजायें भी हुईं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़े भारी तबके को एक तसल्ली रही आज तक कि सरकार ने गोवध पर प्रतिबन्ध लगाया तो। एक्का दुक्का, चोरी छिपे गोवध होता भी रहा तो जनता ने उसे सहन किया यह सोचते हुए कि सरकार की तरफ से तो प्रतिबन्ध लगा हुआ है ही। अब इस कानून को सामने लाने से एक अजीब सी हालत पैदा हो जायगी। आप जगह जगह बूचड़खाने फिर से दुबारा शुरु करेंगे। जगह जगह वध होना शुरु हो जायगा, जगह जगह झगड़े होंगे कि यह जानवर १५ साल का था या नहीं और सब से बड़ी मुश्किल यह हो जायगी कि कौन जांच करेगा, कौन अधिकारी होगा जो इसकी जांच करेगा कि यह जानवर १५ साल का हो गया है या नहीं। होगा यह कि ८ आना, १ रुपया, दो रुपया बांध दिया जायगा हिसाब से, और जो उतना पैसा जमा करेगा उसे टिकट मिल जायगा १५ साल का जानवर होने का। मैं देख रहा हूं वह स्थिति जो कि थोड़ी सी छूट देने से यहां की हुई। हजारों जानवर यहां से बाहर चले गये। पश्चिमी जिलों में कटरे से वह काम लिया जाना शुरू हो गया जो पहले बैल से लिया जाता था। बैलों में अब नये किस्म के बैल बने हैं

जिन्हें झोटा कहते हैं। बैलों की कमी के कारण इन झोटों से काम लेना शुरू किया गया। अब झोटों से काम लिया जा रहा है और हजारों कटरे काटे जा रहे हैं। जहां बकरे का गोश्त ३ रुपया साढ़े ३ रुपया सेर बिक रहा है, उसमें कटरे का गोश्त मिलाकर सारा बिक रहा है। खूराक के अन्दर मिलावट हो रही है, गोश्त के अन्दर हो रही है। इन तमाम चीजों से आम जनता का कैरेक्टर नीचा होता है।

तो श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो कानून भी आप लायें, एक दफा उस पर सही तौर पर बैठ कर सोचें। चूंकि बहुत मुद्दत तक आपने इधर बैठकर आलोचना की है, उसको इस वक्त भी दिलो दिमाग में रख लें। कम से कम हमें यह संतोष तो हो कि वहां चले जाने के बाद वही भावना, वही उमंग आपके अन्दर आज भी मौजूद होगी और है। इसलिये जल्दी से कोई कानून पास करा लेना जिससे कौम का मनोबल गिरे और आपका मंशा भी पूरा न हो तो यह मुनासिब बात नहीं होगी। तो जहां मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सामने जाने दें, वहां इसकी परिधि बढ़ाने की कोशिश करें। यह जरूरी नहीं है कि संशोधित रूप में जाय बल्कि प्रवर समिति में जो चेंजेज मुनासिब समझे जायं वह वहां किये जायं और आप उन्हें छूट दें कि वह अपने दिल की बात आसानी से कह सकें। तो कमेटी के सामने कोई सरकमवेंशन नहीं होना चाहिये, कोई बाइंडिंग नहीं होनी चाहिये कि इससे ज्यादा नहीं कर सकती।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस चीज को मान लें।

*श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष जो बिल प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं इसलिये कि वह किसान हैं और उन्होंने यह महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के किसानों का भला बगैर पशुओं की रक्षा के नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की खेती पशुओं पर, बैलों पर ही निर्भर है इसलिये इस बिल को वह लाये। त्रुटिया को देखने के लिये तो अगर हम इस बात की कोशिश में रहें तो कोई चीज दुनियां की ऐसी नहीं है जिसमें त्रुटियां दिखाई न पड़ें। उसी प्रकार से इस बिल में भी बहुत सी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में इसमें एक त्रुटि है, उसे सेंटीमेंटल कहिये या जो कुछ कहिये। वह त्रुटि यह है कि जिस जानवर का १५ वर्ष तक दूध पीयें, उसको इस्तेमाल करें, हल में जोतें या और किसी प्रकार से जो हमारे काम में आवे और जब वह अपंग हो जाय, लंगड़ा हो जाय तो उसको हम कह दें कि कटवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

बिल तो यह बात नहीं कहता।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

यह बात खटकती है। न कहिये तो अच्छा है। यही इसमें दिखाई पड़ा और बाकी इस बिल में जो कुछ भी है वह बड़ा ही आवश्यक है। 'बध' का नाम भी जहां जहां इसमें आया है मुझे तकलीफ जरूर हुई है उस शब्द से। जंगल में शिकार खेल लेना दूसरी चीज है लेकिन जिस जानवर को हम पालें, खिलावें और उससे अपना काम लें उसके वध के लिये कोई राय दें तो यह अच्छा नहीं लगता है। यह सेंटीमेंट की बात है। अब इसमें इक्तसादी, आर्थिक पहलू क्या है, यह दूसरी बात है। लोग अपने पहलू से सोच सकते हैं लेकिन सेंटीमेन्ट से यह बात कुछ जंची नहीं। मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे समय नष्ट होगा। आवश्यकता पड़ने पर अगर संशोधन की आवश्यकता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

महसूस हुई तो वह बाद में भी हम कर सकते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं, केवल वध करने वाली बात को छोड़कर, उसे निकाल दिया जाय।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में कुछ कन्ट्राडिक्टरी बातें कही गयी हैं जिसके कारण यह जरूरी हो गया है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय और समिति को इसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो। जैसा कि माननीय अग्रवाल साहब ने कहा, मंत्री होने के पहले माननीय कृषि मंत्री जी की जो भावनायें थीं वह इस विधेयक से पूरी होने वाली नहीं हैं। सौभाग्य से आज वही कृषि मंत्री हैं और वही इस विधेयक को लाये हैं। हो सकता है जल्दबाजी में कुछ बातें रह गयी हों। आफिस होल्ड करने के बाद उनकी भी कुछ मजबूरी हो सकती हो, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

मैं क्यों इसे प्रवर समिति में भेजना चाहता हूं, उसके लिये मैं दो तीन प्वाइन्ट्स रखना चाहता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिखा है कि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि केवल वध करने के प्रयोजनार्थ दुधारू पशुओं का (जिनमें भैंस भी सम्मिलित है) बड़ी संख्या में राज्य के बाहर निर्यात किया जाता है, एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ यह लिखा है कि दुधारु पशुओं के निर्यात पर पूर्णरूप से रोक लगाने का विचार इसलिये नहीं किया गया कि इससे पशु प्रजनन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी एक ही सांस में दो बातें कही गयी हैं। मैं पूछता हूं कि आज जिस तरह की व्यवस्था समाज में चल रही है उसके होते हुए क्या वे उद्देश्य जो इस विधेयक में हैं पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसमें जो धारा ७-८ है उनसे इस विधेयक की मंशा पूरी नहीं हो सकती। इसलिये गंभीरता के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है।

माननीय बैजनाथ सिंह वैद्य जी ने कहा कि उन्हें इस विधेयक पर आब्जेक्शन नहीं है केवल "पशु बध" पर। इसमें पशु वध नहीं लिखा है, पशु परिरक्षण शब्द आया है। लेकिन इसमें बहुत सी कन्ट्राडिक्टरी बात कही गयी हैं। एक तरफ तो धारा ७ में कहा गया है कि--

"(१) राज्य सरकार द्वारा अथवा जब कभी राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाय, तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी संस्थायें स्थापित की जायेंगी जो अलाभकर गायों, सांड़ों तथा बैलों की देखभाव के लिये आवश्यक हों।"

दूसरी तरफ ७ (२) में कहा गया है कि--

"यथास्थिति, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसी संस्थाओं में अलाभकर गायों, सांड़ों तथा बैलों को रखने के लिये ऐसे परिव्यय अथवा शुल्क लगा सकता है, जो नियत किये जायं।"

एक तरफ तो आप ऐसी संस्थाओं को डेवलप करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपने इसमें एक ऐसी बात कही हैं कि--

"(३) सक्षम प्राधिकारी तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर यह प्रमाणित करेगा कि कोई गाय, सांड़ या बैल वध करने के योग्य है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि--

(क) सांड़ या बैल १५ वर्ष से अधिक आयु का है, या

(ख) (१) गाय, सांड़ या बैल असाध्य रोग से पीड़ित है अथवा उसे असाध्य चोट लग गयी है, और अनावश्यक पीड़ा या कष्ट से उसे मुक्त करने के लिये उसका नाश करना आवश्यक है, या

(२) सांड़ की दशा में, वह प्रजनन के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है, और उसका प्रयोग भारवहन या किसी अन्य प्रकार की कृषि क्रियाओं के लिये नहीं किया जा सकता।"

हमारे एक साथी अग्रवाल जी ने ए क बात कही कि यह सेंटिमेन्ट का सवाल है। हमारे देश में सेंटिमेंटल बहुत से लोग हैं। हमारे साथी रहमान साहब ने कहा कि केवल गाय, सांड़ या बैलों के वध की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक दूध देने वाले जानवर चाहे भेंड़ हो, बकरी हो, गाय हो या भैंस हो, उन तमाम के वध पर रोक लगायी जाय। हमारे साथी बहुत से बैठे हुए हैं जो गोश्तखोर हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूं और ४५ साल की मेरी उम्र है। मैं ऐसे माहौल में रहा हूं कि आज तक मैंने गोश्त को चखा तक नहीं है। मैं गांव में जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और घर आते जाते रास्ते में खसी काटा जाना देखता था और खाना खाते वक्त उसकी याद आ जाने पर ही तो मुझे कै हो जाती थी। तो यह तो एक माहौल की बात है। एक तरफ तो आप ऐसी संस्थाओं को डेवलप करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ऐसा माहौल है जहां तमाम घूसखोर और भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं जो १६ साल के लड़के और १३ साल की लड़की को २१ और २२ वर्ष का बतला कर सर्टीफिकेट दे देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप एक नयी चीज पैदा करें वरना ऐसी सस्थायें कभी डेवलप नहीं कर सकतीं। मेरे विचार क्या हैं, मेरी सैद्धान्तिक मान्यतायें क्या हैं हमारी पार्टी के वियूज क्या हैं, उनको रखने के लिये आप इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें ताकि वहां इन तमाम पर डिस्कशन हो सके और उसकी परिधि को भी बढ़ाया जा सके। हमारे हिन्दुस्तान की एकोनामिक कंडीशन क्या है, यहां का माहौल क्या है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, और यहां जो बुराइयां, कमियां व खामियां हैं, उनको समझ कर तमाम परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं, मिलकर निकालने की तैयारी करें।

आखिर में एक बात मैं और निवेदन कर दूं। हमारे साथी मायर जी ने कहा कि यह प्रदेश का विधेयक न होकर केन्द्र का होना चाहिये था। मैं भी एक रोशनी में उनका समर्थक हूं कि यह केन्द्रीय मसला होना चाहिये और इसमें पूरे देश के लिये एकरूपता होनी चाहिये। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से साथी इस विधेयक क विरोधी हैं हालांकि उनमें से बहुत से पूरे के पूरे गोश्तखोर हैं। मैं यह भी जानता हूं कि द्वितीय महायुद्ध के समय हिन्दू पूंजीपति लोग जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उन्होंने ब्रिटिश और अमरिकन फौजों को गाय का गोश्त सप्लाई करने का ठेका लिया था जबकि हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जेलखानों में बन्द थे। तो इस रोशनी में मैं कहता हूं कि यह केन्द्रीय मसला होना चाहिये। क्योंकि ऐसी मिसालें भी सामने आ सकती हैं जब कि ऐसे मौके पर केन्द्रीय सरकार को निगरानी करने की जरूरत पड़ जाय। इसलिये मैं हाथ जोड़ कर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी हम लोगों की कतार से ही गये हैं इसलिये उनसे हमें डर नहीं लगता जैसा कि श्री हर गोविन्द सिंह या श्री हुकुम सिंह जी से लगता है, लेकिन ऐसे हम लोग किसी से डरने वाले हैं नहीं।

अन्त में, फिर माननीय मंत्री जी से मेरी दरख्वास्त है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज कर इसकी परिधि को बढ़ाने का मौका दिया जाय।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौओं तथा पशुओं के रखने का जो प्रश्न हमारे सामने है यह बहुत ही विशेष महत्व रखता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश ह और 'बशषकर के हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें ८५ प्रतिशत

[श्री बृजबिहारी]

जनता खेती करती है। इसमें पशुओं की दशा को सुधारना हमारा परम कर्त्तव्य होता है। मैंने इस विधेयक को पढ़ा है और जो पहिले का विधेयक था उसको भी देखने का मुझे मौका मिला था। उसके बनाने में भी मैंने अपना सहयोग प्रदान किया था। मुझे यह समझ में नहीं आता है। मैंने इसके उद्देश्य और कारण को गौर से पढ़ा है। इस विधेयक को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसमें बहुत सी त्रुटियां मालूम होती हैं। इसमें जो सक्षम अधिकारी का प्रस्ताव किया गया है जो पशुओं को वध करने के लिये प्रमाण-पत्र देगा, यह उचित नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मानने की बात है और इसको इधर और उधर के बैठने वाले सब मानते हैं, चाहे कोई कारण हो, आज हमारी पार्टी पालिटिक्स में, मानना पड़ेगा, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। ऐसी दशा में आप एक अधिकारी को बना देंगे और उसको यह अधिकार दे देंगे कि वह वध करने के लिये सर्टिफिकेट दे देगा कि वह पशु वध के योग्य है या अयोग्य है। इसमें हमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सौभाग्य से माननीय गेंदासिंह जो आज कृषि मंत्री हैं। वे उसी अंचल से आते हैं जहां से हम लोग आते हैं। गांवों से उनका विशेष संबंध रहा है। गांवों की दशा को और पशुओं की हालत को वे हमसे ज्यादा जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में पशुओं के लिये विधेयक लायें इसमें किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता है। पशुओं की दशा में कैसे सुधार हो, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है।

इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं कि इसी विधेयक को प्रवर समिति में अवश्य भेजना चाहिये। इसलिये कि प्रवर समिति में जाने के पश्चात वहां पर इसके पक्ष और विपक्ष में विचार विमर्श होगा। दूसरे इसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हमको होना चाहिये ताकि जिस तरह से चाहें उसमें वह संशोधन ला सकें और परिवर्तन तथा परिवर्धन कर सकें। एक बात मुझे तो बहुत ही खटकती है कि गोवध के लिये जो दण्ड रक्खा गया था दो वर्ष का और १ हजार रुपया जुर्माना, इस विधेयक में उसको घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है—जुर्माना हालांकि उतना ही है। मुझसे अगर राय ली जाती तो मैं उसको बढ़ाने के पक्ष में राय देता। मैं तो चाहता हूं कि सजा बजाय १ साल के चार साल रखी जाय। जिन पशुओं पर हमारी सारी कृषि की व्यवस्था निर्भर करती है, उनका जो वध करता है उसको अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि इस सजा को घटा कर क्यों एक ही वर्ष कर देने का प्रस्ताव आया है। मैं तो समझता हूं अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि उस पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। अगर हम प्रस्तुत विधेयक पर उसी समय विचार करने का निश्चय करते हैं तो वह उचित नहीं होगा। मैं माननीय बैजनाथसिंह जी का बहुत आदर करता हूं। उन्होंने कहा था कि प्रवर समिति में भेजने की क्या आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि उसमें संशोधन भी लाने का हमें अधिकार रहे। संशोधन लाने की आवश्यकता यह है कि इस पर पूर्णरूप से हम विचार कर सकें। एक महीने के अन्दर का जो प्रस्ताव किया गया है कि प्रवर समिति में भेजकर विचार किया जाय, मैं समझता हूं यह बिलकुल उचित है। इसको प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इसको सदन अवश्य स्वीकार करेगा।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ठाकुर फूलसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिये करता हूं कि इसमें जहां यह भावना व्यक्त की गई है कि वह विधेयक इसलिये लाना पड़ा कि मूल विधेयक जो है उसकी कुछ धाराओं को नाजायज ढंग से इस्तेमाल किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता था जिसमें सरकार रोक नहीं लगा सकती थी। संशोधन ले आने का यही एकमात्र कारण है। जहां तक यह कारण है हम उसका समर्थन करते हैं। जो त्रुटियां उसमें थीं उन्हें दूर करना अत्यावश्यक है। उसी के साथ साथ इसका एक संशोधन उस मूल विधेयक में, मुझे जहां तक याद आता है, सन १९५८-५९ में भी आया था।

उस समय भी मैंने यह बात कही थी कि यह जो इसमें १५ साल की लिमिट रखी हुई है यह क्यों रखी गई है, इसका क्या कारण है। जब वध का निषेध ही करना है तो फिर उसमें उम्र की लिमिट ही क्यों रखी गयी है। यही कारण है कि आज मंत्री जी को बहुत बड़ी आलोचना सुनानी पड़ रही है। जिस भावना से इस विधेयक को लाया गया है उसको पूर्णरूप से व्यक्त नहीं किया गया है। एक साहब ने कहा कि किसी जानवर का भी वध नहीं होना चाहिये। बहुत सही बात उन्होंने कही। ऐसा ही होना चाहिये। इससे उम्दा बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि मांसाहार कोई अच्छी चीज तो है नहीं, खास कर अपने देश और प्रदेश में जहां गरमी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहां मांस खाने से लाभ नहीं हो सकता लेकिन इस सरकार द्वारा सभी पशुओं के वध पर रोक लगायी जा सके, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि इस सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं है।

एक चीज और विचित्र सुनने में आयी। आर्थिक आधार पर हर एक बात को सोचना। हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार की बात प्रवेश कर गयी है कि हम हरएक चीज को आर्थिक आधार पर सोचते हैं और यही कारण है कि प्रत्येक चीज की असलियत हमारी नजरों से गायब हो जाती है। इसी आधार पर गोवध बन्द करना या न करना भी सोचा जा रहा है। आपकी मां जिस समय बूढ़ी हो जाती है, जब वह रोटी नहीं पका सकती, जब वह भाई बहनों को पैदा नहीं कर सकती, जब उसकी सुन्दरता समाप्त हो जाती है, आप उसको मार डालने के लिये तैयार नहीं हो जाते।

दुहाई दी जाती है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? भगवान की सृष्टि में जो भी जीव पैदा हुये हैं वे सब संतान की वृद्धि के लिये ही पैदा हुये हैं तो फिर क्या कारण है कि मनुष्य तो अपनी संतान की वृद्धि करे लेकिन दूसरे जीवों को न करने दे। हम अपनी मां को केवल इसलिये नहीं मारते हैं कि वह हमारी मां हैं, उसका हम वध नहीं करते यद्यपि वह बिलकुल निकम्मी है, कोई काम नहीं कर सकती लेकिन जिसने हमको और हमारी मां दोनों को दूध पिलाया है, उसको हम किस प्रकार से मारने के लिये तैयार हो जाते हैं। जिसको एक इधर जोत करके, एक उधर जोत करके अन्न पैदा किया, खुद जिसने भूसा खाया और हमको अन्न खिलाया, उसकी मां को बुड्ढी हो जाने पर मार डालने में आप बड़ा गौरव समझ रहे हैं और बड़ी आर्थिक उन्नति समझ रहे हैं, यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। क्या सरकार ऐसा कानून बनाने के लिये तैयार है कि ५८ साल, ६२ साल या ६० साल की जो लिमिट बनाई गई है, जिसके बाद सरकार समझ लेती है कि सरकारी अधिकारी कार्य करने के योग्य नहीं हैं, तो क्या उनका वध करने के लिये कोई कानून बनाने के लिये सरकार तैयार है? केवल इसलिये कि वह मनुष्य जाति के हैं, केवल इसलिये कि उनका रक्त-मांस आपकी तरह है, आप उनको यह छूट देते हैं कि वह निकम्मे भी हो जायं तब भी आप उनको जिलाते रहें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बातों को दूसरे ढंग से न लिया जाय। आज एक बुढ्ढा आदमी बीमार होता है, पैरालिसिस होती है, उसके मस्तिष्क की रक्तवाहक नाड़ी फट जाती है, शरीर नहीं काम करता है, मस्तिष्क नहीं काम करता है, लेकिन दुनिया भर की मशीनें लगाकर डाक्टर उसे क्यों जिन्दा रखता है, कौन-सा आर्थिक लाभ उससे होता है? हजारों रुपये की दवाइयां, हजारों रुपये का आक्सीजन और सामान उसके ऊपर खर्च हो जाता है, कौन-सा आर्थिक लाभ उससे होता है? कोई साहब मुझे बतला दें मैं मान जाऊंगा। बुढ्ढे आदमी को आज कोई बड़ा रोग हो गया, वह काम करने लायक नहीं रह गया, तो क्यों उसकी दवा की जाती है, क्यों उसे जिन्दा रखने की कोशिश की जाती है, इसका कोई कारण है आपके पास जो यह कहते हैं कि केवल आर्थिक आधार पर ही गायों को जिन्दा रखना चाहिये और जब आर्थिक आधार न रह जाय तो मार डालना चाहिये। आप पहले अपने बाप को मार डालिये,

[कुंवर श्रीपालसिंह]

अपनी मां को मार डालिये तब उसके बाद दूसरे को मारने का हक आपको होता है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस में ही आप देखें, एक से एक झबला, हाथ कांप रहा है, सिर कांप रहा है, पूरा बदन कांप रहा है, मस्तिष्क के अन्दर का गूदा कांप रहा है, और उस गूदे के अन्दर की बुद्धि कांप रही है, लेकिन अस्पतालों के अन्दर की हजारों रुपये की दवाइयां उनके ऊपर खर्च की जा रही हैं उनको जिन्दा रखने के लिये, टैक्स पेयर का कितना पैसा खर्च हो रहा है और वह डग डग कर रहे हैं, कौन-सा आर्थिक लाभ वह कर रहे हैं, कौन सी देश की बहुत बड़ी भारी आर्थिक समस्या हल कर रहे हैं ? तो हर एक चीज को आर्थिक आधार पर तौलना मेरी समझ से बिलकुल गलत है ।

भावना की बात कही गई । मैं कहता हूं संसार ही भावनात्मक, है, भावना के ऊपर ही संसार बना है अन्यथा यह संसार कुछ है ही नहीं । यदि आप असलियत देखें तो यह कुछ नहीं है, केवल भावना के ऊपर यह संसार बना है । एक साहब कहने लगे कि सेन्टीमेंट्स से काम नहीं लेना चाहिए । अरे साहब, संसार ही सेन्टीमेंट्स से बना है । क्या कोई भी आदमी इस बात का सबूत दे सकता है कि वह किसका बेटा है ? इसका क्या सबूत उसके पास है ? सिवाय भावना के कोई भी प्रमाण किसी के पास नहीं है कि वह किसका बेटा है । क्यों फिर एक आदमी को आप अपना बाप मान लेते हैं ? केवल भावना की वजह से। आज कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को यह नहीं कह सकता है, जब से हमारे यहां के संस्कार खत्म हो गये, जब से बाकायदे गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाता, कि उसका बेटा किस समय का है और किस दिन का है । जब कोई यह नहीं बतला सकता है तो क्या प्रमाण है उसके पास कि वह यह कहता है कि यह मेरा बच्चा है ? केवल भावना है । तो यह कहना कि भावना के आधार पर कोई काम नहीं होता, हमेशा आर्थिक आधार पर होना चाहिये, उचित नहीं है । आर्थिक आधार तो हमेशा अनर्थ की जड़ होता है और अनर्थ पैदा करेगा । जो साहेब इस बात को आर्थिक आधार पर सोचते हों उन्हें चाहिये कि पहले अपने मां-बाप को जो बूढ़े हो चुके हैं और उनसे किसी तरह की आर्थिक आय नहीं है, पहले उन्हें समाप्त करें, और कह दें कि चूंकि उनसे किसी प्रकार की आर्थिक आय नहीं थी इसलिये हमने इन्हें मार डाला ।

इस बिल में बहुत से संशोधन करने होंगे यद्यपि अभी तो यह तीसरा ही संशोधन है । आप इसे प्रवर समिति में भेजकर इसके एक एक अक्षर को ठीक कीजिये जिससे फिर जल्दी संशोधन न करना पड़े । इस विधेयक में बहुत-सी कमियां हैं । उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि इसके अर्थ का अनर्थ लगाया जायगा । वह तो होगा ही चूंकि कानून में हिन्दी की चिन्दी निकालने वाले मौजूद हैं जिनका पेशा ही यह है । इसलिये ताकि कोई तोड़मरोड़ की गुंजायश न रहे, सीधा ऐसा कह दीजिये कि उन जानवरों को जिनका भावना से ताल्लुक है किसी भी आयु म वध नहीं किया जा सकता है । अमेरिका में चले जाइये, जिसे हड़ई चील कहते हैं, सफेद चील, यानी गिद्ध, जो साहेब सेंटीमेंट को कुछ नहीं समझते हैं, उस पक्षी को जरा अमेरिका में भाग लें, तो पता चल जावेगा कि सेंटीमेंट क्या चीज है । हमारी सरकार समाजवाद पर डगमगाकर चल रही है । हमारा दृष्टिकोण हर बात में आर्थिक बनता जा रहा है । उसका एक मात्र कारण यही है कि हमार विभाग में यह भावना घुस गई है कि अर्थ ही प्रधान है । आज दोनों तरफ के सदस्यों ने कहा कि सरकारी मशीनरी बड़ी खराब है, जिनके हाथ में अधिकार दिया जा रहा है वे रिश्वत लेकर झट से लाइसेंस दे देते हैं । क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि रिश्वत क्यों ली जाती है ? उसका कारण आर्थिक दृष्टिकोण है । जब गऊ और माता का भी आपने आर्थिक आधार रख दिया तो क्या आप यह आशा कर सकते हैं किसी भी सरकारी मुलाजिम से कि वह हरिशचन्द्र और विश्वामित्र बन जाय और सर्वस्व त्याग दे ? आर्थिक दृष्टिकोण ही भ्रष्टाचार और रिश्वत की जड़ है । आर्थिक दृष्टिकोण ही मनुष्य को नीचे ले जाता है । जब अर्थ से आपका मस्तिष्क हटेगा और धर्म पर आवेगा, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा और भगवान का दर्शन होगा और तभी आप सही रास्ते पर आवेंगे ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

गाय-भैंस की बात में भगवान कहां से आ गया ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

गाय के पुत्र बैल के ही कंधे पर बैठकर आप यहां आये हैं और अब उसे मार डालना चाहते ह । क्या कहूं जिस के कन्धे पर चढ़ कर आप यहां पहुंचे उसके साथ इतनी कृतघ्नता तो न करिये । जैसे आप की मां वैसी उस बैल की मां जिसके कन्धे ने आप को यहां तक पहुंचा दिया । यहां आप ने कुर्सी पर बठने के बाद अगर यह भुला दिया कि आप किसके कन्धे पर बैठ कर यहां पहुंचे तो वह ठीक न होगा । हर चीज को आर्थिक दृष्टिकोण से न देखिये ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

श्री गेंदासिंह जी झोपड़ी से आये हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

लेकिन झोपड़ी से कुर्सी तक पहुंचने के लिये उन्हें पहले बैल की सवारी की आवश्यकता पड़ी । मैं इस विधेयक पर बोलना बिलकुल नहीं चाहता था लेकिन दो बातों ने मुझे प्रेरित किया और मरी भावना जाग्रत हुई कि मैं इस पर बोलूं । एक तो यह कि आप इस गोवध के मामले को सेन्टीमेन्टल तरीके पर न सोचें और दूसरे आर्थिक आधार पर इस समस्या को न बनावें । आप अब भी जाग जायं । आप के आर्थिक दृष्टिकोण से ही गल्ला मनों से सेरों में और सेरों से छटांकों में बिकने लगा है । आप के आर्थिक दृष्टिकोण ने मानव को दानव बना दिया । पहले जो गरीब को अन्न देने की भावना थी वह अब समाप्त हो गई है । मुझे याद है कि पहले कम से कम शहरों में नहीं तो गांवों में यह रिवाज था कि घर का जो बुजुर्ग होता था वह शाम को जब भोजन करने को जाता था तो पहले दरवाजे पर निकल कर अपने बगल के दो घरों को देख लेता था कि उनके यहां खाने का प्रबन्ध ह या नहीं और अगर नहीं होता था तो उनको खाना अपने यहां से पहुंचा कर तब स्वयं खाता था । यह आर्थिक दृष्टिकोण नहीं था, कौन सा आर्थिक लाभ उस को इस मानवीय भावना से थी, वह मानव भावना थी और मनुष्य की भावना ईश्वर की भावना के बाद की चीज है लेकिन इस तरह की आर्थिक भावना से तो हम जानवर से भी बदतर हो जायेंगे । हर चीज को आर्थिक आधार पर नहीं तोला जाता और केवल भावना की बात नहीं है । अगर ऐसा किया तो आप साफ हो जायेंगे, बेकार हो जायेंगे, पता नहीं चलेगा । इसलिये मंत्री जी इस को प्रवर समिति में जाने दें और वहां पर इस की एक एक त्रुटि को देखा जाय और इस में संशोधन किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जे० पी० मिश्र---

उपाध्यक्ष जी, मैं आप को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जैसे विचार के लोगों को बोलने का मौका दिया । यह जो बिल है इसके संबंध में अपने पक्ष से और विरोधी पक्ष से करीब करीब १-२ भाषण मैंने न सुने हों वर्ना मैंने सभी को सुनने का प्रयास किया । प्रवर समिति में इस बिल को भेजने की जो बात उपस्थित की गई है उसकी ओर मैं आप के माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस प्रवर समिति के प्रश्न को जो एक किसान कार्यकर्ता और इस उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूव मंत्री ठाकुर फूलसिंह की ओर से पेश हुआ है उसको लाइटली टेकअप न करें । ठाकुर फूलसिंह जैसे महारथी किसान कार्यकर्ता की ओर से चूंकि यह प्रस्ताव आया है इसलिये मैं श्री गेंदासिंह जी और उनकी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर वह गंभीरता पूर्वक विचार करें और आसानी से उस भावना को रद्द करने का कष्ट न करें । विरोधी पक्ष की तो बात यह है कि उनका तो पेशा ही है कि हर चीज का विरोध किया जाय पर इस तरफ के लोगों का पेशा नहीं है कि वे भी विरोध करें । माननीय जगदीश शरण अग्रवाल, जे० पी० मिश्र, ठाकुर फूलसिंह, बृजबिहारी और अन्सारी जैसे लोग पेशेवर लोग नहीं हैं । मैं चाहता

[श्री जे० पी० मिश्र]

हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी उनके मशविरे को मान लें। मैं उन्हें यह सलाह देता हूं और मुझे आशा है कि मेरे बोलने के पश्चात ये एलान कर देंगे कि यह बिल संयुक्त प्रवर समिति को दे दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की बात तो मैं नहीं कहता पर इस तरफ के एवरेज पार्टी के लोग ठाकुर फूलसिंह के सुझाव पर वोट भी देने को तैयार हैं।

दूसरी बात जो मुझे माननीय कृषि मंत्री जी से कहना है वह यह है कि पिछला गोवध निवारण अधिनियम जो बना और जिसमें सजा निश्चित की गयी है, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय गदासिंह जी अपने भाषण में बतायें कि इन १० वर्षों में इस गोवध के सिलसिले में इस प्रदेश में कितनी सजायें हुई हैं, कितने मुकदमे चले हैं उनमें कितनों को सजा हुई है और कितने छूटे हैं। मरी जानकारी यह है कि इसमें शायद ही १ प्रतिशत सजा हुई हो और या तो मुकदमे अदालतों में आये ही नहीं और अगर आये तो वे छूट गये। क्या कृषि मंत्री इस दृष्टिकोण को लेकर बतायेंगे कि या तो ये मुकदमे चल नहीं पाते हैं और अगर वे चल पाते हैं तो वे छूट जाते हैं। अब इसमें एक साल की सजा का प्राविधान रखा गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सजा को डैटेरन्ट न करके लाइट पनिशमेंट कर दिया गया है। इस बिल में दिया हुआ है कि कतिपय अपराधों के संबंध में समझौता करना है। इस दुनिया के पर्दे पर कोई कानून नहीं है जिसमें समझौते की बात की गयी हो। यह वकील लोग ज्यादा जानते होंगे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा क्लाज, किसी सेक्शन में, किसी ऐक्ट में दिखायें जिसमें अपराधों के संबंध में समझौता करने का अख्तियार सरकार को दे दिया गया हो। मैं चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री इस बात की भी सूचना देंगे कि आपने जो इस बिल में धारा १५ (१) रखी है, उसका क्या मकसद है, उसकी क्या भावना है।

तीसरी बात यह है कि मैं माननीय श्रीपाल सिंह की बात से तो कुछ प्रभावित नहीं हूं और न अपने मित्र श्री अन्सारी की बात से। श्रीमन्, करोड़ों चूहे फसल खा गये पिछली बार। अब उनकी और पूजा की जाय, हमारे यहां उसको गणेश जी की सवारी माना गया है, गणेश माना गया है, वह सारा गेहूं, जौ, बाजरा, चना खा जाते हैं, तो अगर और उनके साथ रियायत की जाय—गणेश जी के साथ—तो थोड़े दिन में यह देश भूखा मरने लगेगा। उनको भगवान मान कर न पकड़ा जाय, न गैसिंग की जाय, उनको न खत्म किया जाय तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। चूहा भगवान को अगर दंड न दिया तो क्या आर्थिक व्यवस्था रह सकेगी? हजारों एकड़, लाखों एकड़ वह साफ कर गये। दूसरे भगवान बन्दर हैं जिनको हनुमान कहा जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह भगवान को घुसेड़ने की और धर्म को लाने की बात इस बीसवीं सदी के १९६५ साल में नहीं चल सकती है। आज का युग समाजवादी युग है जिससे देश को आर्थिक व्यवस्था में मदद मिलती है वही चीज वाजिब है, वही कर्तव्य है, वही कानून है। इसलिये मैं माननीय श्रीपाल सिंह की दलील का घोर विरोध करता हूं।

एक बात यह है कि किन्हीं मित्रों ने बाबू गेंदासिंह की कुछ बातों का हवाला दिया पढ़कर। हम समाजवादी विचारक हैं और समाजवादी बात कहते हैं और प्रदेश का सौभाग्य है कि एक किसान को चुनकर मुख्य मंत्री ने कृषि मंत्री बनाया है। माननीय गेंदासिंह आये, इत्तफाक यह है कि पहले ही उनको पाला पड़ गया। १९५५ में माननीय गेंदासिंह ने क्या बात कही? उस वक्त की भी उनकी बात जायज थी, उनके विचार में आज कोई परिवर्तन हो गया हो ऐसी बात नहीं है, न हुआ है, न हो सकता है। वही बाबू गेंदासिंह समाजवादी हैं जो १५ साल पहले थे और २५ वर्ष तक समाजवादी रहेंगे। फर्क इतना है कि अब असली समाजवादियों के साथ आ गये हैं। फर्जी समाजवादी उधर रह गये और असली समाजवादी जो देश और प्रान्त का संचालन कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनायें बना रहे हैं उनके साथ बाबू गेंदासिंह जैसे स्टालवर्ट आ गये। हमने माननीय रामायण राय, माननीय कल्पनार्थीसिंह और बाबू गेंदासिंह को खींचा और जुलाई, ६६ तक माननीय केशरी प्रसाद पांडेय तथा माननीय मैनेजरसिंह को भी खींचेंगे। बाबू गेंदासिंह की आमद से समाजवादी विचारधारा को बल मिला, उत्तर प्रदेश की सरकार को

बल मिला और देश को भी बल मिलेगा। लेकिन थोड़ी-सी निर्बलता उनमें न आ जाय, वह यह न कहें कि प्रवर समिति के सुझाव को वापस ले लिया जाय। समाजवादी विचारधारा और प्रजातांत्रिक भावनाओं से ओत-प्रोत जो मंत्री हैं उनको जो अन्य स्टालवर्ट लोग हैं उनके सजेशन को मानना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल बोलियेगा। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३ अगस्त, १९६५।

विधान भवन

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में उन ५० नलकूपों का विवरण जो इलाहाबाद जिले में निर्माण हेतु निर्धारित किए गए हैं

क्रम-सं०	स्थान जहां नलकूप लगे हैं या लगाए जायेंगे	विवरण
१	बेला खिन्डामऊ	
२	चक नन्दू	
३	सदर जलालपुर	
४	कुकडहा	
५	बंशी पट्टी	
६	कोड़ी	
७	उमरी	
८	मलथुआ	
९	बडगांव	
१०	आराकलां	
११	मदवा	
१२	शराफपुर	
१३	कटका	
१४	मलावां बुजुर्ग	
१५	रमईपुर	
१६	नीमी	
१७	चनैयू	
१८	सराय हरीराम	
१९	उग्रसेनपुर	
२०	चिलोडा	
२१	बाबूपुर	
२२	कटेहरी	
२३	भगवाड़ा	
२४	बरस्था	
२५	चम्पापुर	
२६	पूरे लूटई	
२७	नरीखास	
२८	पुंतजिमपुर	
२९	सलेमपुर	
३०	मोत्तिहा	
३१	रामापुर	
३२	धनुआ	
३३	सारगापुर	
३४	इमलिया	
३५	दबहा	
३६	मिवाडा	
३७	चक जहरी	
३८	बेला खास	
३९	वोडई	
४०	हंसराजपुर	
४१	चमरूपुर	
४२	मबेला	
४३	कसौन्धा	
४४	बनरीबन	
४५	पूरे मथुरादास	
४६	हबीबपुर	
४७	मोटवा	
४८	सिकन्दरा	
४९	समौधीपुर	
५०	बंसगिद	

क्रम-संख्या १ से २० तक के नलकूप पूर्णरूप से निर्माण हो गए हैं।

क्रम-संख्या २१ से ५० तक के नलकूप निर्माणाधीन हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

२५ रुपया माहवार से कम पशन पाने वालों की संख्या १४९ है	७५ रुपया माहवार से ऊपर पेंशन पाने वाले की संख्या ५० है

७५ रुपया माहवार से ऊपर पेंशन पाने वालों के नाम

१—श्री नन्द राम गुप्त
२—श्री दीन दयाल
३—श्रीमती सत्यारानी अग्रवाल
४—श्री रियासत उल्ला खां
५—श्री रामकृष्ण सारस्वत
६—श्रीमती रामकली जयसवाल
७—श्री टीकाराम त्रिपाठी
८—श्री प्रेमनारायण मालवीय
९—श्री गणेशप्रसाद जयसवाल
१०—श्री संग्राम सिंह
११—श्री श्रीनाथ पाण्डे
१२—श्रीमती बेरुन निसा
१३—श्री जवाहिर लाल
१४—श्री सुखीराम भारतीय
१५—श्री शिव नायक मिश्र
१६—श्री निर्मल अस्थाना
१७—श्री जगतनारायण दुबे
१८—श्री बेचन राम
१९—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी
२०—श्री राम नन्दन सिंह
२१—श्री हरप्रसाद सिंह
२२—श्रीमती कैलाशपति देवी
२३—श्रीमती सन झरिया देवी
२४—श्री रामलछन तिवारी
२५—श्रीमती प्रतिवा सानयाल
२६—श्री हरशंकर गुप्त
२७—श्री गौरी राम गुप्त
२८—श्री उदयशंकर दुबे
२९—श्री शांतिलाल त्रिवेदी
३०—श्री किशनचन्द्र जोशी
३१—श्री रामप्रसाद नौटियाल
३२—श्रीमती अम्बे रानी शर्मा
३३—श्री कामेश्वर नाथ
३४—श्रीमती सुनीती देवी
३५—श्री मन मोहन गुप्ता
३६—श्री ब्रह्मनन्द अग्निहोत्री
३७—श्री ठाकुरप्रसाद सक्सेना
३८—श्रीमती शकुन्तला पाण्डे
३९—श्री सरदार संत सिंह
४०—श्रीमती सरस्वती देवी
४१—श्री देवीदत्त काण्डपाल
४२—श्रीमती जयन्ती देवी
४३—श्री गंगाधर
४४—श्रीमती कृष्णा कुमारी
४५—श्री गंगाधर शर्मा
४६—श्री हनुमान प्रसाद मिश्र
४७—श्री श्यामसुन्दर अटल
४८—श्री बंशीधर शुक्ल
४९—श्रीमती सुमित्रा जैटली
५०—श्री सैयद नसीर

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२ पर)

दंडित कर्मचारियों का विवरण

क्रम	आरोप	१९६२-६३	१९६३-६४	योग
१	बिना टिकट यात्री ले जाने के अपराध में	३९५	३८६	७८१
२	शिकायत के कारण ..	१११	८५	१९६
३	टिकट खो देने के अपराध में ..	३६	१२	४८
४	इंफ्रिजमेन्ट	११४	४०	१५४
५	अवैधानिक कार्य करने पर ..	२८३	३२९	६१२
६	गाड़ी तेज चलाने के अपराध में ..	११७	३८५	५०२
७	क्षति एवं दुर्घटना ..	१८	१२	३०
	योग ..	१०७४	१२४९	२३२३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में पेंडिंग	दायर की गई	योग	निर्णीत	वर्ष के अन्त में पेंडिंग
१९६० ..	२५१०	३०५८	५५५८	४४०८	११५०
१९६१ ..	११५०	२९२६	४०७६	२९०६	११७७
१९६२ ..	११७७	३४७६	४६४६	२१९०	३४५६
१९६३ ..	२४५६	३८९५	६३५१	२३२८	४०२३
१९६४ ..	४०२३	३८३७	७८६०	३१८७	४६७३

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

सीतापुर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के लिये जिला चुनाव समिति के सदस्यों के नाम:

१—जिला मैजिस्ट्रेट (पदेन)

२—जिला जज

३—श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल

४—श्री वंशीधर शुक्ल

५—डा० एम० पी० मेहरे

६—श्री बैजू राम

७—श्री सैय्यद मोहम्मद ताहिर, वकील

८—श्री ताराचन्द्र महेश्वरी, जनरल सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी, सीतापुर ।

९—श्री नरसिंह बहादुर श्रीवास्तव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२४ पर)

प्रश्न संख्या ७४ से संबंधित सूची

लखनऊ डिवीजन, शारदा नहर में रजवाहा अमेठी के कुलावा नं० १६ के विभाजन के बाद पुराने कुलाबे के आंकड़े के किसानों के अतिरिक्त अन्य कृषकों का कोई सिंचन सुविधा प्राप्त नहीं हुई। विभाजन क पूर्व इस कुलाबे के सिंचाई आंकड़ तथा विभाजन के पश्चात् कुलाबा नं० १६ तथा १६ ब के सिंचाई आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

फसलों वर्ग	विभाजन से पूर्व कुलाबा नं० १६ की सिंचाई (ब्यास ६)			विभाजन के पश्चात कुलाबा नं० १६ (ब्यास ४)			कुलाबा नं० १६ब (ब्यास ३)			कुल वार्षिक सिंचाई
	खरीब	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीब	रबी	योग	
१३६८ फ०	४२	३६	७८	..	..	..	..	..	..	७८
१३६९ ,,	३६	३४	७०	..	..	..	..	..	..	७०
१३७० ,,	..	..	..	४१	३०	७१	१७	१६	३३	१०४
१३७१ ,,	..	..	..	१९	२८	४७	१५	१८	३३	८०
१३७२ ,,	..	..	..	१५	२७	४२	१९	१६	३५	७७

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७–९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२९ पर)

सूची
जिला एटा

१—अलिगंज
२—जसरावाह
३—अरुननगर कालोनी
४—अवागढ़
५—मानपुर नगरिय
६—जलेश्वर
७—अचलपुर
८—जैथरा
९—मिर्ची
१०—सिसीतापू
११—बिलुआ
१२—नदारी
१३—मोहनपुरा
१४—निदोली
१५—जिनेहरा
१६—जिरसामी
१७—अमरपुर
१८—सोगरा
१९—मदवास
२०—बसुन्धरा
२१—खेरा
२२—राजका रामपुर
२३—गंजदन द्वारा
२४—धूमरी
२५—भोजपुरा
२६—पेलोई
२७—फफतू
२८—राट
२९—पटियाली
३०—लालगढ़ी
३१—लहरा
३२—सिधपुरा
३३—सरावल
३४—कन्तौर
३५—वेटनी
३६—वेरी
३७—असरोली
३८—जवाहर नगर पुरसानी
३९—अम्बारी
४०—छोनछा बन गांव
४१—सरौथ पवायन
४२—सराई पटी
४३—पिवारी
४४—ऊंच गांव
४५—सरोथ पचेजा
४६—अरहापुर
४७—राधे का नगला
४८—बावन
४९—रेवारी
५०—भागीपुर
५१—इसोली
५२—सिकरारी
५३—लालपुर
५४—जिनोली
५५—चुरथारा
५६—सकीट
५७—मलावन
५८—सहावर
५९—कावर
६०—मोहनपुर
६१—नरथर
६२—सेनाकलां
६३—जामनपुर
६४—नमेनी
६५—वरना
६६—विलराम
६७—मझोला
६८—मोहनी मामूरगंज
६९—ककेड़ा
७०—नन्दगांव

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर)

ग्रामों के नाम जहां १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मई, १९६५ तक नलकूप बनाये गये

तहसील बिजनौर २६ नलकूप—

१—मुकन्दपुर गोपाल
२—मनडोरा जट
३—झालरा
४—बाकर नंगला
५—आदमपुर फकवाड़ा
६—जगनपुर
७—द्वारकापुरी
८—इस्लामपुर पट्म
९—अब्दुल्लापुर मुन्ना
१०—शिकन्दरपुर
११—रावटी
१२—मकरान्दपुरी
१३—सलाहपुर
१४—लालपुर
१५—गोपालपुर
१६—रामपुर बरीसल
१७—कुतरपुर गढ़ी
१८—फतेहपुर कलां
१९—गजरौला सियू
२०—फतहपुर असल
२१—रसूलपुर अलीउद्दीन
२२—गंगोरा जट
२३—कढ़ापुर
२४—टूगरी
२५—पदमपुर
२६—सराय सियाऊ

तहसील नगीना २ नलकूप—

१—लालपुर
२—हकीकतपुर

तहसील नजीबाबाद ९ नलकूप—

१—तरीकमपुर
२—जगदीशपुर गाजीपुर
३—फजलपुर हबीब
४—मोहम्मदअलिपुर घासी
५—किशनपुर
६—कुतकपुर
७—शकूरपुर बहादरपुर
८—दलस्वाला औरंगजेबपुर गुलाल
९—रतनपुर

तहसील धामपुर २८ नलकूप—

१—ऊमरी बढ़ी
२—रायपुर बिज्जू
३—मिरनपुर
४—फीना
५—मिलक मुकीमपुर
६—खान जट
७—वरियापुर
८—गल्ला खढ़ी
९—हसैनपुर पालकी
१०—नगला नैनसी
११—धामपुर हेसैनपुर
१२—कोटरा टम्पू केश्व
१३—शरीफपुर
१४—मकबूमपुर मोर
१५—हकीकतपुर गंगवाली
१६—हंसपुर
१७—कल्यानपुर
१८—सरकड़ा छतरू
१९—मोधी
२०—हुमायूपुरचन्द्र पाल
२१—बमनौला बुढ़ान नगर
२२—बमनौला
२३—मंडोरा
२४—बुआपुर नाथू
२५—जमालपुर महीपत
२६—जमनपुर
२७—औरंगशाहपुर गंगाधर
२८—शिघां

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर)

चालू वर्ष (१९६५–६६) के लिये फर्रुखाबाद जिले के लिए कुल ११ नलकूप बनाने का प्रस्ताव है उनका ब्लाक वार विवरण (स्थान सहित) निम्नलिखित है—

ब्लाक नाम	ग्राम का नाम जहां नलकूप प्रस्तावित है
१—मोहमदाबाद ब्लाक	१—संकिसा बसंतपुर
	२—अर्जुनपुर
	३—परवना इजराइल
	४—कान्हैपुर
२—कमालगंज ब्लाक	१—शेखपुर रूस्तमपुर
	२—फूलपुर
३—कन्नौज ब्लाक	१—पचौर
	२—अंती
४—छिबरामऊ ब्लाक	१—अतराजपुर
	२—बहबलपुर
५—तालग्राम ब्लाक	१—तेरा रब्बू
कुल नलकूप	११

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९३ एल० ए०—१९६५—८६२ ।